

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2019 (02 सितंबर 2026 तक अद्यतित)

का. आ. 3732(अ).-केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को प्रतिभूति निर्गम का अंतरण\) विनियम, 2017](#) और [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण\) विनियम, 2018](#) को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये [राजपत्र](#) में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) "आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी" से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 3 के अधीन रिजर्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(निक्षेप\) विनियम, 2016](#) में है;

(घ) "प्राधिकृत व्यौहारी" के अंतर्गत अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(घक) "नियंत्रण" का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 में है और सीमित दायित्व भागीदारी के प्रयोजन के लिए उससे वहां अभिहित भागीदारों के बहुमत को नियुक्त करने का अधिकार अभिप्रेत होगा, जहां ऐसे अभिहित भागीदारों के पास अन्य को विनिर्दिष्ट रूप से अपवर्जित करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी की सभी रीतियों पर नियंत्रण है,¹

(ड) "ऋण नोट" से ऐसा नोट अभिप्रेत है जिसे आरंभ में धारक के विकल्प पर प्रतिदेय ऋण के रूप में धन की प्राप्ति को अभिस्वीकार करने वाली स्टार्ट अप कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया है या जो लिखत में तय पाये गए और उपदर्शित अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर संपरिवर्तनीय नोट के निर्गम की तारीख से दस² वर्ष की अनधिक अवधि के भीतर उस कंपनी ने साधारण शेयरों की ऐसी संख्या में संपरिवर्तनीय हैं;

(च) "ऋण लिखित" से इस नियम के खंड (कझ) में परिभाषित गैर ऋण लिखतों से भिन्न सभी लिखितें अभिप्रेत हैं;

(छ) "निक्षेपागार रसीद" से किसी विदेशी मुद्रा में अंकित लिखत अभिप्रेत है, चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या नहीं, जिसे किसी विदेशी निक्षेपागार द्वारा, उस विदेशी निक्षेपागार द्वारा जारी पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर अनुज्ञेय अधिकारिता में जारी किया गया हो या अंतरित किया गया हो और जिसका किसी घरेलू अभिरक्षक के पास निक्षेप किया गया हो तथा इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथा परिभाषित 'वैश्विक निक्षेपागार' रसीद सम्मिलित है;

¹ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

² दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

(ज) "घरेलू अभिरक्षक" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्री कृत प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अभिप्रेत है;

(झ) "घरेलू निक्षेपागार" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत अभिरक्षक और जिसे जारीकर्ता निकाय द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीद जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है;

(ञ) "ईएसओपी" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित "कर्मचारी स्टॉक विकल्प और जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अधीन जारी किया गया है, अभिप्रेत है;

(ट) "साम्या लिखत" से साम्या शेयर, संपरिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमानी शेयर और किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयर वारंट अभिप्रेत हैं;

स्पष्टीकरण:--

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के उपबंधों के अनुसार, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए साम्या शेयरों में वह साम्या शेयर सम्मिलित हैं, जिनका भागतः संदाय किया गया है। "संपरिवर्तनीय डिबेंचर" से पूर्णतया और आज्ञापकतः संपरिवर्तनीय डिबेंचर अभिप्रेत हैं, जिनका पूर्णतया संदाय किया गया है। "अधिमानी शेयर" से पूर्णतया और आज्ञापकतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर है जिनका पूर्णतया संदाय किया गया है। "शेयर वारंट" वे वारंट हैं जिन्हें किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी विनियमों, कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के अनुसार जारी किया गया है। किसी साम्या लिखत में एक वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए यथाविहित अवधि, जो भी उच्चतर हो, के अध्वधीन कोई वैकल्पिकता खंड अंतर्विष्ट हो सकता है, किंतु बीमांकित कीमत पर बाह्यगमन का कोई विकल्प या अधिकार नहीं होगा³;

³ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

(ii) भागतः संदत्त शेयर, वे शेयर हैं, जिन्हें भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया गया है, उन्हें ऐसे निर्गमन के बारह मास के भीतर या समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्णतया प्रदत्त कर दिया जाएगा। प्रतिफल की कुल रकम के पच्चीस प्रतिशत को (जिसके अंतर्गत शेयर प्रीमियम है, यदि कोई हो) पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा;

(iii) शेयर वारंट की दशा में प्रतिफल का कम से कम पच्चीस प्रतिशत पहले ही प्राप्त किया जाएगा और शेष रकम को शेयर वारंट जारी करने के अठारह मास के भीतर प्राप्त किया जाएगा;

(ठ) "एसक्रो खाता" से [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(निक्षेप\) विनियम, 2016](#) के अनुसार अनुरक्षित खाता अभिप्रेत है;

(ड) "एफडीआई संबद्ध कार्य निष्पादन स्थितियां" से विदेशी विनिधान प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए इन नियमों की अनुसूची। में विनिर्दिष्ट विशिष्ट स्थितियां अभिप्रेत है;

(ढ) "एफवीसीआई" से भारत से बाहर निगमित और स्थापित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक) विनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता अभिप्रेत है;

(ण) "विदेशी केंद्रीय बैंक" से भारत से बाहर स्थापित और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन केंद्रीय बैंक के कृत्यों को करने का उत्तरदायित्व सौंपी गई कोई संस्था या संगठन या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(त) "एफसीएनआर (बी) खाता" से [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(निक्षेप\) विनियम, 2016](#) के अनुसार रखा गया विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता अभिप्रेत है;

(थ) "विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र" से विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बंधपत्र निर्मम और साधारण शेयर (निक्षेपागार रसीद तंत्र के माध्यम से), स्कीम, 1993 के अधीन जारी बंधपत्र अभिप्रेत हैं;

(द) "एफडीआई" या "विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान" से भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में साम्या लिखतों के माध्यम से विनिधान; या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूर्णतया तनुक्रित आधार पर निर्गम पञ्च संदत्त साम्या पूंजी का दस प्रतिशत या अधिक अभिप्रेत है;

टिप्पण: भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में साम्या लिखतों में विद्यमान विनिधान पूर्णतया तनुक्रित आधार पर निर्गम पञ्च साम्या पूंजी के दस प्रतिशत से नीचे के स्तर पर आ जाता है तो विनिधान को एफडीआई के रूप में समझा जाता रहेगा;

स्पष्टीकरण: - पूर्णतया तनुक्रित आधार से शेयरों की कुल संख्या, जो संपरिवर्तन के सभी संभव स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात्, जो बकाया होगी, अभिप्रेत है।

(ध) "विदेशी विनिधान" से प्रत्यावासित आधार पर किसी भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों या किसी सीमित भागीदारी की पूंजी में भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई विनिधान अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण:- यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून, जैसा भी मामला हो, के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा धृत फायदाप्रद हित के विषय में कोई घोषणा की जाती है तो किसी भारतीय निवासी नागरिक द्वारा किये गए विनिधान के होते हुए भी उसकी गणना विदेशी विनिधान के रूप में की जाएगी;⁴

टिप्पण: भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट भारतीय कंपनी में या तो एफडी आई के रूप में या 'एफपीआई' के रूप में विदेशी विनिधान धारण कर सकेगा;

(न) "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान" से भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा साम्या लिखतों के माध्यम से किया गया विनिधान, जहां ऐसा विनिधान किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूर्णतया तनुक्रित आधार पर

⁴ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

निर्गम पश्च संदत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से कम या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्या लिखत की प्रत्येक श्रृंखला में संदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से कम है, अभिप्रेत है;

(प) "एफपीआई" या "विदेश पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्री कृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(फ) "सरकारी अनुमोदन"⁵से तत्कालीन औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार और/या तत्कालीन विदेशी विनिधान संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) और/या भारत सरकार का यथास्थिति, कोई मंत्रालय या विभाग से अनुमोदन अभिप्रेत है;

(ब) "समूह कंपनी" से दो या अधिक उपक्रम अभिप्रेत हैं जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः (i) अन्य उपक्रम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकार का उपयोग करने; या (ii) अन्य उपक्रम में निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य नियुक्त करने की स्थिति में हैं;

(भ) "संकर प्रतिभूतियां" से संकर लिखत अभिप्रेत है जैसे वैकल्पिक रूप से या आंशिक रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर या डिबेंचर और अन्य ऐसे लिखत, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिन्हें किसी भारतीय कंपनी या न्यास द्वारा भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है;

(म) भारतीय कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई कंपनी या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है; जो भारत में निगमित किया गया है।

टिप्पणः

⁵ दिनांक 01.05.2026 के क.आ. 2174 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों में 'कंपनी' या 'निवेशकर्ता कंपनी' या 'अंतरिती कंपनी' या "अंतरणकर्ता कंपनी" के संदर्भ में किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित निकाय का कोई संदर्भ भी शामिल है।

(ii) यह और स्पष्ट किया जाता है कि यदि 'कंपनी' या भारतीय कंपनी' या 'निवेशकर्ता कंपनी' या 'अंतरिती कंपनी' या 'अंतरणकर्ता कंपनी' शब्द कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी के संदर्भ में सापेक्ष है, ऐसे शब्द का अर्थ उक्त अधिनियम के अधीन निगमित एक कंपनी, लेकिन कॉर्पोरेट निकाय नहीं होगा।

(iii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 'भारतीय कंपनी' में कोई सोसाइटी, न्यास या कोई संस्था शामिल नहीं है, जिसे एफडीआई नीति के तहत एक पात्र निवेशकर्ता इकाई के रूप में बाहर रखा गया है।⁶

(य) "आईडीआर" या "भारतीय निक्षेपागार" से भारत में किसी घरेलू निक्षेपागार द्वारा सुजित निक्षेपागार रसीद के रूप में कोई लिखत और जिसे भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी द्वारा ऐसी निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रेत है;

(कक) "भारतीय अस्तित्व" से कोई भारतीय कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत होगी;

(ककक) अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज" से अनुज्ञेय अधिकारिता में अनुज्ञात स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 11 पर सूचीबद्ध हैं;⁷

(कख) "विनिधानकर्ता कंपनी" से ऐसी भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जो किसी अन्य भारतीय कंपनी/कंपनियों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे धृति या प्रतिभूतियों में व्यापार करने से भिन्न केवल विनिधान धारण कर रही है;

⁶ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷ दिनांक 24.01.2024 के क.आ. 332 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

(कग) “विनिधान” से भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या यूनिट को प्रतिश्रुत करना, अर्जित करना, धारण करना या अंतरित करना अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण:--

(i) विनिधान के अंतर्गत भारत से बाहर जारी निशक्षेपागार रसीदों का अर्जन करना, धारण करना या अंतरण करना सम्मिलित है, जिसकी अंडरलाइन भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा जारी कोई प्रतिभूति है;

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रयोजन के लिए विनिधान से पूंजी अभिदाय या लाभ शेयरों का अर्जन या अंतरण अभिप्रेत होगा;

(कघ) “संप्रत्यवर्तन के आधार पर विनिधान” से करें के पश्चात् कोई विनिधान, विक्रय या परिपक्वता आगत अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर संप्रत्यवर्तन के लिए पात्र है और “गैर-संप्रत्यवर्तन के आधार पर विनिधान” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(कङ) “विनिधान यान” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विरचित विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई अस्तित्व या उस प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, अर्थात् (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2014 (आरईआईटी) द्वारा प्रशासित भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) (ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2014 (आईएनवीएलटीएस) द्वारा प्रशासित अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीएलटीएस) (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2012 (एआईएफ) द्वारा प्रशासित वैकल्पिक विनिधान निधियां (एआईएफ);⁸

(कच) “एलएलपी” से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;

⁸ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा विलोपित

(कछ) ⁹"सूचीबद्ध भारतीय कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है जिसके पास उसके कोई साम्य लिखत या ऋण लिखत भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और "असूचीबद्ध भारतीय कंपनी" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(कज) "विनिर्माण" से उसके व्याकरणीय रूप भेदों के अनुसार किसी गैर-जीवित भौतिक पदार्थ या चीज या वस्तु में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है :- (i) जिसका परिणाम पदार्थ या वस्तु या चीज के किसी नए और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज में संपरिवर्तन के रूप में होता है, जिसका भिन्न नाम, चरित्र और उपयोग है; या (ii) किसी नए और सुभिन्न पदार्थ या वस्तु या चीज को नए अस्तित्व में भिन्न रसायनिक संरचना या अभिन्न ढांचे के साथ अस्तित्व में लाना है;

(कझ) "गैर-ऋण लिखत" से निम्नलिखित लिखत अभिप्रेत हैं:--

- (i) निगमित अस्तित्वों: लोक, प्राइवेट, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध में साम्या लिखतों में सभी विनिधान;
- (ii) सीमित दायित्व भागीदारी में पूंजी सहभागिता;
- (iii) समय-समय पर अधिसूचित एफडी आई नीति में मान्यताप्राप्त विनिधान के सभी लिखत;
- (iv) वैकल्पिक विनिधान निधियों (एआईएफ), भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना विनिधान न्यास (आईएनवीएलटीएस) की यूनिटों में विनिधान;
- (v) ऐसी पारस्परिक निधियों या विनिमय-व्यापार निधि (ईटीएफ), जो अपनी साम्या का पचास प्रतिशत से अधिक का विनिधान करती हैं, की यूनिटों में विनिधान;
- (vi) प्रतिभूतिकरण ढांचे की सर्वाधिक कनिष्ठ परत (अर्थात् साम्या ट्रांचे);
- (vii) स्थावर संपत्ति का अर्जन, विक्रय या उसमें प्रत्यक्ष व्यवहार;
- (viii) न्यासों में अभिदाय; और
- (ix) साम्या लिखतों के लिए जारी निक्षेपागार रसीदें;

⁹ दिनांक 24.01.2024 के क.आ. 332 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

(कज) "एनआरआई" या "अनिवासी भारतीय" से भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है;

(कट) "ओसीआई" या "भारत का विदेशी नागरिक" से भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7(क) के अधीन भारत का कार्डधारी विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(कटक) "अनुज्ञेय अधिकारिता" से ऐसी अधिकारिता अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उपनियम (3) के उपखंड (च) के अधीन अधिसूचित की जाए;¹⁰

(कठ) "निवासी भारतीय नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में निवासी व्यक्ति है और भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर भारत का नागरिक है;

(कड) "क्षेत्र विषयक उच्चतम सीमा" से अधिकतम विनिधान, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी की साम्या¹¹ लिखतों में भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा संप्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी विनिधान और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान दोनों सम्मिलित हैं जब तक अन्यथा उपबंध न किया जाए, अभिप्रेत है। यह भारतीय निवेशी अस्तित्व के लिए संयुक्त सीमा होगी:-

स्पष्टीकरण:-

(i) ऐसे लिखतों, जो ऋण की प्रकृति में है, का आधार रखने वाले "एफसीसीबी और डीआर" को क्षेत्र विषयक उच्चतम सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

¹⁰ दिनांक 24.01.2024 के क.आ. 332(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

¹¹ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा विलोपित

(ii) किसी ठहराव के अधीन किसी लिखत के संपरिवर्तन से उद्भूत भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी साम्या को धारण करना।

(कडक) "शेयर आधारित कर्मचारी लाभों" का अर्थ कर्मचारियों या निदेशकों अथवा धारित कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी या कंपनियों के कर्मचारी या निदेशक जो भारत के बाहर रह रहे हैं, के लिए साम्या लिखतों का निर्गम है, जो एक भारतीय कंपनी द्वारा तैयार की गई शेयर आधारित कर्मचारी लाभ योजनाओं के अनुसरण में है।¹²

(कढ) "स्टार्टअप कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित प्राईवेट कंपनी अभिप्रेत है और जिसकी भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक कारबार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा. का. नी. 127 (अ) के अधीन "स्टार्टअप" के रूप में पहचान की गई है;¹³

(कढक) "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर यथा-संशोधित, कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट है।¹⁴

(कण) "श्रम साध्य साधारण शेयर" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित श्रम साध्य साधारण शेयर अभिप्रेत है;

(कत) "अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों में उसका है;

¹² दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा अंतःस्थापित

¹³ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

¹⁴ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा अंतःस्थापित

(कथ) "यूनिट" से किसी विनिधान यान में विनिधानकर्ता का फायदाग्राही हित अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यूनिट में वह यूनिट सम्मिलित होगी जिसका भागतः समादत्त किया गया है, जिसे भारत सरकार के परामर्श से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन अनुज्ञाप्राप्त है।¹⁵

(कद) "उद्यम पूंजी निधि" से किसी न्यास, कंपनी, जिसके अंतर्गत निगमित निकाय भी है, के रूप में स्थापित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निधि अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः इस अधिनियम, नियमों और विनियमों में है।

2(क) इन नियमों को रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित करना:-

(1) यह नियम रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

(2) इन नियमों को प्रशासित करते समय, रिजर्व बैंक ऐसे निदेश, परिपत्र, अनुदेश, स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जो इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।¹⁶

¹⁵ दिनांक 14.03.2024 के क.आ. 1361 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

¹⁶ दिनांक 27.07.2020 के क. आ. 2422 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतःस्थापित

अध्याय 2

सभी विनिधानकर्ताओं को लागू साधारण शर्तें

3. भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा भारत में विनिधान पर निर्बंधन- अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भारत से बाहर के कोई निवासी भारत में कोई विनिधान नहीं करेगा:

परंतु यह कि अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार किए गए और इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को धारित विनिधान को इन नियमों के अधीन किया गया समझा जाएगा और तदनुसार इन नियमों द्वारा शासित होगा:

परंतु यह और कि रिजर्व बैंक, उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए ¹⁷ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे विचार करना आवश्यक है, भारत में विनिधान करने के लिए भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को अनुज्ञा दिया जा सकेगा।

4. विनिधान प्राप्तकर्ता पर निर्बंधन - अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए कोई भारतीय अस्तित्व या किसी विनिधान यान या जोखिम पूंजी निधि या व्यक्तियों के फर्म या संगम या संबद्ध सांपत्तिक भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से भारत में कोई विनिधान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या उसके खातों में ऐसे विनिधान रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:

परंतु यह कि रिजर्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों के लिए ¹⁸ ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसे विचार करना आवश्यक है, कोई भारतीय अस्तित्व या किसी विनिधान यान या जोखिम पूंजी निधि या व्यक्तियों के फर्म या संगम या संबद्ध सांपत्तिक भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से भारत में कोई विनिधान प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा या ऐसे विनिधान रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

¹⁷ दिनांक 27.07.2020 के क.आ. 2422 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा विलोपित

¹⁸ दिनांक 27.07.2020 के क.आ. 2422 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा विलोपित

5. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान करने के लिए अनुमति--इन नियमों या अनुसूचियों में जब तक कि कोई अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई विनिधान, यथास्थिति, प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय उच्चतम सीमाएं या विनिधान सीमाएं और इन नियमों में अधिकथित ऐसे विनिधान के लिए तत्संबद्ध सशर्तताएं नहीं होगी।

अध्याय 3

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान

6. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधानें: भारत से बाहर के निवासी कोई व्यक्ति विनिधान कर सकेगा:

(क) अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधन तथा शर्तों के अधीन, कोई भी भारतीय कंपनी के इक्रिटी लिखतों का अभिदान, क्रय या विक्रय कर सकेगा:

परंतु-

(i) कोई देश, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, की कोई इकाई या नागरिक, अथवा जहां भारत में विनिधान का फायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी देश का नागरिक है, अथवा जहां विनिधान का फायदाप्रद स्वामित्व ऐसे किसी देश में निहित है, वह अनुसूची I के पैरा (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट, केवल सरकारी मार्ग के अधीन, ही विनिधान करेगा;

(ii) पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में निगमित कोई इकाई, केवल सरकार के माध्यम से, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों या क्रियाकलापों, जो विदेशी विनिधान के लिए प्रतिबंधित हैं, से भिन्न क्षेत्रों और क्रियाकलापों में विनिधान करेगा;

(iii) भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी विद्यमान या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के अंतरण होता है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त खंड (i) और (ii) के निर्बंधन के भीतर आ जाता है, तो फायदाप्रद स्वामित्व में ऐसे पश्चातवर्ती परिवर्तन पर भी सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iv) कोई बहुपक्षीय बैंक या निधि, जिसका भारत सदस्य है, उसे किसी विशेष देश की इकाई नहीं माना जाएगा और न ही किसी देश को भारत में ऐसे बैंक या निधि के विनिधान का फायदाप्रद स्वामी माना जाएगा:

परंतु यह और कि भारत में विनिधान, किसी ऐसी विनिधानकर्ता इकाई से--

(i) जिसमें भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी देश के नागरिक या इकाई द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व हो; और

(ii) जिसे इस खंड के उपबंधों के अधीन पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता न हो, ऐसे विनिधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए-

(i) "भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी" से अभिप्राय उस निवेशक निकाय के लाभकारी स्वामी से होगा, जो ऐसे देश में निगमित या पंजीकृत है, जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता; तथा

(ii) "फायदाप्रद स्वामी" पद का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (चक) में है तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार निर्धारित है।

स्पष्टीकरण 2— किसी विनिधान का फायदाप्रद स्वामित्व भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश में निहित माना जाएगा, जहाँ वह --

(क) ऐसे देश का नागरिक जो भारत के साथ सीमा साझा करता है; या

(ख) ऐसे देश में निगमित या रेजिस्ट्रीकृत निकाय जो भारत के साथ सीमा साझा करता है,

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य नागरिक या इकाई के साथ संचयी रूप से, स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य नागरिक या इकाई के साथ सामूहिक रूप से, चाहे एक साथ कार्य कर रहे हों या अन्यथा,-

(क) भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत विनिधानकर्ता इकाई पर, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट लागू सीमाओं से अधिक अधिकार या हकदारी धारण करने में सक्षम हों; या

(ख) जो ऐसे नागरिक या निकाय या दोनों को उक्त विनिधानकर्ता इकाई पर नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हों; या

(ग) जो ऐसे नागरिक या इकाई या दोनों को विनिधान प्राप्तकर्ता इकाई पर किसी भी प्रकार से अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हों।

स्पष्टीकरण 3— भारतीय कंपनियों द्वारा तेल क्षेत्रों में “भागीदारी हित या अधिकार” का निर्गमन या अंतरण, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को, विदेशी विनिधान माना जाएगा और यह अनुसूची I में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।¹⁹

(ख) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से भिन्न भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति या बांग्लादेश या पाकिस्तान में निगमित अस्तित्व को अनुसूची VI विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों की रीति से और उसके अध्यक्षीन एलएलपी, के लाभ में हिस्से का या तो पूंजी अंशदान के रूप में या अर्जन या अंतरण के रूप में विनिधान किया जा सकेगा।

¹⁹ दिनांक 01.05.2026 के क.आ. 2174 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

(ग) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से भिन्न, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति या बांग्लादेश या पाकिस्तान में निगमित अस्तित्व को अनुसूची VIII विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों की रीति से और उसके अध्यक्षीन विनिधानयान के यूनिटमें विनिधान कर सकेगा।

(घ) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट रीति से तथा निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन पात्र प्रतिभूतियों के लिए विदेशी निश्रेपकों द्वारा जारी निक्षेपागार प्राप्तियों में विनिधान कर सकेगा।

7 (1)²⁰ उचित अधिकार या बोनस निर्गमन के माध्यम से अर्जन - भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति और भारतीय कंपनी में विनिधान करने वाले को, ऐसी कंपनी द्वारा जो राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू के रूप में साम्या लिखतों (शेयर वारंट से भिन्न) में विनिधान कर सकेगा, परंतु यह कि,-

(क) भारतीय कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन में प्रस्ताव किया जाएगा;

(ख) ऐसा मुद्दा कंपनी को लागू सेक्टरल कैप के भंग होने का परिणाम नहीं होगा;

(ग) उसके आधार पर शेयर धारण करना जिसके आधार पर राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू को अर्जित करना आवश्यक हो गया है और उसे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(घ) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के राइट्स इस्सू कंपनी द्वारा अवधारित कीमत पर होगा;

(ङ) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के राइट्स इस्सू भारत में निवासी व्यक्तियों से प्रस्तावित कीमत से अन्यून कीमत पर नहीं होगा;

(च) राइट्स इस्सू या बोनस इस्सू के माध्यम से किया गया ऐसा विनिधान, शर्तों के अध्यक्षीन होगा, जो ऐसा इस्सू के समय पर लागू थे;

(छ) ऐसे लेनदेन के लिए संदाय की पद्धति और तत्संबद्ध शर्तें रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी;

(ज) ऐसा व्यक्ति, जो भारत से बाहर कोई निवासी व्यक्ति है और जो ऐसे अधिकार का प्रयोग कर रहा है जो उसे तब प्रदत्त किया गया था जब वह भारत में निवासी व्यक्ति था गैर संप्रत्यावर्तन आधार पर विकल्प का प्रयोग करते हुए इस प्रकार अर्जित साम्या लिखतों (जो शेयर वारंटों से भिन्न है) को धारण करेगा।

²⁰ [दिनांक 11.06.2025 के क.आ. 2549 \(अ\) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम \(गैर-ऋण लिखत\) \(संशोधन\) नियम, 2025 द्वारा पुनःसंख्यांकित](#)

(2) कोई भारतीय कंपनी, जो विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान के लिए प्रतिषिद्ध किसी सेक्टर या क्रियाकलाप में अन्तर्वलित है, ऐसे अपने पूर्व विद्यमान शेयरधारकों को, जो भारत के बाहर निवासी व्यक्ति हैं, बोनस शेयर जारी कर सकेगी, परंतु ऐसे शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न बोनस शेयरों के जारी होने के अनुसरण में परिवर्तित न हो और इस उपनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व ऐसे शेयरधारकों को जारी किए गए किन्हीं बोनस शेयरों को यथास्थिति इन नियमों या विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियामवली, 2000 या [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम\) विनियामवली, 2017](#) के उपबंधों के अनुसार जारी किया हुआ समझा जाएगा।²²

7क. - अधिकारों के त्यजन के पश्चात् अर्जन- भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति जो भारत से निवासी ऐसे व्यक्ति से जिसने अधिकार का त्यजन किया है; उस अधिकार का अर्जन किया है इन नियमों के नियम 21 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के मूल्यांकन के अनुसार उक्त अधिकारों के एवज में साम्य लिखतों (शेयर वारंट से भिन्न) का अर्जन कर सकता है।²³

8. कर्मचारी स्टॉक विकल्पों, स्वीटसाम्या शेयरों और शेयर आधारित कर्मचारी लाभों का भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को निर्गम - कोई भारतीय कंपनी अपने ऐसे कर्मचारियों या निदेशकों या धृति कंपनी या संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुसंगी या अनुसंगियों के ऐसे कर्मचारी या निदेशकों को जो भारत से बाहर निवासी हैं, "कर्मचारी स्टॉक विकल्प", "स्वीट साम्या शेयरों" और "शेयर आधारित कर्मचारी लाभ" का निर्गम कर सकेगी:

परंतु यह कि –

²¹ दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा विलोपित

²² दिनांक 11.06.2025 के क.आ. 2549 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2025 द्वारा अंतःस्थापित

²³ दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतःस्थापित

(क) यह योजना या तो यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के अधीन जारी विनियमों के शर्तों के अनुसार तैयार की जाती है;

(ख) नियमों या विनियमों के अधीन इस प्रकार जारी "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" या "शेयर आधारित कर्मचारी लाभ" उक्त कंपनी को लागू सेक्टरल सीमा के अनुपालन में हैं;

(ग) ऐसा कंपनी जो अननुमोदन मार्ग के अधीन है, विदेशी विनिधान "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" या "शेयर आधारित कर्मचारी लाभ" निर्गम किया जाना है, सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपेक्षा किया जाएगा;

(घ) बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक से "कर्मचारी स्टॉक विकल्प" या "स्वीट साम्या शेयर" का निर्गम सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाना अपेक्षित होगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है और जो विकल्प का प्रयोग कर रहा है जो उसे तब प्रदत्त किया गया था जब वह भारत में निवासी व्यक्ति या गैर संप्रत्यावर्तित आधार पर विकल्प का प्रयोग करते हुए इस प्रकार अर्जित साम्या लिखतों को धारण करेगा।²⁴

9. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा या भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों का अंतरण- इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाइयों या भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति साम्या लिखत धारण करने वाले भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अनुपालन में, इन नियमों के अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार उसके द्वारा धारित ऐसे साम्या लिखतों या इकाइयों का अंतरण कर सकेगा:

(1) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति, जो एक व्यक्ति²⁵ हैं या तत्कालीन विदेशी निगमित निकाय हैं, भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को उसके धारित भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों को विक्रय या दान के उद्देश्य से अंतरण कर सकेगा।

²⁴ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

²⁵ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

स्पष्टीकरण: इसके अंतर्गत भारत से बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत इकाईयों या कंपनियों का समापन या विलयन या निर्विलयन और समावेशन के अनुसरण में भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों का अंतरण भी है:

परंतु यह कि:-

(i) जहां भी सरकारी अनुमोदन लागू हो, सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।;²⁶

(ii) जहां साम्या लिखतें गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धारित है विक्रय के उद्देश्य से अंतरण किया जाना है वहां प्रत्यावर्तनीय आधार पर साम्या लिखतें धारित करने के उद्देश्य से अंतरिती इन नियमों में यथा विहित, प्रवेश मार्ग, सेक्टरल कैप्स या विनिधान सीमाओं के अनुसार या उसके अधीन होंगे और ऐसे अंतरण जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए ऐसा विनिधान, मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों, प्रलेखीकरण और रिपोर्टगत अपेक्षाओं के लिए तत्संबद्ध सशर्तें होंगी;

(2) भारत से बाहर के कोई निवासी व्यक्ति, जो इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाईयों का साम्या लिखतें धारण किया हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विहित रीति में भारत में रजिस्ट्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही विक्रय या दान या क्रय के उद्देश्य से भारत में निवासी व्यक्ति से वैसे ही अंतरण कर सकेगा:

परंतु यह कि -

(i) विक्रय के माध्यम से अंतरण मूल्यांकन मार्गदर्शक सिद्धांतों, प्रलेखीकरण और ऐसे अंतरण के लिए रिपोर्टगत अपेक्षाएं जो रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय समय पर परामर्श करके विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुपालन में और उसकी अनुशक्ति के अधधीन रहते हुए किया जाएगा;

(ii) जहाँ साम्या लिखतें गैर प्रतिसंदेय आधार पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धारण किया गया है, वहां परंतुक के मद (i) की शर्तें लायू नहीं होंगी।

²⁶ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

(3) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय कंपनी या इकाईयों का साम्या लिखतें धारण किए हुए हैं, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए यथा लागू प्रवेश मार्गों, सेक्टरल कैप्स या विनिधान सीमाओं, मूल्यांकन मार्गदर्शन सिद्धांतों और अन्य तत्संबद्ध शर्तों के अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए और ऐसे अंतरण के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से समय समय पर परामर्श करके प्रलेखीकरण और रिपोर्टगत अपेक्षाओं के अनुसार विक्रय के उद्देश्य से भारत से बाहर व्यक्ति को वैसे ही अंतरण कर सकेगा।

(4) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति जो ²⁷भारतीय कंपनी का साम्या लिखतें या इकाईयां धारण किए हुए हैं रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित शर्तों में विहित रीति में और उसके अध्वधीन दान के उद्देश्य से भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से वैसे ही अंतरण कर सकेगा, अर्थात्:-

(i) अदाता इन नियमों की अनुसूचियों के अधीन ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र है;

(ii) दान, भारतीय कंपनी की समादत्त पूंजी या प्रत्येक पारस्परिक निधि स्कीम के डिबेंचरों की प्रत्येक आवली का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है;

स्पष्टीकरण: भारतीय कंपनी की समादत्त पूंजी या डिबेंचरों की प्रत्येक आवली या प्रत्येक पारस्परिक निधि स्कीम की समादत्त पूंजी का पांच प्रतिशत एकल व्यक्ति द्वारा किसी अन्य एकल व्यक्ति के लिए संचयी आधार पर होगा।

(iii) भारतीय कंपनी में लायू सेक्टरीय सीमा का भंग नहीं किया जाता है;

(iv) दाता और अदाता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 77 के अर्थान्तर्गत "नातेदार" होंगे;

(v) वित्तीय वर्ष के दौरान दान के रूप में भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति को दाता द्वारा किसी अंतरित प्रतिभूति सहित अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य पचास हजार यूएस डॉलर के समतुल्य रुपए से अधिक नहीं होता है;

²⁷ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा विलोपित

(vi) ऐसी अन्य शर्तें, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में आवश्यक समझी जाए।

(5) भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के अनुसार वैकल्पिकता खंड अंतर्विष्ट करने वाली भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों को धारण करता है और विकल्प या अधिकार का प्रयोग करता है, इन नियमों में विहित कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और एक वर्ष की न्यूनतम परिवंधन अवधि या इन नियमों में यथाविहित न्यूनतम परिवंधन अवधि, जो भी अधिक हो, के अधीन रहते हुए, किसी आश्वासित विवरणी के बिना बाहर निकल सकेगा।

(6) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच साम्या लिखतों के अंतरण के मामले में कुल प्रतिफल के पश्चीस प्रतिशत से अनधिक की रकम,-

(i) अंतरण करार की तारीख से अट्ठारह मास से अनधिक की अवधि के भीतर आस्थगित आधार पर क्रेता द्वारा संदत्त की जा सकेगी; या

(ii) अंतरण करार की तारीख से अट्ठारह मास से अनधिक की अवधि के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच निलम्ब ठहराव के माध्यम से चुकाई जा सकेगी; या

(iii) पूर्ण प्रतिफल के संदाय की तारीख से अट्ठारह मास से अनधिक की अवधि के लिए विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकेगी, यदि कुल प्रतिफल का संदाय क्रेता द्वारा विक्रेता को किया गया है:

परंतु शेषों के लिए अंतिम रूप से संदत्त कुल प्रतिफल लागू कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

(7) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के बीच साम्या लिखतों के अंतरण के मामले में भारत से बाहर निवासी व्यक्ति [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(निक्षेप\) विनियम, 2016](#) के अनुसार निलम्ब खाता खोल सकेगा और ऐसा निलम्ब खाता बैंककारी चैनलों के माध्यम से या प्राधिकृत डीलर बैंक द्वारा जारी गारंटी के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध गारंटी विनियम, 2000 में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, आवक प्रेषण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकेगा।

(8) भारतीय कंपनी के साम्या लिखतों या विनिधान यान की यूनिटों का गिरवी रखकर अंतरण निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन है, अर्थात्:-

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी (उधार लेने वाली कंपनी) का संप्रवर्तक है जिसने [विदेशी मुद्रा प्रबंध \(विदेशी मुद्रा में उधार देना और उधार लेना\) विनियम, 2000](#) के अनुपालन में बाह्य वाणिज्यिक उधार ली है, निम्नलिखित और शर्तों के अधीन रहते हुए, उधार लेने वाली कंपनी द्वारा ली गई बाह्य वाणिज्यिक उधार के सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों या उसकी सहयुक्त निवासी कंपनियों के शेयरों को गिरवी रख सकेगा, अर्थात्:-

- (क) ऐसी गिरवी की अवधि अंतर्हित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ सह-विस्तारी होगी;
- (ख) गिरवी के आह्वान के मामले में अंतरण इन नियमों और रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार होगा;
- (ग) कानूनी संपरीक्षक ने यह प्रमाणित कर दिया है कि उधार लेने वाली कंपनी अनुज्ञात अंतः उपयोग के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार के आगमन का उपयोग करेगी या उनका उपयोग कर लिया है;
- (घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे शेयर को तब तक गिरवी नहीं रखेगा, जब तक प्राधिकृत डीलर बैंक से यह अनापत्ति प्राप्त नहीं कर ली गई हो कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया गया है।

(ii) भारत से बाहर कोई निवासी व्यक्ति, जो भारतीय कंपनी या विनिधान यान की यूनिटों में साम्या लिखत धारण करता है, यथास्थिति, साम्या लिखतों या यूनिटों को,-

- (क) सद्भावी प्रयोजनों के लिए, ऐसी भारतीय कंपनी को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भारत में किसी बैंक के पक्ष में;
- (ख) ऐसे व्यक्ति को या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को, जो ऐसी भारतीय कंपनी का या ऐसी भारतीय कंपनियों के विदेशी समूह कंपनी का संप्रवर्तक है, को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंक के पक्ष में;
- (ग) सद्भावी प्रयोजनों के लिए, ऐसी भारतीय कंपनी को दी जा रही प्रत्यय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्री कृत गैर-वैंककारी वित्तीय कंपनी के पक्ष में;
- (घ) इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा नियत शर्तों के अनुपालन का स्वयं का समाधान करने वाले प्राधिकृत डीलर बैंक के अधीन रहते हुए गिरवी रख सकेगा।

(iii) गिरवी के आह्वान के मामले में भारतीय कंपनी या यूनिटों के साम्या लिखतों का अंतरण प्रवेश मार्गों, सेक्टरीय सीमाओं या विनिधान परिसीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और गिरवी के सृजन के समय अन्य विद्यमान शर्तों के अनुसार होगा।

(9क) साम्य लिखतों और साम्य पूंजी की आपस में अदला-बदली - किसी भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का भारत के निवासी किसी व्यक्ति और भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति के बीच, -

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुपालन में साम्य लिखतों की अदला-बदली;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों, जिसके अंतर्गत [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(विदेशी विनिधान\) नियम, 2022](#) और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियम है, के अनुपालन में किसी विदेशी कंपनी की साम्य पूंजी की अदला-बदली, माध्यम से अंतरण:

परंतु जहां कहीं सरकारी अनुमोदन लागू होता है, सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "साम्य पूंजी" का वही अर्थ होगा, जो उसका समय- समय पर यथा संशोधित [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(विदेशी विनिधान\) नियम, 2022](#) में है।²⁸

अध्याय 4

विदेशी संविभाग विनिधानकर्ताओं (एफपीआई) द्वारा विनिधान

10. एफपीआई द्वारा विनिधान -- एफपीआई निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे:-

(1) एफपीआई किसी भारतीय कंपनी जो मान्यता प्राप्त भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध की जानी है की साम्या लिखतों का क्रय या विक्रय, और/अथवा साम्या लिखतों से भिन्न अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय अनुसूची 2 विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए कर सकेंगे।

टिप्पण -एफपीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं और अनुसूची - 2 में विहित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार या विनिधान कर सकेंगे।

²⁸दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

(2) एफपीआई अनुसूची 10 में यथा विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए भारत के बाहर निवासी और भारतीय पूंजी बाजार में जारी कंपनियों के भारतीय निक्षेप प्राप्तियों (आईडीआरएस) का क्रय, उन्हें धारित या उनका विक्रय कर सकेंगे।

11. एफपीआई द्वारा भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों का अंतरण — इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई की साम्या लिखतों को धारण करने वाले एफपीआई, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन विहित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए, उनके द्वारा धारित साम्या लिखतों या इकाइयों को अंतरित कर सकेंगे:

परंतु यह कि,-

- (i) यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित इस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;
- (ii) जहां इन नियमों की अनुसूची 2 के अधीन एफपी आई द्वारा किया गया साम्या लिखतों का अर्जन लागू सकल एफपीआई सीमाओं या क्षेत्रीय सीमाओं को भंग करता है, वहां अनुसूची 2 के पैरा (1) के उप-पैरा (क) की मद (iii) के उपबंध लागू होंगे।²⁹

अध्याय 5

भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान, जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक भी है।³⁰

12. भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत एनआरआई या ओसीआई भी है, निम्नानुसार विनिधान कर सकेंगे³¹:-

²⁹ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

³⁰ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

³¹ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

(1)³² भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति संप्रत्यावर्तन के आधार पर, अनुसूची III में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधधीन, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कर सकेगा।

परंतु भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान को, जिसके परिणामस्वरूप सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण किसी ऐसे देश की संस्थाओं या नागरिकों को होता है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है या जहां ऐसे विनिधान का फ़ायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।;

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

क) "एक भारतीय कंपनी का स्वामित्व" का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन यथा निर्दिष्ट है।

ख) "फ़ायदाप्रद स्वामी" का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (चक) में दिया गया है, और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(2) एनआरआई या ओसीआई गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों या अन्य प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय अथवा सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म या संपत्तिक समुत्थान में पूंजी का अभिदाय कर सकेंगे।

'टिप्पण - एनआरआई या ओसीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं और अनुसूची 3 में विहित शर्तों के अधधीन रहते हुए, समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी विनिमय व्यापार व्युत्पन्न संविदाओं में व्यापार या विनिधान कर सकेंगे।

(3) एनआरआई या ओसीआई अनुसूची 10 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए भारत के बाहर निवासी और भारतीय पूंजी बाजार में जारी कंपनियों के भारतीय निक्षेप प्राप्तियों (आईडीआरएस) का क्रय, उन्हें धारित कर सकेंगे या उनका विक्रय कर सकेंगे।

³² दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

13. भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत एनआरआई या ओसीआई भी हैं, द्वारा साम्या लिखतों का हस्तांतरण - इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या यूनिटों की साम्या लिखतों को धारण करने वाला भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, इन नियमों की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में और उसके अधीन उपबन्धित निबंधनों और शर्तों के अधीन, उसके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या यूनिटों को अन्तरित कर सकेगा:³³

(1) संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या यूनिटों की साम्या लिखतों को धारण करने वाला भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति को, उन्हें भी बाहर के किसी व्यक्ति को विक्रय या दान के माध्यम से अंतरण कर सकेगा; परंतु यदि कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है तो उस दशा में किसी अंतरण के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा अंतरण, जिसके परिणामस्वरूप सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण का अंतरण किसी ऐसे देश की संस्थाओं या नागरिकों को होता है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है या जहां ऐसे विनिधान का फ़ायदाप्रद स्वामी ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, तो सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

क) "भारतीय कंपनी का स्वामित्व" का वही अर्थ होगा जो इन नियमों के नियम 23 के अधीन परिभाषित किया गया है।

ख) "फ़ायदाप्रद स्वामी" का अर्थ वही होगा जो धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (चक) में दिया गया है, और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए धन-

³³ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।³⁴

(2) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या इकाइयों में साम्या लिखतें धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता प्रवेश मार्गों, क्षेत्रीय कैपों या विनिधान सीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांतों और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए यथा लायू अन्य तत्संबद्ध शर्तों के अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए, विक्रय के माध्यम से भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को ,अंतरित कर सकेंगे और ऐसे अंतरण के लिए प्रलेखीकरण और रिपोर्टिंग अपेक्षाएं वह होगी जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श करके विनिर्दिष्ट की जाए।

परंतु प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय कैपों या विनिधान सीमाएं या कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य तत्संबद्ध शर्तें ऐसे विनिधान का अर्जन करने वाले एनआरआई या ओसीआई या इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता को अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे।

(3) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी में साम्या लिखतें या इकाईयां धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता, विहित रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दान के माध्यम से भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उन्हें अंतरित कर सकेंगे,

अर्थात् :-

- (i) दाता इन नियमों की सुसंगत अनुसूची के अधीन ऐसी प्रतिभूति धारण करने के लिए पात्र हो;
- (ii) दान भारतीय कंपनी या प्रत्येक म्यूचल फंड स्कीम की समादत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो; स्पष्टीकरण - पांच प्रतिशत किसी एकल व्यक्ति द्वारा दूसरे एकल व्यक्ति को संचयी आधार पर होगा।
- (iii) भारतीय कंपनी में लागू क्षेत्रीय कैप का भंग नहीं किया गया है;
- (iv) दाता और अदाता कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) के अर्थों में "संबंधी" होंगे;

³⁴ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

(v) दाता द्वारा अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति का मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान दान के रूप में भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को अंतरित की गई किसी प्रतिभूति के साथ यूएसडी पचास हजार के समतुल्य रुपयों से अधिक नहीं होगा;

(vi) ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्रीय सरकार द्वारा लोक हित में आवश्यक समझी जाए।

(4) गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनी या इकाइयों में साम्या लिखतें धारण करने वाले एनआरआई या ओसीआई अथवा इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन पात्र विनिधानकर्ता, इन नियमों की अनुसूची 4 के अधीन किसी एनआरआई या ओसीआई या पात्र विनिधानकर्ता को दान के माध्यम से उसे अंतरित कर सकेगा जो उसे गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर धारित करेगा।

(5) तत्कालीन ओसीबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों के अध्वधीन रहते हुए साम्या लिखतों का अंतरण कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण - "विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी)" से विदेशी विनिमय प्रबंधन [विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) को साधारण अनुज्ञा का प्रत्याहरण] विनियम, 2003 के माध्यम से अमान्यता प्राप्त की गई इकाई अभिप्रेत है।

अध्याय 6

अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा विनिधान

14. अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियों में विनिधान -- अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता अनुसूची 5 में विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा।

15. अन्य अनिवासी विनिधानकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण -- इन नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों को धारण करने वाले अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता अनुसूची 5 में विहित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए प्रतिभूतियों का अंतरण कर सकेंगे।

अध्याय 7

विदेशी कंपनी पूंजी विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान

16. एफवीसीआई द्वारा विनिधान - विदेशी कंपनी पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई) अनुसूची 7 में विहित रीति में और निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए विनिधान कर सकेंगे।

17. एफवीसीआई को या द्वारा किसी भारतीय कंपनी की साधारण शेयरों की लिखत का अंतरण - इन नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी या इकाई में साम्या लिखतों को धारण करने वाले एफवीसीआई या भारत में निवासी व्यक्ति इन नियमों के अनुसूची 7 में विहित या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिजर्व बैंकद्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अनुपालन में उसके द्वारा इस प्रकार धारित साम्या लिखतों या इकाईयों का अंतरण कर सकेंगे।

अध्याय 8

साधारण उपबंध

18. भारतीय स्टार्ट अप कंपनी द्वारा संपरिवर्तनीय नोटों का निर्गम - (1) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है या कोई ऐसा अस्तित्व है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में रजिस्ट्रीकृत या निगमित है) एकल अंश में पांच लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए किसी भारतीय स्टार्ट अप कंपनी द्वारा जारी संपरिवर्तनीय नोटों का क्रय कर सकेगा।

(2) ऐसी स्टार्ट अप कंपनी, जो ऐसे किसी सेक्टर में लगी हुई है, जहां भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान में सरकारी अनुमोदन की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे अनुमोदन के साथ ही भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को संपरिवर्तनीय नोट जारी कर सकेगी और ऐसे संपरिवर्तनीय नोटों के प्रति साधारण शेयरों का निर्गम विदेशी विनिधान के लिए किसी प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विषयक सीमाओं, कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों और अन्य आनुषंगिक शर्तों के अनुपालन में होगा।

(3) संदाय का ढंग या विक्रय या परिपक्वता आगमों के प्रति प्रेषण के लिए अन्य आनुषंगिक शर्तें।

(4) अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक इन नियमों के अनुसूची 4 के अनुसार, गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर संपरिवर्तनीय नोट अर्जित कर सकेंगे।

(5) भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, भारत में या भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति से या उसको विक्रय के माध्यम से संपरिवर्तनीय नोटों को अर्जित कर सकेगा या उन्हें अंतरित कर सकेगा परंतु तब जब अंतरण पूंजी लिखतों के लिए यथाविहित प्रवेश मार्गों और कीमत निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

19. भारतीय कंपनियों का विलयन या अविलयन अथवा सम्मेलन –

(1) जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों की समझौता या व्यवस्था या विलयन या सम्मेलन की स्कीम या भारतीय कंपनी के अविलयन के माध्यम से या अन्यथा पुनःसंनिर्माण, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, वहां, यथास्थिति, अंतरिती कंपनी या नई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, भारत के बाहर निवासी अंतरक कंपनी के विद्यमान धारकों को साम्या लिखतें जारी कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) अंतरण या निर्गम, यथास्थिति, प्रवेश मार्ग, सेक्टरल सीमाओं या विनिधान सीमाओं के और भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान की आनुषंगिक शर्तों के अनुपालन में है:

परंतु जहां प्रतिशतता से सेक्टर सीमाओं या आनुषंगिक शर्तों के भंग होने की संभावना है, वहां अंतरक कंपनी या अंतरिती अथवा नई कंपनी केंद्रीय सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगी;

(ख) अंतरक कंपनी या अंतरिती कंपनी या नई कंपनी, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा विनिधान के लिए प्रतिषिद्ध किसी सेक्टर में कार्य नहीं करेगी।

टिप्पण: सरकारी अनुमोदन स्वचालित माध्यम के अधीन सेक्टरों में विलय और अधिग्रहणों के मामले में सरकारी अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।³⁵

(2) जहां दो या अधिक भारतीय कंपनियों के समझौता या व्यवस्था या³⁶ विलयन या समामेलन या किसी भारतीय कंपनी का अविलयन के माध्यम से या अन्यथा पुनःनिर्माण की स्कीम है, वहां अंतर्विलित कंपनियां में से कोई भी अंतर्विलित कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक पर सूचीबद्ध है, वहां तब प्रबंधन की स्कीम सेबी (वाध्यता का सूचीबद्ध करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में होगी।

20. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं - भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में किसी विनिधान के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगी।

21. कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत - (1) इन नियमों में विहित कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अनुसार किए गए विक्रय के माध्यम से किसी अंतरण के लिए लायू नहीं होगी जहां कीमत निर्धारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(2) इन नियमों में अन्यथा विहित के सिवाय, भारतीय कंपनी की साम्या लिखतों की कीमत निम्नानुसार होगी

—

(क) ऐसी कंपनी द्वारा भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी निम्नलिखित से कम नहीं होगी

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्या का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार तय की गई कीमत;

³⁵ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

³⁶ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा अंतःस्थापित

(ii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेन्ट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रुप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रुप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन।

स्पष्टीकरण: संपरिवर्तनीय साम्या लिखतों के मामले में, लिखत की कीमत या संपरिवर्तन का फार्मूला लिखत के निर्गम से पहले निर्धारित किया जाएगा। संपरिवर्तन के समय कीमत किसी भी दशा में इन नियमों के अनुसार, ऐसी लिखतों के निर्गमन के समय तय उचित मूल्य से कम नहीं होगी।³⁷

(ख) भारत में निवासी व्यक्ति से भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को अंतरण निम्नलिखित से कम नहीं होगा -

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तय की गई कीमत;

(ii) कीमत जिस पर, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में यथालायू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन शेयरों के अधिमानी आबंटन किए जा सकते हैं;

(iii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेन्ट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रुप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रुप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन।

³⁷ [दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 \(अ\) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम \(गैर-ऋण लिखत\) \(संशोधन\) नियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित](#)

(ग) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी व्यक्ति को अंतरण निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा--

(i) सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तय की गई कीमत;

(ii) कीमत जिस पर, सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसार असूचीकरण प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनी की दशा में यथालागू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन शेयरों के अधिमानी आवंटन किए जा सकते हैं; परंतु सुसंगत तारीख से पूर्व भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए कीमत अवधारित की जाती है जो शेयरों के क्रय या विक्रय की तारीख होगी।

(iii) असूचीबद्ध भारतीय कंपनी की दशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेन्ट बैंकर या व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा भुजा लंबाई आधार पर सम्यक रूप से प्रमाणित मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार किया गया साम्या लिखतों का मूल्यांकन;

स्पष्टीकरण - मार्गदर्शक सिद्धांत यह होंगे कि भारत के बाहर निवासी व्यक्ति ऐसे विनिधान या करार को करते समय ऐसी सुनिश्चित निकास कीमत को प्रतिभूत नहीं करेंगे और निकास के समय विद्यमान कीमत पर निर्गम होंगे।

(iv) साम्या लिखतों के विनियम की दशा में इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रकम पर ध्यान दिए बिना विनियम व्यवस्था में अंतर्वलित मूल्यांकन, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत मर्चेन्ट बैंकर या मेजबान देश में समुचित विनियामक प्राधिकरण के साथ भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत विनिधान बैंकर द्वारा किया जाना चाहिए;

(v) जहां संगम ज्ञापन में अंशदान के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुपालन में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भारतीय कंपनी में शेयर जारी किए जाते हैं तो ऐसा विनिधान प्रवेशमार्ग और क्षेत्रीय कैपों के अध्यक्षीन रहते हुए अंकित मूल्य पर किया जाएगा;

(vi) शेयर वारंट की दशा में उनकी कीमत का निर्धारण और कीमत या संपरिवर्तन सूत्र अग्रिम अवधारित किया जाएगा।

परंतु यह कीमत निर्धारण मार्गदर्शक निर्धारण सिद्धांत गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा साम्या लिखतों के आधार पर लागू नहीं होंगे।

22. कर और विक्रय आगमों का प्रेषण - (1) कर- इन नियमों के अधीन सभी संव्यवहार भारत में वैकिंग चैनल के माध्यम से और भारत में लागू करें और अन्य शुल्कों या उद्दहणों के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए किए जाएंगे।

(2) विक्रय आगम का प्रेषण - (क) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा धारित किसी भारतीय प्रतिभूति के विक्रय आगम का प्रेषण इन नियमों, सुसंगत अनुसूची में विहित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार से भिन्न नहीं किया जाएगा।

(ख) एक प्राधिकृत व्यवहारी भारत के बाहर निवासी शेयरों के विक्रेता को (लागू करें का योग) प्रतिभूति के विक्रय आगमों का प्रेषण अनुज्ञात कर सकेगा।

परंतु यह कि

(i) प्रतिभूति विक्रेता द्वारा संप्रत्यावर्तन आधार पर धारित हो; और

(ii) प्रतिभूति कीमत निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में विक्रय की गई है या प्रतिभूतियों के विक्रय और इस प्रकार विक्रय आगमों आदि के प्रेषण के लिए अन्य मामलों में रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

23. अनुप्रवाह विनिधान - (1) भारतीय अस्तित्व जो अप्रत्यक्ष विनिधान से ग्रहण किया गया है, विदेशी विनिधान के लिए यथा लागू प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय कैपो, मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य तत्संबद्ध दशाओं का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण - सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) द्वारा अनुप्रवाह विनिधान जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर सरने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है सेक्टर में चल रही भारती कम्पनी में वहां अनुज्ञात किया जाता जहां एक सौ प्रतिशत तक विदेशी विनिधान स्वतः मार्ग के अधीन अनुज्ञात किया जाता है और कोई प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान संबंध निष्पादन शर्तें नहीं हैं।

(2) 31 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त कॉर्पोरेट पुनर्संरचना के अधीन किया गया अनुप्रवाह विनिधान या अन्य ऋण पुनर्संरचना तंत्र, या व्यापार पुस्तक में या ऋण व्यतिक्रम के कारण शेयरों को अर्जन के लिए, किसी बैंकिंग कम्पनी द्वारा जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 खंड (ग) में परिभाषित किया गया है, भारत में निगमित है, जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है या भारत कि बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में गिना नहीं जायेगा तथापि उसका नीतिगत अनुप्रवाह विनिधान कम्पनी जिसमें ऐसा विनिधान किया गया है के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में गिना जायेगा।

(3) भारतीय कम्पनीयों में कुल विदेशी विनिधान संगणना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न प्रकार है -

(क) कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर निवासी है, द्वारा कोई साम्या धारण किया गया है किसी करार के अधीन किसी ऋण लिखत के संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल विदेशी विनिधान के रूप में संगणित होगा।

(ख) ऋण की प्रकृति में लिखित के अन्तर्निहित वाले एफसीसीबीएस और डीआरएस की कुल विदेशी विनिधान के लिए संगणना नहीं की जायेगी।

(ग) कुल विदेशी विनिधान की संगणना करने के लिए विधि तंत्र भारतीय कम्पनीयों में विनिधान के प्रत्येक स्तर पर लागू होगा और इस प्रकार हर और प्रत्येक भारतीय कम्पनी में लागू होगा।

(घ) अनुप्रवाह विनिधान के उद्देश्य के लिए संविभाग विनिधान जो अनुप्रवाह विनिधान करने के लिए भारतीय कम्पनी में पिछले वित्त वर्ष में 31 मार्च को किया गया है उसका कुल विदेशी विनिधान संगणना के लिए विचार लिया जायेगा।

(ड) किसी भारतीय कम्पनी के किसी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी द्वारा ग्रहण किया गया अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान अनुप्रवाह विनिधान की गई कम्पनी द्वारा ग्रहण कुल विदेशी विनिधान को सीमित करेगा।

(4) विनिधानकर्ता अस्तित्व के लिए, अनुप्रवाह विनिधान जो अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना गया है निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन होना अर्थात् —

(क) अनुप्रवाह विनिधान बोर्ड के निदेशक जो शेयर धारक भी है का अनुमोदन प्राप्त करेगा, करार, यदि कोई हो।

(ख) अनुप्रवाह विनिधान के प्रयोजन के लिए अनुप्रवाह विनिधान करने वाले भारतीय अस्तित्व विदेश से अपेक्षित निधि लायेगा और घरेलू बाजार से उधार ली गई निधि में उपयोग नहीं करेगा और अनुप्रवाह विनिधान आंतरिक प्रोद्धवन के माध्यम किया जा सकेगा और इस प्रयोजन के लिए आंतरिक प्रोद्धवन कर के संदाय करने के पश्चात आरक्षित खाते के लिए अंतरित लाभ अभिप्रेत होगा: आगे ऋण का जुटाना और इसका उपयोग अधिनियम, नियमों या इसके अधीन बने विनियमों के अनुपालन में होगा।

(5) किसी भारतीय कंपनी के साम्य विनिधान, जो अन्य भारतीय कंपनी द्वारा धारित किए गए हैं, जिसने विदेशी विनिधान ग्रहण किया है और निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है--

(क) रिजर्व बैंक द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्ट के अध्याधीन भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को;

(ख) मूल्य निर्धारण मार्गदर्शक सिद्धांत के लिए अनुपक्ति के अध्याधीन भारत में निवासी किसी व्यक्ति को;

(ग) कोई भारतीय कंपनी, जिसने विदेशी विनिधान ग्रहण किया है और निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, को अंतरित किए जा सकेंगे।

(6) अनुप्रवाह विनिधान करने वाली पहली स्तरीय भारतीय कंपनी दूसरे स्तर पर और आदि और आगे इसके द्वारा किए गए अनुप्रवाह विनिधान के लिए उन नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी पहली स्तरीय कंपनी वार्षिक आधार पर इसके कानूनी लेखा परीक्षक से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी और इन नियमों के ऐसे अनुपालन भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट में उल्लेखित होंगे। कानूनी लेखा परीक्षक की दशा में अर्हित रिपोर्ट दी जाए, वैसी ही स्थिति रिजर्व

बैंक, जिसकी अधिकारिता में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के प्रादेशिक कार्यालय की जानकारी में तत्काल लाई जाएगी और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से अभिस्वीकृति प्राप्त भी की जाएगी।

(7) नियम 23 के उपबंध (5) और (6) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

टिप्पण: अनुप्रवाह विनिधान, जो कि 13 फरवरी, 2009 के पहले विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसरण किए गए विनिधानकर्ता अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माने गए हैं, इन नियमों के पुष्टिकरण के लिए कोई उपांतरण अपेक्षित नहीं होगा और सभी ऐसे विनिधान, उक्त तारीख के पश्चात् इन नियमों की परिधि के अधीन आएंगे।

अनुप्रवाह विनिधान जो कि 13 फरवरी, 2009 और 21 जून, 2013 के बीच किया गया विनिधाकर्ता के अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना है, जिसकी इन नियमों के साथ पुष्टि नहीं की है। इन नियमों में ऐसे मामले को परिवाद के रूप में मानने के लिए 3 अक्टूबर, 2013 तक रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण:-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए,--

(क) किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व से ऐसी कंपनी के साम्य लिखतों के पचास प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला फायदाग्राही अभिप्रेत होगा और "किसी सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्व (एलएलपी)" से अपनी पूंजी में पचास प्रतिशत से अधिक के अंशदान और बहुसंख्या लाभ शेयर रखता है, अभिप्रेत है;

(ख) "निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्वाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिक में और/या भारतीय कंपनी में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जा रही है, अभिप्रेत है और "निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व वाली सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से किसी सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय अस्तित्व में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी नागरिक द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जा रही है, अभिप्रेत है;

(ग) "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है, अभिप्रेत है और "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है, अभिप्रेत है;

(घ) [***]³⁸

(ङ) "निवासी भारतीय नागरिक के नियंत्रणाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय कंपनी में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है और "निवासी भारतीय नागरिक के नियंत्रणाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जिसका नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिक और/या भारतीय अस्तित्व में निहित है, जो अंततोगत्वा निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है;

(च) "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी, जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण में है, अभिप्रेत है और "भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रणाधीन सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)" से कोई सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), जो भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के नियंत्रण में है, अभिप्रेत है;

(छ) "अनुप्रवाह विनिधान" से किसी भारतीय अस्तित्व द्वारा किया गया विनिधान, जो इसमें कुल विदेशी विनिधान रखता है या पूंजी लिखत में कोई विनिधान यान पर पूंजी जैसी भी स्थिति हो, की अन्य भारतीय अस्तित्व अभिप्रेत है;

³⁸ [दिलांक 16.08.2024 के क.आ. 3492\(अ\) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम \(गैर-ऋण लिखत\) \(चौथा संशोधन\) नियम, 2024 द्वारा विलोपित](#)

(ज) "नियंत्रि कंपनी" से समान अर्थ अभिप्रेत है, जो इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन समनुदेशित किया गया है;

(झ) "अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान" से किसी भारतीय अस्तित्व द्वारा ग्रहण किया गया अनुप्रवाह विनिधान --

(क) कोई अन्य भारतीय अस्तित्व (आईई), जो विदेशी विनिधान से ग्रहण किया गया है और (i) भारतीय अस्तित्व, जो निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है; या.

(ख) कोई विनिधान यान, जिसका प्रायोजक या प्रबंधक या विनिधान प्रबंधक (i) निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अभिप्रेत है:

परंतु कोई भारत में निवासी व्यक्ति किसी भारतीय अस्तित्व के अलावा अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान ग्रहण नहीं कर सकता।

स्पष्टीकरण -- भारतीय अस्तित्व, जो किसी अनिवासी भारतीय या किसी भारत के विदेशी नागरिक, जिसके अंतर्गत कंपनी, न्यास के स्वामित्व या नियंत्रण और किसी अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक के स्वामित्व और नियंत्रण में है, द्वारा इन नियमों की अनुसूची 4 की अनुपालना में गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर किए गए विनिधान को अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान की गणना करने के लिए विचार में नहीं लाया जाएगा।³⁹

(ञ) "कुल विदेशी विनिधान" से विदेशी विनिधान का कुल और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान तथा उसी प्रकार के पूर्ण तनुकृत आधार पर संगणना से अभिप्रेत होगा;

³⁹ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

(ट) "नीति अनुप्रवाहविनिधान" से अपनी समनुषंगी में भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा विनिधान सह उद्यम और सहयुक्त अभिप्रेत है।

अध्याय 9

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन और अंतरण)

24. किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत में संपत्ति का अर्जन और अंतरण--एक अनिवासी भारतीय या एक विदेशी नागरिक

(क) किसी कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान संपत्ति के अलावा भारत में स्थावर संपत्ति अर्जन कर सकेगा: परंतु अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई हो :

(i) भारत से बाहर किसी स्थान से आवक विप्रेषणादेश द्वारा बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में निधि ग्रहण किया जाएगा;
या

(ii) अधिनियम, नियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार पोषित किसी अनिवासी खाते में धारित निधियों से किया जाएगा:
परंतु यह और कि स्थावर संपत्ति का कोई अंतरण करने के लिए कोई संदाय इस खंड के अधीन अनुज्ञात विनिर्दिष्ट रीति के अलावा या तो यात्री चेक विदेशी करेंसी नोट या अन्य रीति द्वारा नहीं किया जाएगा;

(ख) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से या किसी अनिवासी भारतीय से या किसी विदेशी नागरिक से दान के द्वारा, कृषि भूमि या फार्म हाऊस या बागान संपत्ति के अलावा भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अर्जन, जो किसी मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) में यथा परिभाषित से संबंधित है;

(ग) भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति से उत्तराधिकार द्वारा भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अर्जन, जिसने ऐसी संपत्ति--

(i) उसके द्वारा अर्जन के समय पर प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधि के उपबंधों के अनुसार या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अर्जित की है;

(ii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से अर्जित की है;

(घ) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण;

(ङ) किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक को कृषि भूमि या फार्म हाउस या बागान संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति का अंतरण।

25. किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी भारतीय नागरिक के पति या पत्नी द्वारा संयुक्त अर्जन : कोई अनिवासी भारतीय या कोई विदेशी भारतीय नागरिक न होते हुए भारत से बाहर निवासी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी भारतीय नागरिक का पति या पत्नी हैं, अपने अनिवासी भारतीय या विदेशी भारतीय नागरिक पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि या फार्म हाउस या बागान सम्पत्ति से भिन्न) का अर्जन कर सकेगा;

परंतु -

(क) अंतरण के लिए प्रतिफल-

(i) भारत से बाहर किसी स्थान से आवक विप्रेषणादेश द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में निधि ग्रहण किया जाएगा; या

(ii) अधिनियम के उपबंधों और रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए किसी अनिवासी के खाते में धारित निधि से किया जाएगा;

(ख) स्थावर सम्पत्ति के किसी अंतरण के लिए कोई संदाय या तो यात्रि चेक द्वारा या विदेशी मुद्रा नोट द्वारा या किसी ऐसे अन्य माध्यम द्वारा जिसे इस खंड के अधीन विशिष्ट रूप से अनुज्ञात किया गया है से भिन्न नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि विवाह रजिस्ट्रिकृत किया गया है और ऐसी समसि के अर्जन से ठीक पिछले दो वर्षों से अन्युन अवधि से लगातार इसका निर्वाह किया गया है

परंतु यह और की अनिवासी पति या पत्नी ऐसे अर्जन से अन्यथा निषिद्ध है।

26. अनुज्ञात क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए स्थावर संपत्ति का अर्जन - भारत से बाहर निवासी कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी शाखा कार्यालय या किसी संपर्क कार्यालय या किसी परियोजना कार्यालय या कारबार के किसी अन्य स्थान की भारत के स्थापन) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित किसी संपर्क कार्यालय के अपवर्जन करते हुए कोई क्रियाकलाप भारत में किसी शाखा कार्यालय या कारबार के लिए अन्य स्थान पर चलाया जा रहा है;

(क) भारत में कोई स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकेगा, जो ऐसे क्रियाकलाप को चलाने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो:

परंतु -

(i) तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों, नियम और विनियम का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए; और

(ii) व्यक्ति, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट आईपीआई प्ररूप में एक घोषणा पत्र रिजर्व बैंक में फाइल करे, जो ऐसे अर्जन की तारीख से नब्बे दिनों के पश्चात् न हो;

(ख) किसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी प्राधिकृत व्यवहारी के लिए बंधक द्वारा संपत्ति का अंतरण, नियम 26 के खंड (क) के अनुसरण में अर्जित की गई स्थावर संपत्ति:

परंतु पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चायना या ईरान या हांगकांग या मकाऊ या नेपाल या भूटान या कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) का कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, पांच वर्ष से अधिक के लिए स्थावर संपत्ति अर्जित नहीं करेगा।

27. विदेशी राजदूतावासों या राजनयिकों या महाकौसलावास द्वारा स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय--कोई विदेशी राजदूतावास या राजनयिक या महाकौसलावास भारत में कृषि भूमि, बागान संपत्ति या फार्म हाऊस के सिवाय स्थावर संपत्ति का क्रय या विक्रय कर सकेगा परंतु:

(i) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय से ऐसे क्रय या विक्रय के लिए समाशोधन प्राप्त करेगा; और

(ii) भारत में स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए प्रतिफल बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश से प्रेषित निधि से संदाय किया जाएगा।

28. किसी लंबी अवधि वीजा धारक द्वारा अर्जन - कोई व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक होते हुए इन देशों में अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई से संबंधित है, जो भारत में निवास करता है और केंद्रीय सरकार द्वारा लंबी अवधि वीजा (एलटीवी) दिया गया है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन, स्वतः अधिभोग के लिए निवास एकक के रूप में भारत में एक आवासीय स्थावर संपत्ति और स्वतः नियोजन चालान के लिए केवल एक स्थावर संपत्ति क्रय कर सकेगा, अर्थात्:--

(क) संपत्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित निर्बंधित या संरक्षित क्षेत्र में और ईद-गिर्द और छावनी क्षेत्र में अवस्थित नहीं होगी;

(ख) व्यक्ति उस जिले के राजस्व प्राधिकारी को, जहां संपत्ति अवस्थित है, निधि के स्रोत को विनिर्दिष्ट करते हुए और कि वह 'एलटीवी पर भारत में निवास कर रहा है, एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा;

(ग) संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में राष्ट्रीयता और तथ्य कि ऐसा व्यक्ति एलटीवी पर है, उल्लेखित होंगे;

(घ) ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उसके भारत विरोधी क्रियाकलाप में शामिल होने पर कुर्क या अधिग्रहित की जा सकेगी;

(ड) क्रय संपत्ति के दस्तावेज की एक प्रति पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) या विदेशी रजिस्ट्री कृत कार्यालय (एफआरओ) या संबंधित विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय (एफईआरओ) और गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) को प्रस्तुत की जाएगी;

(च) ऐसा व्यक्ति केवल भारतीय नागरिकता ग्रहण के पश्चात् संपत्ति विक्रय करने के लिए पात्र होगा तथापि नागरिकता ग्रहणकरने से पहले संपत्ति का अंतरण करने के लिए संबंधी डीसीपी या एफआरओ या एफआरआरओ का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

29. विक्रय आगमों का संप्रत्यावर्तन - (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी रिजर्व बैंक की साधारण या विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के सिवाय उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय आगमों का भारत से बाहर संप्रत्यावर्तन नहीं करेगा।

(2) भारत में एनआरआई या ओसीआई द्वारा कृषि भूमि, फार्म हाउस या बागान संपत्ति से भिन्न स्थावर संपत्ति के विक्रय की दशा में प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर विक्रय आगमों के संप्रत्यावर्तन को अनुज्ञात कर सकेगा, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों, अर्थात्:-

(क) विक्रेता द्वारा अर्जन के समय प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधि के उपबंधों के अनुसार या इन नियमों के उपबंधों के स्थावर संपत्तिअर्जित की गई थी;

(ख) स्थावर संपत्ति के अर्जन के लिए रकम, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता या अनिवासी बाह्य खाता में धारित निधियों में से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा में संदत्त की गई थी;

(ग) निवासिय संपत्ति की दशा में विक्रय आगमों का संप्रत्यावर्तन दो से अनधिक ऐसी संपत्तियों तक निर्वधित है।

(3) समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अधीन भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्संदाय की

असफलता की दशा में बैंक जो एक प्राधिकृत व्यापारी है, समुद्रपारीय उधारदाता या प्रतिभूति न्यासी (जिसके पक्ष में ईसीबी को प्रतिभूत करने के लिए स्थावर संपत्ति पर प्रभार सृजित किया गया है) को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि उस स्थावर संपत्ति का विक्रय केवल भारत में निवासी किसी व्यक्ति को (के द्वारा) कर सके जिस पर उधार प्रतिभूत किया गया था और उस उधार के संबंध में न कि किसी अन्य उधार के संबंध में बकाया शोध्यों के लिए विक्रय आगमों को संप्रत्यावर्तित कर सके।

30. भारत में स्थावर संपत्ति के अंतरण पर प्रतिषेध- (1) अधिनियम या नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा:
परंतु यह कि: -

(क) रिजर्व बैंक, पर्याप्त कारणों से ऐसी शर्तों के अधीन जो आवश्यक समझी जाएँ, अंतरण को अनुज्ञात कर सकेगा;

(ख) कोई बैंक जो कि प्राधिकृत व्यापारी है, रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त जारी किए गए निदेशों के अधीन रहते हुए भारत में निवासी किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति को इस बात के लिए अनुज्ञात कर सकेगा कि वह भारत में अपनी स्थावर संपत्ति पर किसी समुद्रपारीय उधारदाता या प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अधीन लिए गए किसी बाह्य वाणिज्यिक उधार को प्रतिभूत करने के लिए प्रभार सृजित करे;

(ग) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी समुद्रपारीय उधारदाता का संपर्क होते हुए इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन रहते हुए भारत से बाहर कंपनी का निदेशक होते हुए एनआरआई या ओसीआई द्वारा भारत में स्वामित्वाधीन स्थावर संपत्ति पर उक्त समुद्रपारीय उधारदाता से कंपनी द्वारा लिए जाने वाले उधार के लिए बंधक सृजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि :-

(i) निधियों का उपयोग उधार लेने वाली कंपनी द्वारा केवल इसके समुद्रपारीय केन्द्रित कारबार के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा;

(ii) प्रभार के अभिचार की दशा में, भारतीय बैंक पात्र अर्जक को स्थावर संपत्ति का विक्रय करेगा और विक्रय आगमों को समुद्रपारीय उधारदाता को प्रेषित करेगा।

(2) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे अर्जन के समय प्रवृत्त विदेशी मुद्रा विधियों के अनुसरण में या रिजर्व बैंक की साधारण या विनिर्दिष्ट अनुज्ञा से भारत में किसी स्थावर संपत्ति को अर्जित किया है, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का अंतरण कर सकेगा बशर्ते यह संव्यवहार भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो, परंतु यह और कि निवासी ऐसे अर्जन से अन्यथा प्रतिषिद्ध न हो।

31. कतिपय देशों के नागरिकों द्वारा भारत में स्थावर संपत्ति के अंतरण या अर्जन पर प्रतिषेध- कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान, हांगकांग या मकाऊ या कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) का नागरिक है रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा के बिना पांच वर्ष से अनधिक पट्टा से भिन्न, भारत में स्थावर संपत्ति का अर्जन या अंतरण नहीं करेगा:

परंतु यह कि यह प्रतिषेध ओसीआई को लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए "नागरिक" शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक अस्तित्व सम्मिलित होंगे।

32. प्रकीर्ण- इस नियमों के अधीन स्थावर संपत्ति के अर्जन या अंतरण को अंतर्वलित करने वाला कोई संव्यवहार:-

(क) भारत में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) भारत में लागू करें और अन्य शुल्कों या उद्ग्रहण के संदाय के अधीन रहते हुए किया जाएगा

33. व्यावृत्ति- भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थावर संपत्ति की विद्यमान धारिता को जो ऐसे अर्जन के समय अस्तित्व में रहने वाली किसी नीति के अनुसरण में हुई है, इन नियमों के अनुरूप होने के लिए किन्हीं उपांतरणों की अपेक्षा नहीं होगी।

**भारत में निगमित और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के साधारण शेयरों में
अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान**

34. अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान .- (1) अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान कोई अनुज्ञेय धारक पब्लिक भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकेगा जो अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट "अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करना स्कीम" के अधीन अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध किया जाना है।

(2) संदाय का ढंग और निर्गम के आगम के प्रेषण के लिए अन्य अनुवर्ती शर्तें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

अनुसूची 1

(नियम 6(क) देखें)

भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद या बिक्री
(1) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी की इक्विटी लिखतों की खरीद या बिक्री।

(क) एक भारतीय कंपनी भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को इस अनुसूची में विहित प्रवेश मार्ग, क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित सीमा और अनुवर्ती शर्तों के अधीन इक्विटी लिखित जारी कर सकती है।

(ख) भारत के बाहर रह रहा कोई व्यक्ति भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी लिखतों को खरीद सकता है:

⁴⁰ दिनांक 24.01.2024 के क.आ. 332 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

बशर्ते,

(i) निवेश करने वाले भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति ने पहले ही सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार इस तरह की कंपनी का नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस तरह के नियंत्रण को बनाए रखा है;

(ii) प्रतिफल राशि का भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट संदाय के ढंग के अनुसार या भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार अधिग्रहण किया है और उसका नियंत्रण जारी रखा है, द्वारा देय लाभांश से किया जा सकता है बशर्ते यह कि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से विनिर्दिष्ट गैर ब्याज वाले रुपए खाते में लाभांश राशि को जमा कर दिया गया है।

(ग) एक अनिवासी अस्तित्व द्वारा भारत में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी जो एक ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही है, जहां स्वचालित मार्ग में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है और कोई भी एफडी आई से जुड़ी हुई निष्पादन की शर्त नहीं है, उक्त अनिवासी अस्तित्व को पूर्व निगमन /पूर्व परिचालन व्यय के संबंध में उक्त अनिवासी अस्तित्व द्वारा खर्च किए गए अपनी प्राधिकृत पूंजी के पांच प्रतिशत की सीमा या 500,000 अमेरिकी डालर तक, जो भी कम हो, इक्विटी लिखत जारी कर सकती है जो इन शर्तों के अधीन है कि इक्विटी लिखतों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर लेकिन निगमन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि में या ऐसे समय जो रिजर्व बैंक अनुमति दे, भारतीय कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार रिजर्व बैंक को संव्यवहार की रिपोर्ट करेगी।

(घ) कोई भारतीय कंपनी, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों⁴¹ और समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन रहते हुए,-

(i) साम्य लिखतों की अदला-बदली; या

⁴¹ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

- (ii) पूंजी माल या मशीनरी या उपस्कर (जिसके अंतर्गत बरती हुई मशीनरी सम्मिलित नहीं है); या
- (iii) प्रचालन पूर्व या निगमन पूर्व व्यय (जिसके अंतर्गत भाटक का संदाय आदि सम्मिलित है);
- (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों की अनुपालना, जिसके अंतर्गत [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(विदेशी विनिधान\) नियम, 2022](#) और समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियम सम्मिलित है, की अनुपालना में किसी विदेशी कंपनी की साम्य पूंजी की अदला-बदली, के विरुद्ध भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति को साम्य लिखत जारी कर सकेगी।”।

स्पष्टीकरण.-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए “साम्य पूंजी” का वही अर्थ होगा, जो उसका समय-समय पर यथा संशोधित [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(विदेशी विनिधान\) नियम, 2022](#) में है:⁴²

परंतु जहां कहीं सरकारी अनुमोदन लागू होता है,⁴³ सभी मामलों में अंतरण के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा और अनुमोदन के लिए आवेदन सरकार द्वारा समय-समय पर विहित रीति में किया जाएगा

(ड) एक भारतीय कम्पनी भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को देय किसी भी निधि के विरुद्ध इक्रिटि शेयर जारी कर सकती है, जिसका प्रेषण अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अधीन अनुज्ञात है या अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अधीन केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित नहीं है या अधिनियम या बनाए गए नियमों या विनियमों या उनके अधीन जारी निदेशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात है।

परन्तु जहाँ रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषण के लिए अनुज्ञा दे दी गई है वहाँ ऐसे प्रेषण के विरुद्ध भारतीय कम्पनी इक्रिटि शेयरी जारी कर सकती है जिसके लिए अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन देरी या उल्लंघन की बाबत सभी विनियामक क्रियाएँ पूरी हो चुकी है।

⁴² दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

⁴³ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

(च) परिपक्वता आय या विक्रय के प्रेषण के लिए संदाय का प्रकाट और अन्य सम्बद्ध शर्तें रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएँगी।

(2) एफडीआई के लिए प्रतिषिद्ध सेक्टर -

(क) सरकारी या प्राइवेट लाटरी, ऑनलाइन लाटरी आदि सहित लाटरी कारोबार।

(ख) केसिनो सहित जुआ और शर्त, आदि।

(ग) चिट फंड।

(घ) निधि कम्पनी।

(ङ) हस्तांतरणीय विकासात्मक अधिकारों का व्यापार।

(च) रियल एस्टेट कारबार या फार्म हाऊस का निर्माण।

स्पष्टीकरण- इस नियम के उद्देश्य के लिए, 'रियल एस्टेट कारबार' का अर्थ है भूमि और अचल संपत्ति से लाभ अर्जित करने की दृष्टि से व्यापार करना और इसमें टाउनशिप का विकास, रेसिडेन्शियल (निवासी) या कमर्शियल (व्यावसायिक) परिसर, रोड या पुल का निर्माण, शिक्षा संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना, टाउनशिप, रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवाएं और सेबी (आरईआईटी) विनियम, 2014 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विनियमित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और संपत्ति के पट्टे पर किराए अथवा आय अर्जन रियल एस्टेट कारबार में सम्मिलित नहीं होंगे।⁴⁴

(छ) तम्बाखू या तम्बाखू के विकल्प की सिगार चिरूट, सिगालोस और सिगरेट का विनिर्माण।

(ज) गतिविधियाँ और सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर निवेश के लिए खुली नहीं है, उदाहरण (I) परमाणु ऊर्जा और

(II) रेलवे संचालन (अनुसूची 4 के खंड 3 में उल्लिखित अनुज्ञात गतिविधियों से भिन्न)

(i) लाइसेंस के लिए फ्रेन्चाइस ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंधन संविधा सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लाटरी व्यवसाय और जुआ और शर्त लगाने की गतिविधियों के लिए निषेध है।

⁴⁴ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

3. कुल विदेशी निवेश के लिए अनुज्ञात सेक्टर, एंट्री रूट और सेक्टरल केप
अन्यथा जब तक इन नियमों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट न हो, भारतीय इकाई में कुल विदेशी निवेश के लिए
एंट्री रूट और सेक्टरल केप निम्नानुसार होंगे -

(क) एंट्री रूट -

(i) "आटोमेटिक रूट" से वह एंट्री रूट अभिप्रेत है जिसके द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है;

(ii) "सरकारी रूट" से वह रूट अभिप्रेत है जिसके द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है और इस रूट के अधीन प्राप्त विदेशी निवेश सरकार के अनुमोदन द्वारा नियत शर्तों के अनुसार होगा।

(iii) सेक्टरल या कानूनी केप तक समग्र विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान के लिए, यथास्थिति, सरकारी अनुमोदन या क्षेत्रीय शर्तों की अनुपालना की अपेक्षा नहीं होगी, यदि ऐसे विनिधान का परिणाम निवासी भारतीय नागरिकों से निवासी भारतीय कंपनी के स्वामित्व और/या नियंत्रण का अंतरण भारत के बाहर निवास कर रहे व्यक्तियों को नहीं होता है और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अन्य निवेश सरकार के अनुमोदन की शर्तों और इन नियमों में निर्धारित सेक्टरल शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।⁴⁵

(ख) सेक्टरल केप -

(i) सारणी में विनिर्दिष्ट सेक्टर और गतिविधियों के लिए प्रत्येक सेक्टर के सामने निर्दिष्ट सीमा सेक्टरल केप है। कुल विदेशी निवेश सेक्टरल या कानूनी केप से अधिक नहीं होगा।

(ii) निम्नलिखित सेक्टर या गतिविधियों में विदेशी निवेश लायू कानून या विनियम, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

⁴⁵ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

(iii) ऐसे सेक्टर और गतिविधियों में, जो नीचे सूचीबद्ध नहीं हैं या इन नियमों की अनुसूची- के खंड-2 के अधीन निषेध नहीं हैं, लागू कानून या विनियम, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन आटोमेटिक रूट पर 100% विदेशी निवेश अनुज्ञात है।

परन्तु नीचे क्रम संख्यांक "च" के अधीन निर्दिष्ट से भिन्न वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

(iv) जहाँ भी न्यूनतम पूंजीकरण की आवश्यकता होती है, उसमें सम्यलिखतों के अंकित मूल्य के साथ प्राप्त प्रीमियम केवल तब सम्मिलित है, जब भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी ऐसे लिखतों को कम्पनी द्वारा इसे प्राप्त किया गया है और अंतरीती द्वारा पोस्ट-इश्यू ट्रंसफर के दौरान सांय की गई राशि पूंजी लिखत की जारी कीमत से ज्यादा है तो उसे न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षाओं की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(v) (क) निवेश करने वाल ऐसी कम्पनी जो रिजर्व बैंक में नॉन बैंकिंग कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है और इन कोर निवेश कम्पनी, दोनों ही भारतीय आस्त्तियों से भिन्न पूंजी के निवेश की गतिविधियों में प्रवृत्त है, में विदेशी निवेश के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

'टिप्पण - कोर निवेश कम्पनी द्वारा इन नियमों का अनुपालन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन एन बी एफ सी के रूप में ऐसी कम्पनियों को विहित विनियामक ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त है।

(v) (ख) रिजर्व बैंक के साथ नॉन बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड निवेश कम्पनियों में विदेशी निवेश 100% आटोमेटिक रूट के अधीन होगा।

(vi) उन क्रियाकलापों को करने के लिए जो आटोमेटिक रूट के अधीन है और एफडी आई संबद्ध निष्पादन शर्तों के बिना हैं। कोई भारतीय कम्पनी जिसका कोई प्रचालन नहीं है और जिसने कोई अधोगति निवेश नहीं किया है जिसे निवेशी आस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, आटोमेटिक रूट के अधीन भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों से अपने साम्यालिखतों में निवेश प्राप्त कर सकेगी तथापि ऐसी कम्पनियों के लिए क्रियाकलाप करने हेतु जो सरकारी रूट के अधीन है सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जब

कभी ऐसी कम्पनी कारबार आरंभ करती है या निवेशी आस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाने वाला अधोगति निवेश करती है, उसे एंट्री रूट, शर्तों और केप पर सुसंगत सेक्टरल शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(vii) इस तरह के विदेशी निवेश और परिचर शर्तों पर क्षेत्रीय और वैधानिक सीमाओं के अनुपालन का भार, यदि कोई हो, तो विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली कंपनी पर होगा।

(viii) जहाँ कहीं भारत के बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसने निवेश किया है, विशेष रूप से भारतीय निवेश कर्ता कंपनी के लेखापरीक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क रखने वाले लेखापरीक्षक या संपरीक्षक फर्म को निर्दिष्ट करता है, तो ऐसी विदेशी कंपनी की लेखा परीक्षा संयुक्त लेखापरीक्षा के रूप में किया जायेगा जबकि लेखापरीक्षक में से एक उसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

सारणी

क्र. सं. (1)	क्षेत्र/क्रियाकलाप (2)	क्षेत्रीय सीमा (3)	प्रवेश मार्ग (4)
1.	कृषि और पशुपालन		
1.1	(क) सीमित शर्तों के अधीन फूल, वागवानी और सब्जियों और मशरूम की खेती; (ख) बीजों और रोपण सामग्रियों का विकास और उत्पादन; (ग) पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मछली पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन; और (घ) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं। टिप्पण: उपरोक्त के अलावा, विदेशी निवेश की और किसी कृषि क्षेत्र या क्रिया कलाप में अनुमति नहीं है।	100%	स्वतः
1.2	अन्य शर्तें		
	शब्द 'सीमित शर्तों के अधीन' निम्नलिखित सम्मिलित है:		

	सीमित शर्तों के अधीन खेती' श्रेणिया जिसमें फूलवानी, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती की प्रथा है जिसमें वर्षा, तापमान, सौर विकिरण, हवा, आर्द्रता और खेती के माध्यम सीमित शर्तों के अधीन है। इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउसों, नेट हाउसों, पॉली हाउसों या किसी अन्य उन्नत सुविधाओं के अधीन संरक्षित कृषि के माध्यम से वहां किया जा सकेगा, जहां सूक्ष्म जलवायु दशाएं मानवोद्भव वैज्ञानिक रूप से विनियमित की जाती है।		
2.	बागान		
2.1	(क) चाय सेक्टर, जिसके अंतर्गत चाय बागान भी हैं (ख) कॉफी बागान (ग) रबर बागान (घ) इलायची बागान (ङ) ताड़ तेल वृक्ष बागान (च) जैतून तेल वृक्ष बागान टिप्पण: विदेशी विनिधान ऊपर सूचीबद्ध बागान सेक्टर/क्रियाकलाप से भिन्न किसी बागान/क्रियाकलाप में अ हीं किया जाता है।	100%	स्वतः
2.2	अन्य शर्तें		
	किसी भावी भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में सम्बन्धित राज्य का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।		
3.	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन धातु और गैर-धातु अयस्कों, जिनके अन्तर्गत हीरा, सोना, चांदी और बहुमूल्य अयस्क भी हैं किन्तु इनके अन्तर्गत टाइटेनियम धारक खनिज और इसके अयस्क नहीं हैं, का खनन और उनकी खोज;	100%	स्वतः
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) के उपबंधों के अधीन और उसके अध्याधीन अनुज्ञात विद्युत	100%	स्वतः

	परियोजनाओं, लोहा और इस्पात तथा सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र क्रियाकलापों द्वारा नियंत्रित उपभोग के लिए कोयला और लिग्नाइट खनन। ⁴⁶ (ख) धावनशालाओं, जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थापना करना कि कंपनी कोयला खनन नहीं करेगी और खुले बाजार में अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से धुले हुए कोयला या आमामित कोयला का विक्रय नहीं करेगी और धुले हुए या आमामित कोयला का प्रदाय उन पक्षकारों को करेगी जो धुलाई या आमामपन के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को अपरिष्कृत कोयले का प्रदाय कर रहे हैं। (ग) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के समय-समय पर यथासंशोधित तथा इस विषय पर अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के उपबंधों के अधधीन सहयोजित प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयला की बिक्री, कोयला खनन कार्यकलापों के लिए। ⁴⁷		
3.3	टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसके मूल्य परिवर्धन और एकीकृत क्रियाकलाप		
	(क) सेक्टरीय वितनियम और खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के अधीन रहते हुए टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पक्षक्करण, इसके मूल्य परिवर्धन और कीकृत क्रियाकलाप	100%	सरकारी
3.4	अन्य शर्तें		

⁴⁶ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

⁴⁷ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित

	(क) 3.2 (ग) में उल्लिखित "(क) सहयोजित प्रसंस्करण अवसंरचना" में कोयला धवनशाला, इसकी पिसाई, कोयला हैंडलिंग, और पृथक्करण (मैग्नेटिक और गैर-मैग्नेटिक) शामिल हैं";⁴⁸ (ख) टाइटेनियम धारक खनिजों और अयस्कों के लिए विदेशी विनिधान विभिन्न शर्तों के अधीन रहते हुए होगा: (i) मूल्य परिवर्धन सुविधाएं प्रौद्योगिकी के अंतरण के साथ भारत के अंदर स्थापित की जाती हैं; (ii) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों, जैसे-खनिज पृथक्करण के दौरान अपशिष्ट का निपटान परमाणु ऊर्जा विकिरण संरक्षण नियम, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान नियम), 1987 के अनुसार किया जाएगा। (ग) विदेशी विनिधान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. का.आ. 61(अ), तारीख 18.4.2006 में सूचीबद्ध "विहित पदार्थों" के खनन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण: (i) टाइटेनियम धारक अयस्कों, जैसे इल्लिनाइट, ल्यूकोसिन तथा रुटाइल धारक के लिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड रंजक और टाइटेनियम स्पंज का विनिर्माण मूल्य परिवर्धन का गठन करते हैं। इल्लिनाइट को कृत्रिम रुटाइल या टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करने के लिए मध्यवर्ती मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। (ii) उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग अनुप्रवाह उद्योगों की स्थापना करने के लिए किया जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी को देश के भीतर ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ इस नियम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है तो उपरोक्त (क)(i) में विहित शर्तों को पूरा किया जाना समझा जाएगा।		
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज और क्रियाकलाप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विपणन से सम्बन्धित अवसंरचना, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों, प्राकृतिक गैस/पाइपलाइनों का विपणन, एलएनजी पुनः गैसीकरण अवसंरचना,	100%	स्वतः

⁴⁸ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित

	बाजार अध्ययन और सूत्रीकरण तथा प्राइवेट सेक्टर में पेट्रोलियम परिष्करण, जो तेल विपणन सेक्टर में विद्यमान सेक्टरीय नीति को विनियामक कार्य ढांचे तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों के तेल की खोज और खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता सम्बन्धी सरकार की नीति के अध्ययधीन है।		
4.2	वर्तमान पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में किसी विनिवेश या घरेलू साधारण शेयर के तनुकरण के बिना पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा पेट्रोलियम परिष्करण	49%	स्वतः
4.3 ⁴⁹	उपर्युक्त क्रम. संख्या 4.2 में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार द्वारा किसी पीएसयू के कार्यनीतिक विनिवेश के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन दिया गया है तो उस मामले में स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।"		
5	विनिर्माण	100%	स्वतः
5.1	विनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप या तो निवेशग्राही कंपनी द्वारा स्वविनिर्माण के कार्य हो सकते हैं या भारत में विधिक रूप से मान्य संविदा के जरिए किए जा सकते हैं, चाहे यह मालिक से मालिक या मालिक से अभिकर्ता के आधार पर हो। इसके अलावा, विनिर्माता को थोक विक्रय और/या खुदरा, जिसके अन्तर्गत सरकारी अनुमोदन के बिना ई-वाणिज्य के माध्यम भी हैं, के माध्यम से भारत में अपने विनिर्मित उत्पादों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।⁵⁰ व्यापार सेक्टर के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंधों के होते हुए भी, भारत में विनिर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों की बाबत सरकारी अनुमोदन मार्ग के अधीन व्यापार के लिए शत प्रतिशत विदेशी विनिधान, जिसके अन्तर्गत ई-वाणिज्य के माध्यम से विनिधान भी है, अनुज्ञात किया जाता है। खाद्य पदार्थ खुदरा व्यापार में विदेशी विनिधान के लिए आवेदनों पर सरकार द्वारा विचार किए जाने से पूर्व औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में प्रक्रिया की जाएगी।		

⁴⁹ दिनांक 05.10.2021 के क.आ. 4091 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2021 द्वारा अंतःस्थापित

⁵⁰ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

6	रक्षा		
6.1	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अध्ययधीन रहते हुए, रक्षा उद्योग और आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन लघु आयुध तथा गोला – बारूद का विनिर्माण;	100%	74% तक स्वचालित, 74% से अधिक सरकारी मार्ग से, जब कभी इसका संभाव्य परिणाम आधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुँच हो या ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाए ⁵¹
6.2 ⁵²	अन्य शर्तें		
	क. नयी औद्योगिक अनुज्ञप्ति मांगने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन 74% तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी। ख. ऐसी कंपनी जो औद्योगिक अनुज्ञप्ति नहीं चाहती है या जिसने रक्षा क्षेत्र में एफडी आई के लिए सरकार से पहले से ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, 49 प्रतिशत तक की एफडीआई के लिए साधारण शेयरों/अंशधारी पैटर्न में परिवर्तन या विद्यमान विनिधानकर्ता द्वारा नये विदेशी विनिधानकर्ता को पण के		

⁵¹ दिनांक 08.12.2020 के क.आ. 4441 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

⁵² दिनांक 08.12.2020 के क.आ. 4441 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

	अंतरण की दशा में ऐसे परिवर्तन के तीस दिवस की अवधि के भीतर रक्षा मंत्रालय को एक घोषणा प्रस्तुत करेगी और 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के लिए किसी प्रस्ताव की दशा में ऐसी कंपनी से सरकारी अनुमोदन अपेक्षित होगा। ग. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके अनुज्ञप्ति आवेदनों पर विचार किया जाएगा। घ. इस क्षेत्र में विदेशी विनिधान, गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अध्यक्षीन रहते हुए तथा रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा। ङ. विनिधान करने वाली कंपनी, उत्पाद परिकल्पना तथा विकास के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए निमित्त की जाएगी और विनिर्माण सुविधा के साथ-साथ विनिधानकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी के पास भारत में विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद का रख-रखाव तथा लाइफ साइकल सपोर्ट की सुविधा होगी। च. रक्षा क्षेत्र में विदेशी विनिधान, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर संवीक्षा के अध्यक्षीन रहते हुए होगा और सरकार रक्षा क्षेत्र में किसी विदेशी विनिधान का पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है अथवा कर सकता है।		
7	प्रसारण		
7.1	प्रसारण वहन सेवा		
7.1.1	(क) टेलीपोर्ट्स (अपलिकिंग हब्स/टेलीपोर्टों की स्थापना); (ख) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच); (ग) केबल नेटवर्क राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर प्रचालित किए जा रहे. बहुप्रणाली प्रचालक (एमएसओएस और अंकीकरण) तथा संबोधनीयता के लिए नेटवर्क का उन्नयन करना; (घ) मोबाइल टीवी; (ङ) हेड-एण्ड-इन-द स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस);	100%	स्वतः
7.1.2	केवल नेटवर्क (ऐसे अन्य एमएसओएस, जो अंकीकरण तथा संबोधनीयता। और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए नेटवर्क के उन्नयन नहीं कर रहे हैं)	100%	स्वतः

7.1.3	टिप्पण : किसी ऐसी कंपनी में ऊपर 7.1.1 और 7.1.2 में निर्दिष्ट सेक्टरों के लिए 49% से परे नए विदेशी विनिधान के अनुप्रेरण में, जो सेक्टरीय मंत्रालय से अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा प्राप्त करने की वांछा नहीं करती है, जिसका परिणाम विद्यमान विनिधानकर्ता द्वारा स्वामित्व पैटर्न में परिवर्तन या उसके द्वारा नए विनिधानकर्ता को पण का अंतरण करना। है, सरकारी अनुमोदन की अपेक्षा होगी।		
7.2	प्रसारण अंतर्वस्तु सेवाएं		
7.2.1	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए स्थली प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो)	49%	सरकारी
7.2.2	'समाचार और समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिकिंग	49%	सरकारी
7.2.3	डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिकी की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग ⁵³	26%	सरकारी
7.2.4	'गैर समाचार और समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिकिंग / टीवी चैनलों की डाउनलोडिंग	100%	स्वतः
7.3	अन्य शर्तें		
	(क) ऊपर कथित सभी सेवाओं में लगी हुई सभी कंपनियों में विदेशी विनिधान सुसंगत विनियमों तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं। (ख) ऊपर कथित प्रसारण वहन सेवाओं में विदेशी विनिधान ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जो होगा जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं। (ग) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किए गए प्रसारण सेवा संस्थापन, सुरक्षा के लिए परिसंकट नहीं बनेगा और किसी परिनियम, नियम या विनियमों और लोक नीति का उल्लंघन नहीं करेगा। (घ) जहां सेक्टरीय सीमा 49% तक है, वहां सूचना और प्रसारण सेक्टर में, कंपनी, निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा या ऐसी भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन हैं, के स्वामित्वाधीन। या नियंत्रणाधीन होनी चाहिए।		

⁵³ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित

	(i) इस प्रयोजन के लिए, 'विशालतम भारतीय शेयरधारक' द्वारा धारित साम्या, कुल साम्या का कम से कम 51% होगा, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में पब्लिक सेक्टर बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित साम्या नहीं है और इस खंड में प्रयुक्त 'विशालतम भारतीय शेयरधारक' पद निम्नलिखित में से कोई या उसके संयोजन सम्मिलित होंगे, अर्थात्:- (1) व्यक्ति शेयरधारक के मामले में, (कक) व्यक्ति शेयरधारक। (खख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अर्थ के भीतर शेयरधारक का कोई नातेदार। (गग) कोई ऐसी कंपनी या कंपनियों का ऐसा समूह, जिसमें ऐसा व्यक्ति शेयरधारक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जिससे उसका सम्बन्ध है, प्रबंधन और नियंत्रणकारी हित रखता है। (2) किसी भारतीय कंपनी के मामले में, (कक) भारतीय कंपनी (खख) उसी प्रबंधन और स्वामित्व नियंत्रण के अधीन भारतीय कंपनियों का समूह (3) इस प्रयोजन के लिए, "भारतीय कंपनी" ऐसी कंपनी होगी जिसके पास कंपनी अधिनियम, 2013/एचयूएफ की धारा 2(77) के अधीन यथा परिभाषित निवासी भारतीय या नातेदार होना चाहिए जो एकल रूप से या एक साथ मिलकर का कम से कम 51% शेयर धारण करते हैं। (4) परंतु ऊपर उपखंड (घ)(i) में उल्लिखित सभी या किन्हीं अस्तित्वों के संयोजन के मामले में, पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार ने आवेदक कंपनी के विषयों के मामले का प्रबंध करने में एकल यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए विधिक रूप से आवद्ध करार कर लिया हो।		
8	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और सम-सामयिकों से संबंधित समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2	समाचार और सम-सामयिकों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्कारण का प्रकाशन	26%	सरकारी
8.2.1	अन्य शर्तें		

	(क) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए, 'पत्रिका' एक ऐसे आवधिक प्रकाशन के रूप में परिभाषित की जाएगी जो गैर-दैनिक आधार पर निकाली जाती है और जिसमें लोक समाचार या लोक समाचारों पर टीका-टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती हैं। (ख) विदेशी विनिधान 4-12-2008 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी समाचार और सम-सामयिकी से सम्बन्धित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्वधीन भी होगा।		
8.3	यथा लागू विधिक कार्यवाहों के अनुपालन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका या/ विशिष्ट जर्नल आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन या मुद्रण।	100%	सरकारी
8.4	विदेशी समाचार पत्रों की अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी
8.4.1	अन्य शर्तें		
	(क) विदेशी विनिधान ऐसे मूल विदेशी समाचार पत्र के स्वामी द्वारा किया जाएगा जिसका अनुलिपि संस्करण भारत में लाया जाना प्रस्तावित है। (ख) विदेशी समाचार पत्रों के अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 203 के उपबंधों के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अस्तित्व द्वारा ही किया जा सकता है। (ग) विदेशी समाचार पत्र के अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन समाचारों और सम-सामयिकियों से सम्बन्धित समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के भी अध्वधीन होगा तथा 31-3-2006 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी विदेशी समाचार पत्रों का अनुलिपि संस्करण का प्रकाशन।		
9	नागर विमानन		
9.1	नागर विमानन सेक्टर में विमान पत्तन अनुसूचित, गैर-अनुसूचित, घरेलू यात्री एयरलाइन, हेलीकॉप्टर सेवा या समुद्री विमान सेवा, भू-प्रबंधन सेवा, अनुरक्षण और मरम्मत संगठन, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। नागर विमानन सेक्टर के प्रयोजनों के लिए :		

(क) "विमानपत्तन" से विमानों के उतरने और उड़ान भरने का कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर प्रायिकतः रनवे और वायुयान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और इसके अन्तर्गत वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में यथा परिभाषित विमान क्षेत्र भी है;

(ख) "विमानक्षेत्र" से जल या थल निश्चित या सीमित ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वायुयान के उतरने या उसके प्रस्थान के लिए आशयित है और उसके अन्तर्गत उस पर या उससे जुड़े हुए सभी भवन, शेड, यान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं आती हैं;

(ग) "वायु परिवहन सेवा" से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के लिए व्यक्तियों, डाक या किसी अन्य सजीव या निर्जीव वस्तु के वायु द्वारा परिवहन के लिए कोई सेवा अभिप्रेत है, चाहे ऐसी सेवा एकल उड़ान की हो या उड़ान आवलियों की हो;

(घ) "वायु परिवहन उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जिसके कारबार के अन्तर्गत यात्रियों, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए वायुयान द्वारा स्थौरा का वहन भी है;

(ङ) "वायुयान घटक" से कोई ऐसा पुर्जा अभिप्रेत है जिसकी मजबूती और सही कार्यकरण, जब उसे वायुयान में फिट किया जाता है, वायुयान की सतत उड़न योग्यता या सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसके अंतर्गत उपस्कर की कोई मद भी सम्मिलित है;

(च) "हेलीकॉप्टर" से पर्याप्त रूप से ऊर्ध्वाधर धुरी पर एक या अधिक शक्तिचालित रोटरो पर वायु की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में अवलंबित वायुयान की तुलना में भारी वायुयान अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से ऐसी वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है जो उन्हीं दो या दो से अधिक स्थानों के बीच की जाती है और प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या इतनी नियमित या बारंबार उड़ानों सहित, जो मान्य रूप से क्रमबद्ध आवलियां गठित करती हों, प्रचालित की जाती है और जो, प्रत्येक ऐसी फ्लाइट जनता के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खुली हो;

(ज) "गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो एक अनुसूचित वायु परिवहन सेवा नहीं है और जिसके अन्तर्गत कार्गो एयरलाइन होगी;

(झ) "कार्गो एयरलाइन" से ऐसी एयरलाइन अभिप्रेत होगी जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं में दी गई शर्तों को पूरा करती है;

(ञ) "समुद्री विमान" से ऐसा वायुयान अभिप्रेत है जो जल पर एक मात्र रूप से सामान्यतः उड़ान भरने और उतरने में समर्थ हो;

	(ट) "भू-प्रबंधन" से अभिप्रेत है (i) ढालान प्रबंधन; (ii) यातायात प्रबंधन जिनमें से दोनों में समय-समय पर वैमानिक सूचना परिपत्रों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे और (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य क्रियाकलाप, जो या तो ढालान प्रबंध या यातायात प्रबंध का भाग हो		
9.2	विमानपत्तन		
	(क) हरित क्षेत्र परियोजना	100%	स्वतः
	(ख) विद्यमान परियोजना	100%	स्वतः
9.3	हवाई परिवहन सेवाएँ		
	(1) (क) निर्धारित हवाई परिवहन सेवा/ घरेलू निर्धारित यात्री एयरलाइन (ख) क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा	100%	49% तक स्वचालित (अनिवासी भारतीयों के लिए स्वचालित 100% तक) 49% से अधिक सरकारी मार्ग
	(2) गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएँ	100%	स्वचालित
	(3) हेलीकाप्टर सेवाओं/ समुद्री विमान सेवाओं के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है	100%	स्वचालित
	टिप्पण : विमान नियम, 1937 की अनुसूची XI के अनुसार अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं (घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन या क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा सहित) को संचालित करने के लिए एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र ऐसे कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को किया जाता है. - (क) जिसे पंजीकृत किया गया है और उसके व्यापार का प्रमुख स्थान भारत के भीतर है; (ख) जिसके अध्यक्ष और उसके निवेशकों में से कम से कम दो-तिहाई भारत के नागरिक हैं और		

	(ग) जिसका पर्याप्त स्वासित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों में निहित है। ⁵⁴		
9.4	नागर विमानन सेक्टर के अधीन अन्य सेवाएं		
	(क) सेक्टरिय विनियमों और सुरक्षा अनापत्ति के अधीन रहते हुए भू-प्रबंधन सेवाएँ	100%	स्वतः
	(ख) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन, उड़ान प्रशिक्षण संतान तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएँ	100%	स्वतः
9.5	अन्य शर्तें		
	(क) हवाई परिवहन सेवाओं में. घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन, गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, हेलिकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं सम्मिलित होंगी। (ख) विदेशी एयरलाइनों को ऊपर उल्लिखित सीमा और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइंस, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों की इक्विटी में भाग लेने की अनुमति है। (ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन कर रही, भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी पेड-अप पूंजी की 49 प्रतिशत तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवेश करने की अनुमति है, अर्थात्:- (i) इसे सरकार के अनुमोदन मार्ग के अधीन बनाया गया है, (ii) 49 प्रतिशत की सीमा एफडीआई और एफआईआई/एफपीआई निवेश को कम करेगी, (iii) निवेश के लिए शेयर और अधिग्रहण (एसएसटी) विनियमों, अन्य लागू नियम और विनियम के साथ साथ पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता (आईसीडीआर) विनियम/पर्याप्त अधिग्रहण जैसे मामलों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के संबंधित विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी, (iv) ऐसे निवेश के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं से जुड़े होने की संभावना वाले सभी विदेशी नागरिकों को परिनियोजन से पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमति प्रदान की जाएगी, और v) इस तरह के निवेश के परिणामस्वरूप भारत में आयात किए जाने वाले सभी तकनीकी उपकरणों को नागर विमानन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी की आवश्यकता होगी।		

⁵⁴ दिनांक 27.07.2020 के क.आ. 2442 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित

	(घ) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात:- (i) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश, जिसमें एनआरआई जो भारतीय नागरिक हैं के मामलों को छोड़कर, जहां स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी निवेश में 100 प्रतिशत तक की अनुमति शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी एयरलाइनों की प्रतिशतता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी,। (ii) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण वायुयान नियम, 1937 के अनुसार भारतीय नागरिकों में निहित रहेगा। (ङ) नागर विमानन में एफडीआई समय-समय पर यथा संशोधित विमान नियामक, 1937 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। टिप्पण: (i) ऊपर उल्लिखित क्रम संख्या 9.2 और 9.3 में एफडीआई सीमा या प्रवेश मार्ग उस स्थिति में लागू होंगे, जब विदेशी एयरलाइन द्वारा कोई निवेश नहीं होगा। (ii) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड सहित हवाई परिवहन सेवाओं में काम करने वाली कंपनियों में विदेशी एयरलाइंस द्वारा कोई भी निवेश, ऊपर उल्लिखित प्रविष्टि (ख) और (ग) के अधीन होगा। (iii) 100% तक की एफडीआई से संबंधित उन एनआरआई जो भारतीय नागरिक हैं, के लिए व्यवस्था, उपरोक्त प्रविष्टि (ग) (ii) और (घ) में विनिर्दिष्ट निवेश व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी।⁵⁵		
10	संनिर्माण विकास : नगरक्षेत्र, आवासन और निर्मित अवसंरचना		
10.1	संनिर्माण विकास परियोजनाएं (जिनके अंतर्गत नगरक्षेत्र का विकास आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों, पुलों, होटलों, रिसॉर्टों, शैक्षणिक अवसंरचना, नगरक्षेत्रों का संनिर्माण भी है।	100%	स्वतः
10.2	अन्य शर्तें		
	(क) संनिर्माण विकास परियोजना का प्रत्येक चरण एक पृथक परियोजना के रूप में समझा जाएगा। (ख) विनिधानकता को परियोजना के पूरे हो जाने पर या मुख्य मार्ग अवसंरचना अर्थात् सड़क, जल, प्रदाय, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकास और मल वहन का विकास होने के पश्चात् बाहर जाने की अनुमति होगी।		

⁵⁵ दिनांक 27.07.2020 के क.आ. 2442 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित

(ग) ऊपर (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर किसी अनिवासी व्यक्ति को स्वतः मार्ग के अधीन परियोजना के पूरा हो जाने से पूर्व विदेशी विनिधान से बाहर जाने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए अनुज्ञात किया।

जाएगा परंतु यह तब जब कि तीन वर्ष की परिबंधन अवधि, जो विदेशी विनिधान के प्रत्येक अंश के प्रतिनिर्देश से संगणित की गई है, पूरी हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत से बाहर निवासी व्यक्ति से, भारत से बाहर निवासी अन्य व्यक्ति को विदेशी विनिधान के प्रत्यावर्तन के बिना पण का अंतरण न तो किसी परिबंधन अवधि और न ही किसी सरकारी अनुमोदन के अध्वधीन होगा।

(घ) परियोजना, संप्रियमों तथा मानकों के अनुरूप होगी जिसके अंतर्गत सम्बन्धित राज्य सरकार या नगरपालिका या स्थानीय निकाय को लागू भवन निर्माण नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और अन्य विनियमों में यथा अधिकथित भू-उपयोग अपेक्षाएं तथा सामुदायिक सुख-सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं का उपबंध भी है।

(ङ) भारतीय निवेशी कंपनी को केवल विकसित भू-खंडों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। इस नीति के प्रयोजनों के लिए 'विकसित भू-खंडों' से ऐसे भू-खंड अभिप्रेत होंगे जहां मुख्य मार्ग अवसंरचना अर्थात् सड़क, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइटिंग, जल निकास और मल वहन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(च) भारतीय निवेशी कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन, जिनके अंतर्गत भवन निर्माण या अभिविन्यास रेखांकों, आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने, विकास के संदाय, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों तथा सम्बद्ध राज्य सरकार/नगरपालिका या स्थानीय निकाय को लायू नियमों /उपविधियों/विनियमों के अधीन यथा विहित सभी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने का अनुमोदन भी है, प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(छ) सम्बद्ध राज्य सरकार या नगरपालिका या स्थानीय निकाय, जो भवन निर्माण/विकास योजनाओं का अनुमोदन करती है, विकासकर्ता द्वारा ऊपर दी गई शर्तों के अनुपालन को मॉनीटर करेगी।

टिप्पण:

(1) विदेशी विनिधान किसी ऐसे अस्तित्व में अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो भू-संपदा कारबार, कृषि फार्म हाउसों के संनिर्माण, अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडी आर) के व्यापार में लगा हुआ है या उनमें लगने का प्रस्ताव करता है।

(2) परिबंधन अवधि की शर्त, होटलों, पर्यटक रिसॉर्टों, अस्पतालों, विशेष आर्थिक जोनों, शैक्षणिक संस्थाओं, वृद्ध आश्रमों और अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय नागरिकों को लायू नहीं होगी।

	(3) परियोजना का समापन राज्य सरकारों की स्थानीय उपविधियों/नियमों और अन्य विनियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। (4) स्वतः मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी विनिधान नगरक्षेत्रों, मालों/शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा कारबार केन्द्रों का प्रचालन करने और उनका प्रबंध करने के लिए संपूरित परियोजनाओं में अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसे विदेशी विनिधान के परिणामस्वरूप भारत में निवासी व्यक्तियों से भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को निवेशी कंपनी के स्वामित्व का अंतरण और/या उसका नियंत्रण भी अनुज्ञात किया जाता है, तथापि, विदेशी विनिधान के प्रत्येक अंश के प्रतिनिर्देश से संगणित तीन वर्ष की परिबंधन अवधि होगी और इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति या उसके भाग का अंतरण अनुज्ञात नहीं किया जाता है। (5) इस सेक्टर के सम्बन्ध में "अंतरण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,- (क.) आस्तियों का विक्रय, आदान-प्रदान या त्याग; या (ख.) उसमें किन्हीं अधिकारों का निर्वपण; या (ग.) किसी विधि के अधीन उसका अनिवार्य अर्जन; या (घ.) किसी संव्यवहार में ली जाने वाली संपत्ति या संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53क में निर्दिष्ट प्रकृति के संविदा के भागतः निष्पादन में धारित किसी अचल संपत्ति के कब्जे को अनुज्ञात करना अंतर्वलित है; या (ङ) किसी कंपनी में ऐसे किसी संव्यवहार द्वारा, पूंजी लिखत अर्जित करके या किसी करार या ठहराव के माध्यम से या किसी अन्य रीति में, वह जो भी हो, जिसका किसी अचल संपत्ति के अंतरण करने या उसका उपभोग करने में समर्थ बनाने का प्रभाव है। (6) भू-संपदा कारबार से ऐसा कारवार अभिप्रेत है जो भूमि और अचल संपत्ति में उससे लाभ उपार्जित करने की दृष्टि से किया जाता है और इसके अंतर्गत नगरक्षेत्रों का विकास, आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों या पुलों या शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजनात्मक सुविधाओं, नगर और प्रादेशिक स्तर की अवसंरचना, नगरक्षेत्रों का संनिर्माण नहीं है; स्पष्टीकरण:- (क.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2014 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विनियमित भू-संपदा विनिधान न्यास (आरईआईटी) की यूनिटों में विनिधान भी "भू-संपदा कारबार" की परिभाषा से अपवर्जित किया जाएगा।
--	--

	(ख.) संपत्ति के पट्टे पर किराया आय का उपार्जन, जो अंतरण की कोटि में नहीं आता है, भू-संपदा कारवार की कोटि में नहीं आएगा। (ग.) भू-संपदा के सम्बन्ध में अंतरण के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं,-		
11	औद्योगिक पार्क	100%	स्वतः
11.1	इस सेक्टर के प्रयोजन के लिए: (क) "औद्योगिक पार्क" ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित भूमि के भू-खंडों या निर्मित स्थान या सामान्य सुविधाओं वाले संयोजन के रूप में क्वालिटी अवसंरचना विकसित की जाती हैं और औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए सभी आबंटिती यूनिटों को उपलब्ध कराई जाती है। (ख) "अवसंरचना" औद्योगिक पार्क में अवस्थित यूनिटों के कार्यकरण के लिए अपेक्षित सुविधाओं को निर्दिष्ट करती है और इसके अंतर्गत सड़क (पहुंच मार्गों सहित), रेल लाइन/साइडिंग जिनके अन्तर्गत विद्युतीकृत रेल लाइन भी हैं। मुख्य रेलवे लाईन, जलापूर्ति और सीवेज, सामान्य बहिर्शाप उपचार सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, विधुत का जनन और वितरण, वायुसंवादन। (ग) सामान्य सुविधाओं के अन्तर्गत औद्योगिक पार्क स्थित सभी युनिटों के लिए उपलब्ध सुविधाएं हैं। जिसमें विधुत, सड़क (पहुँच मार्गसहित), रेलवे लाईन, विधुतिकरण रेलवे लाईन और मुख्य रेलवे लाईन से संयोजन, जलापूर्ति और सीवेज, सामान्य बहिर्शाव उपचार, सामान्य परीक्षण, दूरसंचार सेवाएं, वायुसंवादन, सामान्य सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटिन, बैठक हॉल, पार्किंग, यात्राडैस्क, सुरक्षा सेवा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, ऐम्बुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं सम्मिलित हैं जो औद्योगिक पार्क में स्थित युनिटों के सामान्य उपयोग के लिए हैं। (घ) औद्योगिक पार्क में आवंटनीय क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है। (i) विकसित भूमि के प्लॉट के मामलों में युनिटों के आवंटन के लिए उपलब्ध कुल स्थल क्षेत्र जिसमें सामान्य सुविधाओं का क्षेत्र अपर्वजित है। (ii) निर्मित स्थान के मामलों में सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया सतह क्षेत्र और निर्मित स्थान। (iii) विकसित भूमि और निर्मित क्षेत्र के संयोजन के मामलों में युनिटों को आवंटन के लिए उपलब्ध कुल स्थल और सतह क्षेत्र जिसमें सामान्य सुविधाओं का क्षेत्र अपर्वजित है।		

	(ड) औद्योगिक क्रियाकलाप से विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, डाक और दूरसंचार, सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श और आपूर्ति, डाटा प्रक्रमण, डाटाबेस क्रियाकलाप और इलैक्ट्रॉनिक अंतरवस्तु का वितरण, कम्प्यूटर संबंधी क्रियाकलाप, मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी का विकास, भेषज विज्ञान या जीवण विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और इंजनीयरिंग, कारबार और प्रबंधन परामर्श क्रिया-कलाप और वास्तुकला इंजनीयरिंग और अन्य तकनीकी क्रिया-कलाप।		
11.2	औद्योगिक पार्कों में विदेशी निवेश उपर पैरा 10 में वर्णित निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए लागू शर्तों के अधीन नहीं होगा परन्तु औद्योगिक पार्क नीचे वर्णित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। (क) यह न्यूनतम 10 युनिटों से मिलकर बना होगा और कोई भी एकल युनिट आवंटनीय क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं घेरेगी। (ख) औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए आवंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आवंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम नहीं होगा।		
12 ⁵⁶	अंतरिक्ष क्षेत्र		
12.1	(क) उपग्रह- विनिर्माण और प्रचालन (ख) उपग्रह डाटा उत्पाद (ग) मैदान खंड और उपभोक्ता खंड	100%	74% तक स्वचालित। 74% से अधिक सरकारी मार्ग
12.2	(क) प्रक्षेपण यान और संबंध प्रणालियां या उप-प्रणालियां (ख) अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और अभिग्रहण के लिए अंतरिक्ष पत्तन का निर्माण	100%	49% तक स्वचालित। 49% से अधिक सरकारी मार्ग
12.3	उपग्रहों, मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों या उप-प्रणालियों का विनिर्माण	100%	स्वचालित

⁵⁶ दिनांक 16.04.2024 के क.आ. 1722 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

12.4	विनिधान प्राप्तकर्ता इकाई अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए क्षेत्रीय दिशानिर्देशों के अधीन होगी।		
12.5	परिभाषाएँ: (क) उपग्रह - विनिर्माण और प्रचालन: उपग्रह या पेलोड का शुरू से अंत तक विनिर्माण और आपूर्ति, उपग्रह प्रणालियों की स्थापना जिसमें उपग्रह के इन-ऑर्बिट प्रचालन और पेलोड का नियंत्रण भी शामिल है। (ख) उपग्रह डाटा उत्पाद: पृथ्वी प्रेक्षण या दूर संवेदी उपग्रह डाटा और डाटा उत्पादों सहित एप्लिकेशन इंटरफेस (एपीआई) का अभिग्रहण, सृजन या प्रसार। (ग) मैदान खंड और उपभोक्ता खंड: (i) मैदान खंड: पृथ्वी प्रेक्षण डाटा अभिग्रहण स्टेशन, गेटवे, टेलीपोर्ट, सैटेलाइट टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड (टीटीसी) स्टेशन, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर (एससीसी) आदि सहित उपग्रह संचारण या अभिग्रहण पृथ्वी स्टेशनों की आपूर्ति। (ii) उपभोक्ता खंड: उपग्रह के साथ संचार करने के लिए उपभोक्ता मैदान टर्मिनलों की आपूर्ति, जो मैदान खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। (घ) “प्रक्षेपण यान और संबद्ध प्रणालियां या उप-प्रणालियां”: एक यान और उसके चरण या घटक जो एक उप-कक्षीय प्रक्षेपण या पृथ्वी की कक्षा या बाहरी अंतरिक्ष में पेलोड या व्यक्तियों के साथ अंतरिक्ष यान को प्रचालित करने या स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। (ङ) अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और अभिग्रहण करने के लिए अंतरिक्ष पत्तन का निर्माण: - एक अंतरिक्ष पत्तन (जिसे प्रक्षेपण स्थल के रूप में भी निर्दिष्ट है) को वह आधार माना जा सकता है जहां से अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया जाता है, और इसमें बाहरी अंतरिक्ष से और उसके माध्यम से परिवहन के लिए युक्तियों से जुड़ी सुविधाएं शामिल होती हैं। (च) उपग्रहों के मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों या उपप्रणालियों का विनिर्माण: इसमें उपग्रहों, मैदान खंड और उपभोक्ता खंड के लिए विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक घटक प्रणालियों या उपप्रणालियों का विनिर्माण और आपूर्ति शामिल है।		
13	निजी सुरक्षा अभिकरण	49%	सरकारी

14	दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता प्रवर्ग 1 समेत)		
14.1 ⁵⁷	दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-, अर्थात् बेसिक, सेलुलर, यूनाइटेड एक्सेस सर्विसेज, यूनिफाइड लाइसेंस (एक्सेस सर्विसेज), यूनिफाइड लाइसेंस, नेशनल/इंटरनेशनल लांग डिस्टेन्स, कॉमर्सियल V-सेट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकड सर्विसेज (एमपीआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सहित सभी दूरसंचार सेवाएं, सभी प्रकार की आईएसपी लाइसेंस, वॉयस मेल/ऑडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की पुनः ब्रिक्री, मोबाइल नं. पोर्टेबिलिटी सर्विसेज, अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-। (डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेश, टोअर प्रदान करना) अन्य सेवा प्रदाताओं और ऐसी अन्य सेवाएं जो दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा अनुमत हो सकती हैं।	100%	ऑटोमैटिक ⁵⁸
14.2	अन्य शर्तें		
	लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी और कोई अन्य शर्तों और निबंधनों जैसा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, का लाइसेंसधारक और ऊपर क्र.सं. 14.1 में यथासंदर्भित सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों और निवेशकों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।		
15	व्यापार		
15.1	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार (एमएसएमई से श्रोत समेत)	100%	ऑटोमैटिक
15.1.1	परिभाषा (क) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार से खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक , संस्थानिक या अन्य वर्तिक कारबार कर्ताओं अथवा अन्य थोक और संबंधित अधिनस्थ सेवा प्रदाताओं को माल या वाणिज्या का विक्रय अभिप्रेत है।		

⁵⁷ दिनांक 16.04.2024 के क.आ. 1722 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

⁵⁸ दिनांक 12.10.2021 के क.आ. 4242 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित

	(ख) तदनुसार थोक व्यापार का अर्थ निजि उपभोग के प्रयोजन के लिए विक्रय के विपरीत व्यापार, कारबार और वृत्तिक प्रयोजन के लिए विक्रय है। यह निर्धारित करने के लिए की विक्रय थोक है या नहीं, पैमाना ग्राहकों का प्रकार होगा जिन्हें विक्रय किया जाता है न कि विक्रय का आकार और परिमाण। थोक व्यापार के अंतर्गत पुनः विक्रय, प्रसंस्करण और तत्पश्चात् विक्रय, निर्यात/ एक्स बाडेड भंडागारों के साथ बड़ी मात्रा में आयात, कारबार विक्रय और बी2बी ई-वाणिज्य है।		
15.1.2	अन्य शर्तें		
	(क) थोक व्यापार करने के लिए राज्य सरकार या सरकारी निकाय अथवा सरकारी प्राधिकारी या स्थानीय स्वशासी निकाय के सुसंगत अधिनियमों या विनियमों अथवा नियमों या आदेशों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाएगा। (ख) सरकार को विक्रय के मामलों के सिवाय, श्रोक विक्रेता द्वारा किए गए विक्रय केवल तभी वैध कारबार ग्राहकों के साथ कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार माने जाएंगे जब थोक व्यापार निम्नलिखित अस्तित्वों को किया जाता है। (i) विक्रय कर या वैट रजिस्ट्रीकरण या सेवा कर अथवा उत्पाद शुल्क या माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण धारण करने वाले अस्तित्व या (ii) व्यापार अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अस्तित्व अर्थात् सरकारी प्राधिकारी या सरकारी निकाय अथवा सरकारी प्राधिकारी या स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा दुकान और अधिस्थापन अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा सदस्यता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण, जिससे यह दर्शित होता हो कि यथा स्थिति अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अथवा सदस्यता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण, धारण करने वाला अस्तित्व या व्यक्ति स्वयं वाणिज्यिक क्रियाकलाप अंतर्वलित करने वाले कारबार लगा हुआ है या (iii) खुदरा व्यापार करने के लिए सरकारी प्राधिकारियों या स्वशासी निकायों से अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अस्तित्व (जैसे तहबाजारी और हॉकरों के लिए सामान अनुज्ञप्ति) या (iv) सोसाइटी के रूप में निगमीकरण या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रखने वाले संस्थान या स्वयं उपभोग के लिए लोकन्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण।		

	'टिप्पण: कोई अस्तित्व जो थोक व्यापार करता है, उपर (i) से (iv) में से कोई एक शर्त पूरी कर सकेगा। (ग) ऐसे विक्रय के सभी ब्यौरे दर्शित करने वाले सभी अभिलेख जैसे अस्तित्व का नाम, प्रकार, रजिस्ट्रीकरण/ अनुज्ञप्ति /अनुज्ञापत्र, संख्या, विक्रय की रकम दैनिक आधार पर रखा जाएगा। (घ) माल का थोक व्यापार सामान समुह की कंपनियों के बीच अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि ऐसा थोक व्यापार समुह कंपनियों को मिलाकर, थोक बैचर के कुल आवर्त के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (ङ) थोक व्यापार सामान्य कारबार व्यवहार के अनुसार किया जा सकाता है जिसके अंतर्गत लागू विनियमों के अधीन प्रत्यय सुविधाएं बढ़ाना भी है। (च) थोक या कैश एंड कैरी व्यापारी पैरा 5.3 में वर्णित शर्तों के अधीन सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग कर सकता है। थोक / कैश एंड कैरी के साथ-साथ खुदरा कारबार करने वाला कोई अस्तित्व के लिए कारबार की इन दो भुजाओं के लिए पृथक लेखा बहियां रखना आज्ञापक होगा और उनकी कानूनी सपरीक्षकों द्वारा सम्यक् संपरीक्षा की जाएंगी। थोक या कैश एंड कैरी कारबार और खुदरा कारबार के लिए इन नियमों के अधीन शर्तें संबंधित कारबार भुजाओं द्वारा पृथक रूप से अनुपालन की जाएंगी।		
15.2	ई-कॉमर्स		
15.2.1	बी2बी ई-कॉमर्स क्रियाकलाप	100%	ऑटोमैटिक
	ऐसी कंपनियाँ केवल बी2बी ई-कॉमर्स में संलग्न होगी न की खुदरा व्यापार में, और अन्य बातों के साथ-साथ यह विवक्षित होगा कि घरेलू व्यापार में एफडीआई पर विद्यमान निर्वधन ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।		
15.2.2	ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल	100%	स्वचालित
15.2.3	अन्य शर्तें		
	(क) ई-कॉमर्स से माल और सेवाओं का क्रय और विक्रय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद भी है। (ख) ई-कॉमर्स अस्तित्व से कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी अभिप्रेत है। (ग) ई-कॉमर्स के इनभेटर आधारित मॉडल से कोई ई-कॉमर्स क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहाँ माल और सेवाओं की इनभेटर का स्वामित्व ई-कॉमर्स अस्तित्व होता है और उसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।		

	(घ) ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल से क्रेता और विक्रेता के बीच सुकारक के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किसी ई-कॉमर्स अस्तित्व द्वारा सूचना प्रायोगिकी प्लेटफार्म प्रदान करना अभिप्रेत है। (ङ) डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर, टेलीविजन चैनल और ऑटोमेटेड रिति में जैसे वैब-पेज, इकेस्ट्रा नेट, मोबाइल आदि में प्रयुक्त कोई अन्य इंटरनेट ऐपलिकेशन होगा। (च) मार्केट प्लेस ई-कॉमर्स अस्तित्व को बी2बी आधार पर इसके प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं के साथ संव्यवहार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (छ) ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भांडागारण लॉजिस्टिक्स, आदेश पुरा करने, कॉल सेंटर, भुगतान संग्रहण और अन्य सेवाओं के संबंध में विक्रेताओं को सहायक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा। (ज) मार्केट प्लेस प्रदान करने वाला ई-कॉमर्स अस्तित्व इनभेदरी पर स्वामित्व नहीं रखेगा अर्थात् विक्रय के लिए तात्पर्यित माल। स्पष्टीकरण: किसी वेंडर की इनवैडरी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस अस्तित्व द्वारा नियंत्रित समझी जाएंगी यदि ऐसे वेंडर के क्रय का 25 प्रतिशत से अधिक मार्केट प्लेस अस्तित्व या इसकी समूह कंपनियों से है जो कारबार को इनभेदरी आधारित मॉडल में ठहराएगी। (झ) ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस अस्तित्व या उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा इक्रिटी भागीदारी वाली ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई या उसकी ग्रुप कंपनियों द्वारा इवैट्री पर नियंत्रण रखने वाली इकाई को ऐसे मार्केटप्लेस द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। (ञ) वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए सामान / सेवाएं स्पष्ट रूप से विक्रेता का नाम, पता और अन्य संपर्क विवरण प्रदान करेंगे। बिक्री के बाद, ग्राहकों को माल की डिलीवरी और ग्राहक की संतुष्टि विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। (ट) बिक्री के लिए भुगतान ई-कॉमर्स इकाई द्वारा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा सकता है। (ठ) बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की कोई भी वारंटी या गारंटी विक्रेता की जिम्मेदारी होगी। (ड) बाज़ार प्रदान करने वाली ई-कॉमर्स इकाइयाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करेंगी और कार्य क्षेत्र के स्तर को बनाए रखेंगी। सेवाओं को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई या अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस एंटीटी
--	--

	में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इकिटि भागीदारी या सामान्य नियंत्रण है, जो प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को बांह की लंबाई और निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से है। स्पष्टीकरण: इस तरह की सेवाओं में पूर्ति, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, विज्ञापन / विपणन, भुगतान, वित्तपोषण आदि शामिल होंगे, लेकिन वाज़ार की इकाइयों की खरीदारों को खरीदारों द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद राशि उचित और गैर-भेदभावपूर्ण होगी। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी भी विक्रेता को ऐसी शर्तों पर सेवाओं का प्रावधान जो अन्य विक्रेताओं को समान परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उन्हें अनुचित और भेदभावपूर्ण माना जाएगा। (ढ) उपरोक्त क्रम सं. 15.7.2 पर दिए अनुसार नकदी पर दिशानिर्देश अनुसार थोक व्यापार करना बी 2 बरी ई-कॉमर्स गतिविधियों पर लागू होगा (न) कोई ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस इकाई किसी भी विक्रेता को अपने उत्पाद के किसी भी उत्पाद को विशेष रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगी। (त) एफडीआई वाली ई-वाणिज्य बाजारस्थल संस्था को ई-वाणिज्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट को प्राप्त करना होगा और उसका अनुरक्षण करना होगा।⁵⁹ टिप्पण: ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।
15.2.4	ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाओं की बिक्री, सेक्टर विशिष्ट शर्तों, लागू कानूनों / विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन आटोमैटिक रूट के अधीन होगी।
15.2.5 ⁶⁰	(क) एक ई-कॉमर्स अस्तित्व को प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) और विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के साथ पठित विदेशी व्यापार नीति 2023 के उपबंधों के अनुसार अनन्य रूप से भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल या उत्पादों के निर्यात के लिए ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

⁵⁹ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

⁶⁰ दिनांक 02.09.2026 के क.आ. 4870 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा अंतःस्थापित

	(ख) उपर्युक्त क्रम संख्या 15.2.1 से 15.2.4 तक के उपबंधों के अधीन निर्धारित कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) और ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल पर निर्बंधन, खंड (क) के अधीन यथा अनुमत ई-कॉमर्स के माध्यम से माल या उत्पादों के निर्यात पर लागू नहीं होंगे।		
15.3	एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी) में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश को आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसे सामानों की उपलब्धता में सुधार करना, भारत से माल की बढ़ती सोर्सिंग को प्रोत्साहित करना और वैश्विक डिजाइनों प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।	100%	स्वतः ⁶¹
15.3.1	अन्य शर्तें		
	(क) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिए। (ख) उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए यानी उत्पादों को भारत के अलावा एक या एक से अधिक देशों में उसी ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। (ग) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद-खुदरा व्यापार केवल उन्हीं उत्पादों को कवर करेगा जो विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड हैं। (घ) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, चाहे ब्रांड का मालिक हो या अन्यथा, विशिष्ट ब्रांड के लिए देश में, या तो सीधे ब्रांड के मालिक द्वारा या कानूनी तौर पर भारतीय इकाई एकल ब्रांड खुदरा व्यापार और ब्रांड के मालिक के बीच तय किए गए समझौते के माध्यम से 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। (ङ) 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में, खरीदे गए माल के मूल्य की 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भारत से, अधिमानतः एमएसएमईएस, गांव और कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों से सभी क्षेत्रों में की जाएगी। घरेलू सोर्सिंग की मात्रा कंपनी द्वारा स्वप्रमाणित होगी, जिसकी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से बाद में जांच की जाएगी, जिसे कंपनी को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एसबीआरटी व्यवसाय (अर्थात प्रथम स्टोर खोलना या ऑनलाइन खुदरा व्यापार शुरू		

⁶¹ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

करना, जो भी पहले हो) की शुरुआत वर्ष के 1 अप्रैल से खरीदे गए सामानों के 5 वर्ष के कुल मूल्य के औसत के रूप में खरीद की आवश्यकता को प्रथम बार में पूरा किया जाना है। इसके बाद, एसबी आरटी कंपनी को वार्षिक आधार पर 30 प्रतिशत स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित होगा। सोर्सिंग की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, संबंधित इकाई कंपनी होगी, जिसे भारत में निगमित किया जाएगा, जो एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली है।

(च) प्रविष्टि (ड) में विहित स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, एसबीआरटी कंपनी द्वारा उस एकल ब्रांड के लिए भारत से की गई सभी खरीदों की गणना, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या खरीदे गए सामान की भारत में बिक्री की जाती है या निर्यात किया जाता है, स्थानीय सोर्सिंग के लिए गणना की जाएगी। एसबीआरटी कंपनी को 30 प्रतिशत की अनिवार्य सोर्सिंग आवश्यकता के विपरीत वैश्विक परिचालनों के लिए भारत से सामान की सोर्सिंग की क्षतिपूर्ति की भी अनुज्ञा प्राप्त है। इस प्रयोजनार्थ, "वैश्विक प्रचालनों के लिए भारत से सामान की सोर्सिंग" का आशय एसबीआरटी शुरू करने वाली कंपनी या इसके समूह की कंपनियों (निवासी या अनिवासी) द्वारा किसी विशेष वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से या उनके द्वारा किसी विशेष वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से या उनके द्वारा विधिक रूप से मान्य किसी करार के तहत तीसरे पक्षकार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उस एकल ब्रांड के लिए वैश्विक प्रचालनों के लिए भारत से लिए गए सामानों के मूल्य (भारतीय रुपए में) से होगा।

(छ) ब्रिक और मोर्टार भंडारों के माध्यम से संचालित कोई एसबीआरटी कंपनी भी ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार शुरू कर सकती है। तथापि, ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार ब्रिक और मोर्टार भंडार खोलने से पहले भी शुरू किया जा सकता है, यह इस शर्त के अध्वधीन है कि कंपनी ऑनलाइन खुदरा व्यापार प्रारंभ करने की तारीख से दो वर्षों के भीतर ब्रिक और मोर्टार भंडार खोले।⁶²

टिपण्ण:

- (1) (ख) और (घ) में उल्लिखित शर्तें भारतीय ब्रांडों के एसबीआरटी को लागू करने के लिए लागू नहीं होंगी।
- (2) भारतीय ब्रांडों को निवासी भारतीय नागरिकों और / या उन कंपनियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं।
- (3) सोर्सिंग मानदंड व्यवसाय शुरू होने से तीन साल तक लायू नहीं होंगे यानी 'अत्याधुनिक' और 'अत्याधुनिक' उत्पादों वाले एकल ब्रांड खुदरा व्यापार करने वाली संस्थाओं के लिए पहला स्टोर अथवा

⁶² दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित

	ऑनलाइन खुदरा विक्रय की शुरुआत, इनमें से जो भी पूर्ववत हो ⁶³ खोलना और जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है। इसके बाद, उपरोक्त 15.3. (ड) में उल्लिखित शर्त लागू होगी। नीति आयोग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और इस विषय पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ (प्रतिनिधियों) के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में एक समिति अत्याधुनिक उत्पादों के मुद्दे पर आवेदकों के दावे की जांच करेगी, जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है और इस तरह की छूट के लिए सिफारिशें देते हैं।		
15.4	मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एमबीआरटी)	51%	सरकार
15.4.1	अन्य शर्तें		
	(क) ताजे कृषि उत्पाद, जिसमें फल, सब्जियां, फूल, अनाज, दालें, ताजे मुर्गे, मत्स्य और मांस उत्पाद शामिल हैं, विना ब्रांड के हो सकते हैं। (ख) विदेशी निवेश के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि यू एस डी 100 मिलियन होगी। (ग) 100 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किश्त में लाए गए कुल विदेशी निवेश का कम से कम 50 प्रतिशत, तीन वर्षों के भीतर 'बैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश किया जाएगा, जहाँ 'बैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में सभी गतिविधियों पर फ्रंट-एंड इकाइयों को छोड़कर, पूंजीगत व्यय शामिल होगा। उदाहरण के लिए, बैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पादन बुनियादी ढांचे आदि की दिशा में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत और किराए पर व्यय, यदि कोई हो, नहीं होगा। बैक-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इसके बाद के बुनियादी ढांचे में निवेश एमबीआरटी रिटेलर द्वारा किया जाएगा, जो उसकी व्यावसायिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। (घ) निर्मित या प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद के मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश युएसडी 2 मिलियन से अधिक नहीं है। यह मूल्यांकन मूल्यह्रास के लिए प्रदान किए बिना, स्थापना के समय मूल्य को संदर्भित करता है। 'लघु उद्योग' का दर्जा केवल रिटेलर के साथ पहले जुड़ाव के समय माना जाएगा और इस तरह का उद्योग इस उद्देश्य के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में अर्हता प्राप्त करना जारी रखेगा, भले ही वह युएसडी 2 मिलियन के उक्त निवेश के दौरान उक्त खुदरा विक्रेता के साथ इसका संबंध बढ़ा हो। इस श्रेणी में कृषि सहकारी समितियों और किसान सहकारी समितियों से सोर्सिंग पर भी विचार किया जाएगा। खरीद की		

⁶³ दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतःस्थापित

आवश्यकता को पूरा करना होगा, पहली बार में, खरीदे गए / संसाधित उत्पादों के कुल पांच साल के औसत मूल्य के रूप में, उस वर्ष के 4 अप्रैल से शुरू होता है, जिसके दौरान विदेशी निवेश का पहला किश्त प्राप्त होता है। इसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा करना होगा।

(ड) कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन की आवश्यकता है, ताकि ऊपर क्रम सं. (ख),(ग) और (घ) की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके जिसे आवश्यक होने पर क्रॉस-चेक किया जा सकता है। तदनुसार, निवेशक वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित, खातों को बनाए रखेंगे।

(च) 2011 की जनगणना या संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में केवल खुदरा बिक्री आउटलेट स्थापित किए जा सकते हैं, और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर भी कर सकते हैं। ऐसे शहरों की नगरपालिका या शहरी ढेर सीमा के आसपास; रिटेल स्थानों को संबंधित शहरों के मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार अनुरूप क्षेत्रों तक सीमित रखा जाएगा और परिवहन कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रावधान किया जाएगा।

(छ) सरकार के पास कृषि उत्पादों की खरीद का पहला अधिकार होगा।

(ज) उपरोक्त नीति केवल एक सक्षम नीति है और राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री आउटलेट उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा सकते हैं जो इस नीति के तहत एमबीआरटी में विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए सहमत हुए हैं या भविष्य में सहमत हैं। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने समझौते से अवगत कराया है, उनका उल्लेख 15.4.2 पर किया गया है। इस तरह के समझौते, भविष्य में, इस नीति के तहत खुदरा दुकानों की स्थापना की अनुमति देने के लिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को सूचित किया जाएगा और उक्त सूची में परिवर्धन किया जाएगा। खुदरा बिक्री दुकानों की स्थापना लायू राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों / विनियमों, जैसे कि दुकानें और प्रतिष्ठान आदि के अनुपालन में होगी।

(झ) खुदरा व्यापार, किसी भी रूप में, ई-कॉमर्स के माध्यम से, बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में लगे विदेशी निवेश वाली कंपनियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

(ञ) सरकार के अनुमोदन के लिए विचार किए जाने से पहले, प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशानिर्देशों को संतुष्ट करता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदन प्रक्रमित किए जाएंगे।

15.4.2	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र) हैं।		
15.5	शुल्क मुक्त दुकानें	100%	ऑटोमैटिक
15.5.1	अन्य शर्तें		
	(क) ड्यूटी फ्री शॉप्स का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटों और भूमि कस्टम स्टेशनों पर कस्टम बंधित क्षेत्र में स्थापित दुकानें जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवागमन होता है। (ख) ड्यूटी फ्री शॉप्स में विदेशी निवेश सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन है। (ग) ड्यूटी फ्री शॉप इकाई देश के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी भी खुदरा व्यापार गतिविधि में संलग्न नहीं होगी।		
16	भेषज		
16.1	ग्रीनफील्ड	100%	ऑटोमैटिक
16.2	ब्राउनफील्ड	100%	74% तक ऑटोमैटिक 74% से आगे गवर्नमेंट रूट
16.3	अन्य शर्तें		
	(क) 'गैर-प्रतिस्पर्धा' खंड को सरकार की मंजूरी के साथ विशेष परिस्थितियों में छोड़कर अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) संभावित निवेशक और भावी निवेशकर्ता को सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ 16.4 पर प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। (ग) सरकार की मंजूरी ब्राउनफील्ड मामलों में विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त शर्तों को शामिल कर सकती है। (घ) ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स में विदेशी निवेश, प्रवेश मार्ग के बावजूद, निम्नलिखित स्थितियों के अधीन है		

- (i) राष्ट्रीय दवाओं की आवश्यक सूची का उत्पादन स्तर (एनएलईएम) दवाओं और / या उपभोग्य सामग्रियों और विदेशी निवेश के प्रेरण के समय घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति, अगले पांच वर्षों में निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। इस स्तर के लिए बेंचमार्क का निर्णय तीन वित्तीय वर्षों में 'एनएलईएम ड्रग्स और / या उपभोग्य सामग्रियों के उत्पादन के स्तर के संदर्भ में किया जाएगा, जो तुरंत विदेशी निवेश के वर्ष के पहले होगा। इनमें से किसी भी तीन वर्षों में उत्पादन का उच्चतम स्तर स्तर के रूप में लिया जाएगा।
- (ii) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों को विदेशी निवेश के प्रेरण के समय निरपेक्ष मात्रात्मक स्तर पर 5 वर्षों के लिए मूल्य के संदर्भ में बनाए रखा जा रहा है। इस स्तर के लिए बेंचमार्क आरएंडडी खर्चों के उच्चतम स्तर के संदर्भ में तय किया जाएगा, जो कि किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी विदेशी निवेश को शामिल करने के वर्ष से पहले किया गया है।
- (iii) निवेशी कंपनी में विदेशी निवेश को शामिल करने के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालय को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।
- (iv) प्रशासनिक मंत्रालय यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भेषज विभाग या किसी अन्य नियामक अभिकरण / विकास द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित, शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

ध्यान दें :

(1) चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए आटोमैटिक रूट के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इसलिए, उपरोक्त शर्तें ग्रीनफील्ड के साथ-साथ इस उद्योग की ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर भी लायू नहीं होंगी।

(2) चिकित्सा उपकरण का अर्थ है: -

(क) कोई भी उपकरण, उपकरण, उपकरण, इम्प्लांट, सामग्री या अन्य लेख, चाहे वह अकेले या संयोजन में उपयोग किया गया हो, जिसमें सॉफ्टवेयर शामिल है, जिसका उद्देश्य इसके निर्माता द्वारा विशेष रूप से एक या अधिक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मानव या जानवरों के लिए उपयोग किया जाना है। -

(कक) किसी बीमारी या विकार का निदान, रोकथाम, निगरानी, उपचार या उपचार;

(कख) किसी चोट या अपंगता का निदान, निगरानी, उपचार, उपचार, या सहायता के लिए;

(कग) शरीर रचना या शारीरिक प्रक्रिया की जांच, प्रतिस्थापन या संशोधन या सहयोग;

(विज्ञापन) जीवन का समर्थन या निरंतरता;

	(कघ) चिकित्सा उपकरणों की कीटाणुशोधन; (कच) गर्भाधान का नियंत्रण; और जो किसी भी औषधीय द्वारा या मानव शरीर या जानवरों पर अपनी प्राथमिक इच्छित कार्रवाई को प्रतिरक्षाविज्ञानी या उपापचयी साधन द्वारा प्राप्त नहीं करता है; (ख) इस तरह के एक साधन, उपकरण, उपकरण, सामग्री या अन्य लेख के लिए एक सहायक; (ग) "इन-विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस जो एक अभिकर्मक, अभिकर्मक उत्पाद, अंशशोधक, नियंत्रण सामग्री, किट, उपकरण, उपकरण, उपकरण या प्रणाली है, चाहे वह अकेले या संयोजन में इस्तेमाल किया गया हो, जिसका उपयोग परीक्षा और चिकित्सा के लिए जानकारी प्रदान करने या मानव शरीर या जानवरों से प्राप्त नमूनों की परीक्षा के माध्यम से नैदानिक उद्देश्य के लिए किया जाता है।		
16.4	भविष्य के निवेशक द्वारा और साथ ही भविष्य के प्राप्तकर्ता अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जाना है यह प्रमाणित है कि निम्नलिखित सभी परस्पर समझौतों की पूरी सूची है, जिसमें शेयरधारकों का समझौता शामिल है, विदेशी निवेशक. और निवेशकर्ता ब्राउनफील्ड भेषज इकाई के बीच किया गया है। 1..... 2..... 3..... (सभी समझौतों की प्रतियां संलग्न की जानी है) यह भी प्रमाणित है कि विदेशी निवेशकों और इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड भेषजइकाई के बीच किए गए शेयरधारकों के समझौते सहित किसी भी परस्पर समझौते में किसी भी रूप में कोई गैर-प्रतिस्पर्धा खंड नहीं है। यह आगे प्रमाणित है कि ऊपर सूचीबद्ध लोगों के अलावा विदेशी निवेशक और निवेशकर्ता ब्राउनफील्ड फार्मा इकाई के बीच कोई अन्य अनुबंध / समझौते नहीं हैं। विदेशी निवेशक और इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड फार्मा इकाई ने एफआईपीबी को परस्पर समझौता करने के लिए प्रस्तुत किया है जो इस आवेदन को प्रस्तुत करने और विचार करने के बाद उनके बीच प्रविष्ट किया जा सकता है।		
17	रेल्वे की अवसंरचना		
17.1	निम्नलिखित का निर्माण, संचालन और रखरखाव:	100%	ऑटोमैटिक

	(i) पीपीपी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं, (ii) हाई-स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, (iii) डेडिकेटेड फ्रेट लाइन्स, (iv) रोलिंग स्टॉक सहित ट्रेन सेट, और लोकोमोटिव / कोच निर्माण और रखरखाव सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल, (viii) पैसेंजर टर्मिनल, (ix) रेलवे लाइन से जुड़े औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर, विद्युतीकृत रेलवे लाइनों और मुख्य रेलवे लाइन और कनेक्टिविटी के लिए कनेक्टिविटी सहित (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।		
17.2	अन्य शर्तें		
	(क) निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुले इस क्षेत्र में विदेशी निवेश रेल मंत्रालय के सैक्टरल दिशानिर्देशों के अधीन है। (ख) सुरक्षा के दृष्टिकोण से 49 प्रतिशत संवेदनशील क्षेत्रों से परे विदेशी निवेश से संबंधित प्रस्ताव, रेल मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS) के समक्ष मामले के आधार पर विचार के लिए लाया जाएगा।		
च	वित्तीय सेवाएं नीचे बताए गए अन्य की तुलना में वित्तीय सेवाओं में निवेश को सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।		
च.1	आस्ति पुनः निर्माण कंपनियाँ	100%	ऑटोमैटिक
च.1.1	अन्य शर्तें		
	(क) एआरसी की शेयरहोल्डिंग में एक प्रायोजक की निवेश सीमा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इसी तरह, संस्थागत या गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश को भी उक्त अधिनियम द्वारा शासित किया जाएगा। (ख) एफपीआईएस, एआरसीएस द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्राप्ति (एसआरएस) में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशा-निर्देशों के अधीन, एआरसी एस द्वारा जारी एसआरएस में निवेश करने के लिए प्रत्येक किश्त 100 प्रतिशत तक एफपीआईएस को अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। ऐसा विनिधान सुसंगत विनियामक सीमा के भीतर लागू होगा। (ग) सभी विनिधान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन		

	अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन होंगे।		
च.2	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	74%	49% तक स्वचालित रूप से 49% से अधिक और 74% तक सरकारी मार्ग
च.2.1	अन्य शर्तें		
	(क) हर समय, सिवाय विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली समुनपंगी के संबंध में समादत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा निवासियों द्वारा धारित होगा। (ख) एनआरआईएस के मामले में, संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन दोनों पर व्यक्ति नियंत्रण कुल समादत्त पूंजी का 5 प्रतिशत तक सीमित है, और संकलित सीमा, संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर कुल समादत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तथापि, एनआरआई नियंत्रण बैंकिंग कंपनी के सामान्य निकाय द्वारा पारित इस आशय के एक विशेष संकल्प के अधीन संप्रत्यावर्तन और गैर-संप्रत्यावर्तन आधार पर कुल समादत्त पूंजी का 24 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया जाएगा। (ग) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम अथवा समनुषंगी वाले निजी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श से, यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किया जा सकेगा कि क्र. सं. एफ. 8.1 और एफ. 8.2 में यथा-विनिर्दिष्ट बीमा क्षेत्र के लिए लागू विदेशी विनिधान की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है।⁶⁴ (घ) एफडीआई के अधीन शेयरों का अंतरण निवासियों से गैर-निवासियों के लिए रिज़र्व बैंक और/या सरकार को जहाँ भी लायू हो, के अनुमोदन की अपेक्षा की जाएगी। (ङ) आरबीआई और अन्य संस्थाएं जैसे कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय और आईआरडीएआई द्वारा विहित नीतियां और प्रक्रियाएं इन मामलों पर लागू होंगी।		

⁶⁴ दिनांक 19.08.2021 के क.आ. 3411 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित

	(च) निजी बैंक के पूंजीगत लिखत के खरीद या अन्यथा अधिग्रहण से संबंधित आर.बी.आई. के दिशानिर्देश, यदि ऐसे अधिग्रहण से किसी भी व्यक्ति के पास निजी बैंक की समादत्त पूंजी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक का नियंत्रण होता है, तो वह विदेशी विनिधान पर भी लायू होगा। (छ) विदेशी बैंकों द्वारा समुनसंगी की स्थापना (i) विदेशी बैंकों को या तो शाखाओं या समुनसंगी की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों नहीं। (ii) गृह देश में बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा विनियमित विदेशी बैंकों और रिज़र्व बैंक के अनुज्ञप्ति के मानदंडों को पूरा करने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली समुनपंगी की स्थापना करने में समर्थ बनाने के लिए 100 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी। (iii) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों में से एक अर्थात् (i) शाखाओं (ii) एक पूर्ण स्वामित्व वाली समुनपंगी (iii) एक निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत तक संकलित विदेशी विनिधान के साथ एक समुनपंगी के माध्यम से संचालित हो सकता है, (iv) एक विदेशी बैंक को पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली समुनपंगी या तो विद्यमान शाखा के रूपांतरण के माध्यम से या नए बैंकिंग अनुज्ञप्ति के माध्यम से स्थापित करने की अनुमति होगी। एक विदेशी बैंक को विद्यमान निजी क्षेत्र के बैंक के शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से एक समुनपंगी स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाएगी, परन्तु निजी क्षेत्र के बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत उपरोक्त पैरा (ग) के साथ सभी समय पर निवासियों द्वारा धारित की जाती हो। (v) विदेशी बैंक की समुनपंगी अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन होगी जो नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए व्यापक रूप से मिलकर बनती हैं। (vi) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली समुनपंगी को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। (vii) समुनपंगी की स्थापना के लिए किसी विदेशी बैंक द्वारा या भारत में समुनपंगी के लिए अपनी विद्यमान शाखाओं के रूपांतरण के लिए सभी आवेदन आरबी आई के लिए बनाए जाएंगे। (ज) बैंकिंग कंपनियों के संबंध में मतदान के अधिकार पर 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा संभावित विनिधानकर्ता द्वारा नोट किया जा सकता है। (झ) सभी विनिधान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन बैंकिंग क्षेत्र के लिए विहित दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।		
च.3	बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र		

च.3.1	बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकिंग कंपनियों के अधीन (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/80। इसकी अधिकतम सीमा भारतीय स्टेट बैंक पर भी लागू है।	20%	सरकारी
च.4	प्रतिभूति बाजार में अवसंरचना कंपनियां		
च.4.1	प्रतिभूति बाजार में अवसंरचना कंपनियों, अर्थात्, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम के अनुपालन में स्टॉक, विनिमय, वस्तु व्युत्पाद विनिमय, निक्षेपागार, समाशोधन कॉरपोरेशन	49%	स्वचालित
च.4.2	अन्य शर्तें		
	(क) एफपी आई द्वारा विनिधान सहित विदेशी विनिधान, समय-समय पर केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों या नियमों या विनियमों के अधीन होंगे। (ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं हैं, परन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 8) या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 956 (1956 का 42) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) में परिभाषित है, या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी संबंधित विनियमों में समान अर्थ होंगे जिन्हें क्रमशः उन अधिनियमों या विनियमों में उन्हें अभिहित किया जाएगा।		
च.5	वस्तु स्पॉट विनिमय	49%	स्वचालित
च.5.1	विनिधान केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा		
च.6	पावर एक्स्चेंज		
	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 के अधीन पावर एक्स्चेंज	49%	स्वचालित
च.6.1	अन्य शर्तें		
	(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति, जिसमें 5 प्रतिशत से अनधिक व्यक्ति कार्य करने वाले होने चाहिए। (ख) विनिधान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य लागू विधियों/नियमों/ विनियमों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अनुपालन में होगा।		

च.7	प्रत्यय सूचना कंपनियां	100%	स्वचालित
	अन्य शर्तें		
	(क) प्रत्यय सूचना कंपनियों में विदेशी विनिधान, प्रत्यय सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 और 'रिज़र्व बैंक से विनियामक मंजूरी के अधीन है। (ख) एफपीआई विनिधान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा; (i) एक एकल इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 प्रतिशत साम्या से नीचे रहेगी; (ii) 1 प्रतिशत से अधिक किसी भी अधिग्रहण को अनिवार्य अपेक्षा के रूप में रिज़र्व बैंक को सूचित करना होगा; और (iii) प्रत्यय सूचना कंपनियों में विनिधान करने वाले एफपी आई अपने शेयरधारिता के आधार पर निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मांगेंगे।		
च.8	बीमा		
च.8.1	बीमा कंपनी ⁶⁵	100% ⁶⁶	स्वचालित
च.8.2 ⁶⁷	भारतीय जीवन बीमा निगम	20%	स्वचालित
च.8.3	बीमा मध्यस्थों सहित, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, तीसरे पक्ष के प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि असेसर्स, सामान्य अभिकर्ताओं, बीमा निधान और ऐसी अन्य संस्थाओं के प्रबंधन सहित बीमा मध्यस्थ, जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए। ⁶⁸	100%	स्वचालित

⁶⁵ दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित

⁶⁶ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁶⁷ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा अंतःस्थापित

⁶⁸ दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित

च.8.3.1. ⁶⁹	भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यस्थों पर लागू होने वाली अन्य शर्तें ⁷⁰
	(क) विदेशी निवेशकों जिनमें पोर्टफोलियो निवेशक शामिल हैं द्वारा किसी भारतीय बीमा कंपनी के इक्रिटी शेयरों में कुल विदेशी निवेश का समग्र स्वामित्व ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता इक्रिटी पूंजी के अधिकतम एक सौ प्रतिशत तक अनुमत होगा।⁷¹ (ख) भारतीय बीमा कंपनी की कुल चुकता इक्रिटी के एक सौ प्रतिशत⁷² तक का विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर तभी अनुमत होगा जब यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन और सत्यापन के अधीन हों। (ग) इस क्षेत्र में विदेशी निवेश, बीमा अधिनियम, 1938(1938 का 4) के उपबंधों के अनुपालन करने और यह शर्त पूरी करने के अधीन होगा कि एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियां बीमा और संबंधित गतिविधियाँ करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस या अनुमोदन प्राप्त करेंगी। (घ) (I) ऐसी भारतीय बीमा कंपनी जिसमें विदेशी निवेश हों, उसके बोर्ड के अध्यक्ष, उसके प्रबंध निदेशक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम से कम एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।⁷³ (II) जिस भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश हों, वह भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के उपबंधों और वित्तीय सेवा विभाग/भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू नियमों या विनियमों का अनुपालन करेगी।⁷⁴ (ङ) एक भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 की अनुसूची II के साथ पठित अध्याय - IV, नियम 10 और 11 में निहित उपबंधों और भारतीय

⁶⁹ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷⁰ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷¹ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷² दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷³ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷⁴ दिनांक 19.08.2021 के क.आ. 3411 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित

	प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के उपबंधों द्वारा शासित होगा।⁷⁵ (च) किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में कोई भी वृद्धि इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। (छ) शत-प्रतिशत की विदेशी इक्विटी निवेश सीमा बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, तीसरे पक्ष के प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि असेसर्स, प्रबंध सामान्य अभिकर्ताओं,⁷⁶ बीमा निधान और ऐसी अन्य संस्थाओं पर उपर्युक्त समान शर्तों पर लागू होगी, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।⁷⁷ (ज) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के अध्यक्षीन स्वचालित मार्ग के अधीन अनुमति दी जाएगी और बीमा मध्यस्थों में विदेशी निवेश उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के नियम 7 और 8 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है,⁷⁸ : बशर्ते कि जहां कोई संस्था जैसा कोई बैंक, जिसका प्राथमिक व्यवसाय बीमा क्षेत्र से बाहर है, को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उस क्षेत्र में लागू विदेशी इक्विटी निवेश की सीमाएं इस शर्त के अधीन लागू होती रहेंगी कि ऐसे निकायों का राजस्व उनके प्राथमिक (यानि, गैर-बीमा संबंधित) व्यवसाय को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने कुल राजस्व के पचास प्रतिशत⁷⁹ से अधिक बना रहे। (झ) जिस बीमा मध्यस्थ के पास विदेशी निवेशकों की बहुमत शेयरधारिता हो, वह निम्नलिखित कार्य करेगा: (i) कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) के उपबंधों के अधीन एक सीमित कंपनी के रूप
--	---

⁷⁵ दिनांक 19.08.2021 के क.आ. 3411(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷⁶ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷⁷ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा विलोपित

⁷⁸ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁷⁹ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

	में निगमित हो;⁸⁰ (ii) बीमा मध्यस्थ संस्थान के निदेशक मंडल के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रधान अधिकारी या प्रबंध निदेशक में से कम से कम एक व्यक्ति निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए; (iii) नवीनतम तकनीकी, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाएगा; और (iv) समूह या संप्रवर्तक या सहायक, परस्पर संबद्ध या सहयोगी संस्थाओं को किए गए सभी भुगतानों का प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूपों में प्रकटीकरण करेगा। ⁸¹(ज) क्र.सं. च.2. के सामने विहित 'वैकिंग-निजी क्षेत्र' शीर्षक के अंतर्गत अन्य शर्तें बैंक द्वारा प्रायोजित बीमा कंपनियों के संबंध में लागू होंगी।⁸² (ट) 'इक्विटी शेयर पूंजी', "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" (एफडी आई), 'विदेशी निवेशक', विदेशी पोर्टफोलियो निवेश', "भारतीय बीमा कंपनी", भारतीय कंपनी', 'अप्रवासी इकाई',⁸³ 'निवासी भारतीय नागरिक' और "कुल विदेशी निवेश" शब्दों का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक नियमों में या भारतीय बीमा कंपनियों और बीमा मध्यस्थों में विदेशी निवेश के संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार होंगे।⁸⁴
च.8.3.2 ⁸⁵	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर लागू होने वाली अन्य शर्तें:

⁸⁰ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁸¹ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

⁸² दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अंतःस्थापित

⁸³ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा विलोपित

⁸⁴ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित

⁸⁵ दिनांक 12.04.2022 के क.आ. 1802(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा अंतःस्थापित

	(क) एलआईसी में विदेशी निवेश, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उन उपबंधों के अनुपालन के अधीन होगा, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के खंड 43 के अनुसार एलआईसी पर लागू होते हैं।⁸⁶ (ख) क्र.सं. च.8.3.1 के अंतर्गत खंड (ड) और (च) के उपबंध एलआईसी पर भी तब लागू होंगे, मानो उनमें किसी भारतीय बीमा कंपनी के संदर्भ को एलआईसी का संदर्भ समझा जाए। (ग) क्र.सं. च.8.3.1 के अंतर्गत खंड (ट) में निर्दिष्ट पदों के वही अर्थ होंगे जो उनमें क्रमशः निर्दिष्ट है। स्पष्टीकरण:- इस क्रम संख्या के प्रयोजनों के लिए, भारतीय बीमा कंपनी या क्र.सं. च.8.3.1 के अंतर्गत खंड (ट) में निर्दिष्ट कंपनी के किसी भी संदर्भ को एलआईसी का संदर्भ समझा जाएगा।”।		
च.9	पेंशन क्षेत्र	49%	स्वचालित
	अन्य शर्तें		
	(क) इस क्षेत्र में विदेशी विनिधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 के अनुसार होगा। (ख) पेंशन निधि में विदेशी विनिधान इस शर्त के अधीन होगा कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 24 के अनुसार एक भारतीय पेंशन निधि द्वारा जारी पूंजीगत लिखत में विनिधान करने वाली ईकाइयाँ, पीएफआरडीए से आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करेंगी और पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार अन्य अपेक्षाओं में अनुपालन करेंगी और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए नियम और विनियम इसके अधीन विरचित किए गए। (ग) एक भारतीय पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगी कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण उनके द्वारा जारी किए गए नियमों या विनियमन के अनुसार भारत सरकार/ पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित नियमों या हर समय निवासी भारतीय ईकाइयों के पास रहे।		
च.10	अन्य वित्तीय सेवाएँ	100%	स्वचालित
	(क) अन्य वित्तीय सेवाओं का अर्थ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, अर्थात् रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र द्वारा विनियमित वित्तीय सेवा क्रियाकलाप से होगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।		

⁸⁶ दिनांक 02.05.2026 के क.आ. 2186(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा प्रतिस्थापित

	(ख) 'अन्य वित्तीय सेवा' क्रियाकलापों में विदेशी विनिधान सेवा शर्तों जिसके अंतर्गत न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड भी है के अधीन किया जाएगा जो संबंधित विनियामकर्ता / सरकारी एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। (ग) 'अन्य वित्तीय सेवा' के क्रियाकलाप को वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों में से एक द्वारा विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं की क्रियाकलापों में जो किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित नहीं होती हैं या जहां वित्तीय सेवाओं के क्रियाकलाप का केवल एक हिस्सा विनियमित होता है या जहां नियामक पर्यवेक्षण के संबंध में संदेह होता है, सरकार के अनुमोदन मार्ग के अधीन न्यूनतम पूंजीकरण की अपेक्षा सहित शर्तें, 100 प्रतिशत तक विदेशी विनिधान को अनुज्ञात किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय किया जा सकता है। (घ) कोई भी क्रियाकलाप जो विशेष रूप से एक अधिनियम द्वारा विनियमित होती है, विदेशी विनिधान की सीमा उन स्तरों/सीमाओं तक सीमित होगी जो उन अधिनियम में निर्दिष्ट हो सकती हैं, यदि ऐसा उल्लेख किया गया हो। (ङ) "अन्य वित्तीय सेवाओं" में लगी हुई इन इकाइयों में से किसी के द्वारा अनुप्रवाह विनिधान, जिसे इन नियमों के अधीन विनिधात कारक इकाई के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना जाता है।		
च.11	व्हाइट लेबल एटीएम प्रचालन (डब्ल्यूएलओ)	100%	स्वतः ⁸⁷
च.11.1	अन्य शर्तें		
	(क) व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित करने का आशय रखने वाले किसी गैर बैंककारी अस्तित्व के पास अंतिम वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार सभी समय पर न्यूनतम एक सौ पचास करोड़ रुपए का आवर्त होना चाहिए। (ख) अस्तित्व के ऊपर क्रम सं. च-10 में निर्दिष्ट 'अन्य वित्तीय सेवाओं' में लगे होने की दशा में डब्ल्यूएलए स्थापित करने वाली कंपनी ऐसी "अन्य वित्तीय सेवाएं" में विदेशी विनिधान के लिए विदेशी विनिधान न्यूनतम पूंजीकरण संनियमों, यदि कोई हों, का भी अनुपालन करेगा।		

⁸⁷ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

(ग) डब्ल्यूएलएओ में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान विशिष्ट मानदंड और संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त के अधीन होगा। ⁸⁸

अनुसूची II

(नियम 10 (1 देखें))

विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ताओं द्वारा विनिधान

(1) विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता द्वारा साम्या लिखत की खरीद या बिक्री

(क) साम्या लिखत की खरीद और बिक्री।-

'एक एफपीआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किसी भारतीय कंपनी के साम्या लिखत की खरीद या बिक्री कर सकता है, अर्थात:-

(i) प्रत्येक एफपीआई या एक विनिधानकर्ता समूह द्वारा कुल नियंत्रण, पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर कुल समादत्त साम्या पूंजी का 10 प्रतिशत से कम या भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की प्रत्येक श्रेणी के समादत्त मूल्य 10 प्रतिशत से कम होगी और इन नियमों के अधीन अनुज्ञात किसी भारतीय कंपनी में एफपीआईएस द्वारा ⁸⁹किसी भी अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान सहित एक साथ रखे गए सभी एफपीआई की कुल नियंत्रण जो इसके पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर समादत्त के संबंध में भारतीय कंपनी पर लागू होने वाली क्षेत्रीय सीमा से अधिक नहीं होगी या डिबेंचर या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की प्रत्येक श्रेणी के समादत्त मूल्य की प्रतिशतता या क्षेत्रीय सीमा के समान

⁸⁸ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

⁸⁹ दिनांक 05.12.2019 के क.आ. 4355 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा अंतःस्थापित

होगी। 10 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की उक्त सीमा और उक्त क्षेत्रीय सीमा को क्रमशः प्रतिशत को व्यष्टि और संकलित सीमा कहा जाएगा :

⁹⁰परंतु अनुसूची 2, 3 या इन नियमों की किसी अन्य अनुसूची के अधीन किसी विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानक की कुल धृति जिसमें इस अनुसूची के अधीन एक विनिधानक समूह के माध्यम से, एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में सम्मिलित है, उपरोक्त विहित व्यक्तिगत सीमा से कम होगी और दस प्रतिशत या उससे अधिक के विनिधान के मामले में, इस अनुसूची के पैरा (1) के उप-पैरा (क) के खंड (iii) के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "विनिधानकर्ता समूह" का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन दिया गया है।

(ii) 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी संकलित सीमा, पूर्ण रूप से तनुकृत आधार पर इसकी समादत्त साम्य पूंजी या प्रत्येक डिबेंचरों की श्रुखला या वरीयता शेयर या शेयर वारंट की समादत्त मूल्य की ऐसी ही क्षेत्रीय कैप प्रतिशतता के संबंध में, इन नियमों की अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (ख) में यथा अधिकथित भारतीय कंपनी के क्षेत्रीय कैपों को लागू होगी।

परन्तु उपर्युक्त उपबंध के अनुसार संकलित सीमा को क्रमशः 31 मार्च, 2020 से पहले एक संकल्प के माध्यम से निदेशक मंडल और उसके सामान्य निकाय के अनुमोदन के साथ, जो वह ठीक समझे एक विशेष संकल्प द्वारा 24% या 49% या 74% से कम सीमा से संबंधित भारतीय कंपनी द्वारा घटाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यदि भारतीय कंपनी ने अपनी कुल सीमा को घटाकर 24% या 49% या 74% कर दिया है, तो क्रमशः एक विशेष संकल्प के माध्यम, निदेशक मंडल और इसके सामान्य निकाय में एक संकल्प से

⁹⁰ [दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 \(अ\) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम \(गैर-ऋण लिखत\) \(तीसरा संशोधन\) नियम, 2026](#) द्वारा अंतःस्थापित

क्षेत्रीय सीमा या कानूनी अधिकतम सीमा को जो वह ठीक समझे, बढ़ाकर 49% या 74% तक कर सकती है, तथापि एक बार सीमा को एक अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया गया है, भारतीय कंपनी समान सीमा को कम नहीं कर सकती है।

परंतु यह भी कि जब कुल सीमा उच्चतर अवसीमा तक बढ़ाई गई है, तब भारतीय कंपनी उसे निम्नतर अवसीमा तक नहीं घटा सकती।

परंतु यह भी कि उस सेक्टर में, जहां विदेशी विनिधान प्रतिपिद्ध है वहां भारतीय कंपनी के संबंध में कुल सीमा 24% होगी।

स्पष्टीकरण: यदि विदेशी सरकारों/उनकी संबंधित इकाइयों में सामान्य स्वामित्व रखने वाली दो या दो से अधिक एफपीआई सम्मिलित हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पचास प्रतिशत से अधिक या सामान्य नियंत्रण वाले हैं, ऐसे सभी एफपीआई को विनिधानकर्ता समूह का हिस्सा समझा जाएगा। निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार होता है, जिसके अंतर्गत शेयरधारकों या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी भी अन्य तरीके सम्मिलित हैं।

⁹¹स्पष्टीकरण.- दो या अधिक एफपीआई, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकार या उनके संबंधित अस्तित्व, जिनका पचास प्रतिशत से अधिक का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सामान्य स्वामित्व या सामान्य नियंत्रण है, की दशा में ऐसे सभी एफपीआई को किसी विनिधानकर्ता समूह का भाग बनने वाला के रूप में समझा जाएगा।

(iii) प्रस्तावित सीमा के उल्लंघन में निवेश कर रहे एफपीआई के पास उल्लंघन करने वाले कार्यकलापों के निपटान की तारीख से पांच व्यापारिक दिनों के भीतर अपनी आस्तियों का विनिवेश करने का विकल्प होगा। यदि एफपीआई विनिवेश नहीं करने का निर्णय लेती है तो ऐसे एफपीआई और उसके निवेशक समूह द्वारा कंपनी में किया गया संपूर्ण निवेश एफडीआई के अधीन किया गया निवेश माना जाएगा और एफपीआई एवं

⁹¹ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

उसके निवेशक समूह संबंधित कंपनी में आगे पोर्टफोलियो निवेश नहीं कर पाएगा। इस संबंध में एफपीआई अपने अभिहित संरक्षक के माध्यम से उल्लंघन का कारण बनने वाले कार्यकलापों के समापन की तारीख से सात व्यापारिक दिनों के भीतर अपने रिकार्ड में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु न्यासियों और साथ ही संबंधित कंपनियों को सूचित करेगा। एफपीआई द्वारा संपत्तियों का समापन और एफपीआई निवेश का एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकरण इस संबंध में सेबी और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन होगा। विहित सीमा के भीतर ऐसे अर्जन और बिक्री या एफडीआई में संपरिवर्तन के बीच की अवधि में ऐसे अर्जन के कारण कथित सकल या सेक्टरल सीमा का उल्लंघन इन नियमों के अधीन उल्लंघन नहीं माना जाएगा।⁹²

(iv) विदेशी सरकार अभिकरणों द्वारा विनिधान किसी भी कंपनी के विनिधानकर्ता समूह का हिस्सा होने पर, किसी एकल कंपनी में एफपीआई विनिधान के लिए 10 प्रतिशत की सीमा की गणना के उद्देश्य के लिए विदेशी सरकार या इसके संबंधित ईकायों द्वारा विनिधान के साथ जोड़ा जाएगा। तथापि, कतिपय विदेशी सरकारी अभिकरण और इससे संबंधित ईकायों को इस तरह जोड़े जाने की अपेक्षाओं और अन्य विनिधान स्थितियों से या तो किसी करार या संप्रभु सरकारों के साथ एक समझौते के माध्यम से या केंद्र सरकार के एक आदेश से छूट मिल सकती है।

(v) एक एफपीआई इस अनुसूची के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति और संकलित सीमा के अधीन रहते हुए, निजी प्रस्ताव या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक भारतीय कंपनी के साम्या लिखत को खरीद सकता है; परन्तु यह कि -

(क) निजी प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत उस कीमत से कम नहीं है जिस पर निवासियों को शेयर जारी किए जाते हैं, और

(ख) निजी प्लेसमेंट द्वारा जारी करने के मामले में, कीमत - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के निबंधनानुसार उदभूत कीमत, अथवा (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के

⁹² [दिनांक 27.04.2020 के क.आ. 1374 \(अ\) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम \(गैर-ऋण लिखत\) \(दूसरा संशोधन\) नियम, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित](#)

साथ पंजीकृत रूप से लागू होने के अनुसार वाणिज्यक बैंकर या चार्टर्ड एकाएउंटेंट या व्यापारत लागत लेखाकार द्वारा सम्यक रूप से संचित आधार पर शेयरों के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुसार निकलने वाला उचित मूल्य, से कम नहीं होगा।

(vi) एक एफपीआई ऐसी शर्तों के अधीन जिसे समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुबंध किया जा सकता है, प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने के साथ साथ संक्षिप्त विक्री को अपना सकता है।

(vii) इस अनुसूची के अधीन किए गए विनिधान समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट सांघिक प्रतिभूतियों के संबंध में अनुबंध के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं और पार्श्व अपेक्षाओं के अधीन होंगी।

(ख) एफपीआई द्वारा साम्या लिखत के सिवाय प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री

(i) 'एक एफपीआई घरेलू म्यूचुअल फंड या श्रेणी III वैकल्पिक विनिधान निधि या अपतटीय निधि की इकाइयाँ को खरीद सकता है, जिसके लिए सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कोई आपत्ति जारी नहीं की जाती है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन संप्रत्यावर्तन आधार पर साम्या लिखत में 50 प्रतिशत से अधिक विनिधान करते हैं।

(ii) एफपीआई भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन संप्रत्यावर्तन के आधार पर आरईआईटीएस और इनवीटीएस की इकाइयाँ खरीद सकता है।

(2) बिक्री या परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान की विधि और अन्य परिचर शर्तों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची 3

(नियम 12(1) देखें)

संप्रत्यावर्तन के आधार पर ⁹³भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) भी हैं द्वारा विनिधान

(1) सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का क्रय या विक्रय

⁹⁴भारत से बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर संप्रत्यावर्तन के आधार पर किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साम्य लिखतों का निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रय या विक्रय कर सकेगा: -

(क) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए एक प्राधिकृत डीलर द्वारा नामोदिष्ट शाखा के माध्यम से साम्य लिखत का क्रय और विक्रय कर सकेगा;

(ख) भारत से बाहर निवासी किसी भी व्यक्ति द्वारा कुल धृति पूर्ण तरलता के आधार पर समादत्त साधारण पूंजी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी ये डिबेंचरों या अधिमान शेयरों या शेयर वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के समस्त मूल्य के दस प्रतिशत से कम होगी और इस अनुसूची के अधीन भारतीय कंपनी में एक साथ रखी गई भारत से बाहर निवासी सभी व्यक्तियों की कुल धृतियाँ पूर्ण तरलता के आधार पर कुल समादत्त साधारण पूंजी के चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या डिबेंचरों या अधिमान शेयरों या शेयर वारंटों की प्रत्येक श्रृंखला के चौबीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु अनुसूची 2, 3 या इन नियमों की किसी अन्य अनुसूची के अधीन एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में भारत से बाहर निवासी व्यक्ति की कुल धृति, दस प्रतिशत से कम की उपर्युक्त विहित व्यक्तिगत सीमा से कम होगी

⁹³ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा अंतःस्थापित

⁹⁴ दिनांक 12.06.2026 के क.आ. 3030 (अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 द्वारा अंतःस्थापित

और दस प्रतिशत या उससे अधिक के विनिधान के मामले में, इस अनुसूची के पैरा (1) में उप- पैरा (क) में खंड (ग) के उपबंध लागू होंगे;

(ग) इन नियमों के अधीन भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा दस प्रतिशत से कम की विहित सीमा का उल्लंघन करते हुए किए गए विनिधान को उल्लंघन करने वाले ट्रेडों के निपटान की तारीख से पांच ट्रेडिंग दिनों के भीतर निनिर्हित करना अपेक्षित होगा। यदि भारत से बाहर निवासी व्यक्ति निनिर्हित नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो भारत से बाहर के निवासी ऐसे व्यक्ति द्वारा संबंधित कंपनी में पूरे विनिधान को प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान (एफडीआई) माना जाएगा और भारत के बाहर के निवासी ऐसा व्यक्ति संबंधित कंपनी में आगे पोर्टफोलियो विनिधान नहीं करेगा। भारत से बाहर निवासी व्यक्ति, प्राधिकृत डीलर की नामित शाखा के माध्यम से, उल्लंघन का कारण बनने वाले ट्रेडों के निपटान की तारीख से सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर निक्षेपकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित कंपनी के ध्यान में इसे लाएगा। भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा धृति को विनिहित और विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान का एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकरण, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (एफपीआई) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा। विहित समय के भीतर अधिग्रहण और बिक्री या एफडीआई में संपरिवर्तन के बीच की अवधि के लिए ऐसे अधिग्रहण के कारण उक्त कुल या क्षेत्रीय सीमा के उल्लंघन को इन नियमों के अधीन उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा।

(2) घरेलू पारस्परिक निधि के इकाई का क्रय या विक्रय

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) घरेलू पारस्परिक इकाई का क्रय या विक्रय कर सकता है, जो 50 प्रतिशत से अधिक निवेश साम्या में कर सकता है।

(3) पब्लिक सेक्टर उद्यमों में शेयरों का क्रय या विक्रय

केंद्रीय सरकार द्वारा विनिधान करते हुए अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) बिना किसी सीमा के पब्लिक सेक्टर उद्यमों में शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकते हैं, परंतु निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना में प्रदान किए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार क्रय होगा।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिधान-

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा शासित और प्रशासित करने के लिए एनआरआई और ओसीआई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अभिदान कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्ति पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिधान के लिए योग्य होंगे। वार्षिकी संचित बचत संप्रत्यावर्तित होंगे :

परंतु यह कि एनआरआई या ओसीआई समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसे लिखतों को, जो इन नियमों के खंड 2 के उपखंड (2) में यथाविहित व्युत्पन्न संविदा विनियम में उनके संव्यवहार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सम्पार्थ्विक रूप में हों, प्रस्ताव कर सकते हैं।

(5) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 4

(नियम 12(2) देखें)

'एनआरआई या ओसीआई द्वारा गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर विनिधान

'क. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर एलएलपी के पूंजी अभिदाय या इकाई या भारतीय कंपनी के लिखत साम्या का क्रय या विक्रय।

(1) एलएलपी के पूंजी अभिदाय या इकाई या लिखत साम्या या संपरिवर्तनीय नोट का क्रय या विक्रय

(क) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसी आई), जिसके अंतर्गत कंपनी, न्यास और निगमित भागीदारी फर्म, जो कि भारत के बाहर है और इसका नियंत्रण एनआरआई या ओसीआई द्वारा किया जाता हो, गैर- संप्रत्यावर्तन के आधार पर, जैसी स्थिति हो, खरीदे या अभिदान किए जा सकते हैं, अर्थात्:--

(i) बिना किसी सीमा के या तो स्टॉक एक्सचेंज पर या बाहर कंपनी द्वारा निकाला गया साम्या लिखत;

(ii) बिना किसी सीमा के या तो स्टॉक एक्सचेंज पर या बाहर विनिधान वाहक द्वारा निकाली गई इकाई;

(iii) बिना किसी सीमा के सीमित दायित्व भागीदारी पूंजी।

(iv) इन नियमों के अनुसार स्टार्ट अप कंपनी द्वारा संपवर्तनीय नोट।

(ख) उपरोक्त उप-पैरा (1) के उप पैरा (क) पर विनिधान ब्यौरे को निवासियों द्वारा किए गए विनिधान के अनुसार घरेलू विनिधान समझा जाएगा।

(2) घरेलू पारस्परिक निधि की इकाई का क्रय या विक्रय

अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारतीय विदेशी नागरिक (ओसी आई) गैर-संप्रत्यावर्तन के आधार पर घरेलू पारस्परिक निधि की इकाई द्वारा क्रय या विक्रय, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक साम्या में विनिहित किया जाएगा।

(3) निश्चित कंपनियों के साम्या लिखतों के क्रय पर प्रतिषेध-

पैरा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एनआरआई या ओसीआई, जिसके अंतर्गत कंपनी भी है, एनआरआई या ओसीआई द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित की जाएगी और भारत के बाहर न्यास और निगमित भागीदारी फर्म में, इस अनुसूची के अधीन साम्या अभिदाय निधि कंपनी की इकाइयों या कृषि में लगी हुई कंपनी या बागान क्रियाकलाप या स्थावर संपदा कारबार या फार्म हाउस या विकास अधिकार के अंतरण में व्यवहार में कोई विनिधान नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : स्थावर संपदा व्यवहार का वही अर्थ होगा जो अनुसूची 1 के पैरा (3) के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है।

(4) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

(ख) फर्म या सांपत्तिक समुत्थान में विनिधान।

(1) फर्म या सांपत्तिक समुत्थान में पूंजी का अभिदाय।

एनआरआई या ओसीआई फर्म की पूंजी में अभिदाय के माध्यम से या इस प्रकार फर्म में उपबंधित भारत में सांपत्तिक समुत्थान या किसी भी प्रकार की कृषि या बागान क्रियाकलाप या प्रिंट मीडिया या स्थावर संपदा कारवार, सांपत्तिक समुत्थान में लगी हुई नहीं है।

स्पष्टीकरण : स्थावर संपदा व्यवहार का वही अर्थ होगा, जो अनुसूची 1 के खंड (3) में विनिर्दिष्ट है।

(2) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 5 **(नियम (14) देखें)**

प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता को अनुमति

(1) दीर्घकालिक विनिधानकर्ता जैसे स्वायत्त धन निधि (एसडब्ल्यूएफएस), बहुपक्षीय अभिकरण, विन्यास निधि, बीमा निधि, पेंशन निधि और विदेशी केंद्रीय बैंक ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं।

(2) "पात्र विदेशी इकाई (ईईई)" को 9 अक्टूबर, 2018 में एसईबी आई के परिपत्र में परिभाषित किया गया है और भारतीय राजकोषीय वस्तु बाजार के वास्तविक अभिदर्शन के लिए प्रतिभूति और भारतीय विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ढांचे के अनुसार घरेलू वस्तु विनिमय बाजार में भाग ले सकते हैं।

(3) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 6
(नियम 6(ख) देखें)

सीमित दायित्व भागीदारी में विनिधान (एलएलपी)

(क) ऐसा व्यक्ति, जो भारत के बाहर का निवासी (पाकिस्तान या बांग्लादेश से भिन्न) या भारत से बाहर निगमित इकाई (पाकिस्तान या बांग्लादेश में निगमित इकाई से भिन्न), विदेशी संविभाग विनिधानकर्ता (एफपीआई) के न होते हुए या विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई), एलएलपी की पूंजी क्रियाशील सेक्टर या क्रियाकलाप अभिदाय कर सकते हैं, जहां पर विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है।

(ख) "लाभ अंश" के माध्यम से विनिधान, उपार्जन के पुनःविनिधान की श्रेणी में आएगा।

(ग) एलएलपी में विनिधान सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की शर्तों के अनुपालन के अधधीन है।

(घ) विदेशी निवेश वाली कंपनी, जो ऐसे सेक्टर में लगी हुई है जहां विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है, स्वचालित मार्ग के अधीन एलएलपी में संपरिवर्तित हो सकती है।

(ङ) विदेशी निवेश वाली कंपनी, जो ऐसे सेक्टर में लगी हुई है, जहां विदेशी विनिधान स्वचालित मार्ग के अधीन 100 प्रतिशत तक अनुज्ञात है और एफडीआई से जुड़ी शर्तों के पालन की कोई स्थिति नहीं है, स्वचालित मार्ग के अधीन कंपनी में परिवर्तित हो सकती है।

(च) एलएलपी में विनिधान या तो पूंजी अभिदाय के माध्यम से या लाभ अंश के अंतरण/अर्जन के माध्यम से, कोई मूल्यांकन सन्निधम के अनुसार उचित कीमत कम नहीं होनी चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार संव्यवहारों के अनुसार अंगीकृत और स्वीकार किया गया है (इसमें इस रूप में संदर्भित किया गया है

“एलएलपी के लाभ अंश या उचित मूल्य पर पूंजी अभिदाय”) और चार्टर्ड एकाएउंटेंट द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र या लागत लेखा व्यवसाय करने वाले या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित पैनल से अनुमोदित मूल्यांकक।

(छ) पूंजी अभिदाय के अंतरण की दशा में या भारत में निवासी व्यक्ति से लाभ अंश भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को, 'एलएलपी के लाभ अंश या उचित मूल्य पर पूंजी अभिदाय पर अंतरण प्रतिफल से कम पर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत के निवासी व्यक्ति से भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को लाभ अंश या पूंजी अभिदाय का अंतरण प्रतिफल के लिए होगा जो कि एलएलपी के लाभ अंश या पूंजी अभिदाय के उचित मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(ज) संदाय का ढंग और विक्रय के विप्रेषणादेश के लिए परिचारक शर्त या परिपक्वता की कार्यवाही करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट होगा।

अनुसूची 7

(नियम 16 देखें)

किसी विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता द्वारा विनिधान (एफवीसीआई)

(1) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधधीन जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाएं, कोई विदेशी जोखिम पूंजी विनिधानकर्ता (एफवीसीआई) निम्नलिखित का क्रय कर सकेगा:

(i) इस अनुसूची के पैरा (4) में उल्लिखित किसी क्षेत्र में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियां और जो प्रतिभूतियां उक्त प्रतिभूतियों के जारी किए जाने के समय किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(ii) किसी जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) या प्रवर्ग। अनुकल्पी विनिधान निधि (केट-। एआईएफ) की यूनिट या वीसीएफ या केट-। एआईएफ द्वारा स्थापित किसी स्कीम या किसी निधि की यूनिट;

(iii) उस क्षेत्र पर ध्यान दिए बिना, जिसमें स्टार्टअप कंपनी लगी हुई है, किसी भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी साम्य से संबद्ध लिखत या ऋण लिखत:

परंतु यदि विनिधान साम्य लिखतों में है तो क्षेत्रीय ऊपरी सीमा, प्रविष्टि मार्ग और सहायक शर्तें लागू होंगी:⁹⁵

(2) कोई एफवीसीआई या तो इन प्रतिभूतियों/लिखतों के जारीकर्ता से या ऐसी प्रतिभूतियां या लिखतें धारित करने वाली किसी व्यक्ति से ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियां या लिखतें क्रय कर सकेगा। एफवीसीआई भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में विनिधान कर सकेगा।

(3) एफवीसीआई, भारत में या भारत के बाहर किसी व्यक्ति से अंतरण द्वारा या विक्रय द्वारा या अन्यथा क्रय द्वारा या अन्यथा कोई ऐसी प्रतिभूति या लिखत ऐसी कीमत पर अर्जित कर सकेगा जिसमें विनिधान करने के लिए उसे अनुज्ञात किया गया है जो क्रेता और विक्रेता/जारीकर्ता को परस्पर स्वीकार्य है। एफवीसीआई, वीसीएफ या केट- । एआईएफ के परिसमापनों या 'वीसीएफ या केट- । एआईएफ के द्वारा स्थापित स्कीमों/निधियों के आगमों को भी प्राप्त कर सकेगा।

(4) विक्रय/परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान और अन्य शर्तों का तरीका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) ऐसे क्षेत्रों की सूची जिसमें एफवीसी आई को विनिधान करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, निम्नलिखित है:-

(क) जैव-प्रौद्योगिकी;

(ख) हार्डवेयर और साफ्टवेयर से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी;

⁹⁵ दिनांक 16.08.2024 के क.आ. 3492(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित

- (ग) सूक्ष्म प्रौद्योगिकी;
- (घ) बीज अनुसंधान और विकास;
- (ङ) औषधीय सेक्टर में नए रासायनिक अस्तित्वों के अनुसंधान और विकास।
- (च) दुग्ध उद्योग;
- (छ) पशुपालन उद्योग;
- (ज) जैव-ईंधन का उत्पादन;
- (झ) तीन हजार से अधिक की बैठने की क्षमता के साथ होटल-सह-अभिसमय केन्द्र;
- (ञ) अवसंरचना क्षेत्र। "अवसंरचना क्षेत्र" शब्द का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार द्वारा यथा संशोधित या यथा अद्यतन अधिसूचना फ़ा सं. 13/06/2009-आईएणफ, तारीख 27 मार्च, 2012 द्वारा अनुमोदित अवसंरचना उपक्षेत्रों की सामंजस्यिक मास्टर सूची में दिया गया है।

अनुसूची 8 **(नियम 6(ग) देखें)**

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विनिधान संस्था में निवेश

- (1) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (पाकिस्तान या बंगलादेश के नागरिक के अतिरिक्त) या भारत के बाहर निगमित अस्तित्व (पाकिस्तान या बंगलादेश में निगमित अस्तित्व के अलावा) विनिधान संस्था की इकाइयों में निवेश कर सकता है।
- (2) भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति जिसने इस अनुसूची के अनुसार यूनिट अधिग्रहीत की हैं, किसी भी रीति से विक्रय या अंतरण कर सकता है या भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार इकाइयों का मोचन कर सकता है।

(3) एक विनिधान संस्था ऐसी निवेश माध्यम द्वारा अधिग्रहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के किसी इक्रिटी लिखत के स्वैप के प्रति भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को यूनिट जारी कर सकता है।

(4) भारतीय अस्तित्व में एक विनिधान द्वारा किए गए निवेश को भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता अस्तित्व के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी विनिधान के रूप में माना जाएगा यदि प्रायोजक या प्रबंधन या विनिधान प्रबंधक (i) भारतीय निवासी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में नहीं है या (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है।

परंतु यह कि प्रवर्तक अथवा प्रबंधक या निवेश प्रबंधक या कंपनी में एलएलपी से भिन्न रूप में उनके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रवर्तक या प्रबंधन या निवेश प्रबंधन विदेशी स्वाधिकृत या नियंत्रित है या नहीं।

स्पष्टीकरण : एआईएफ का "नियंत्रण" "प्रवर्तक" और "प्रबंधक या निवेश प्रबंधक" के हाथों में होगा, जिसमें अन्य कोई भी सामान्यतया सम्मिलित नहीं होंगे। एआईएफ का "प्रवर्तक" और "प्रबंधक या निवेश प्रबंधक" व्यष्टि होने की स्थिति में ऐसी 'एआईएफ द्वारा डाउन स्ट्रीम निवेशकों घरेलू मानने के लिए "प्रवर्तक" और "प्रबंधक या निवेश प्रबंधक" निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(5) वैकल्पिक (आल्टरनेटिव) निवेश निधि प्रवर्ग - III जिसे कोई विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वह केवल उन प्रतिभूतियों या लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती है जिनमें अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन निवेश करने की अनुमति है।

(6) विक्रय या परिपक्वता आय के प्रेषण के लिए भुगतान का ढंग और अन्य अनुवर्ती शर्तों को रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची 9
(नियम 6(घ) देखें)

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निक्षेपागार रसीदों में विनिधान

(1) पात्र व्यक्ति(यों) द्वारा निक्षेपागार प्राप्तियों को निर्गमित करने के प्रयोजन के लिए पात्र लिखत का विदेशी निक्षेपागार को जारी या अंतरण करना-

(क) कोई भी प्रतिभूति या यूनिट जिसमें भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन विनिधान करने की अनुमति है, निक्षेपागार रसीद स्कीम, 2014 (डीआर स्कीम, 2014) के निबंधनों के अनुसार निक्षेपागार प्राप्ति को जारी करने के लिए पात्र लिखत होगी।

(ख) कोई व्यक्ति डी आर स्कीम, 2014 और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निक्षेपागार प्राप्तियों को जारी करने के प्रयोजन के लिए विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी या अंतरण करने का पात्र होगा।

(ग) एक घरेलू अभिरक्षक डीआर स्कीम, 2014 के निबंधनों के अनुसार ऐसे खरीदी गई लिखत को निक्षेपागार प्राप्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति की ओर से पात्र लिखत खरीद सकता है।

(घ) पात्र लिखत जो कि विदेशी निक्षेपागार को जारी या अंतरित किए जा सकते हैं उनका समग्र जोड़ भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा पहले से रखे गए पात्र लिखत के साथ अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए ऐसे पात्र लिखतों की विदेशी धारिता सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ङ) लायू नियमों के अधीन घरेलू निवेशकों का इस प्रकार के लिखत जारी अथवा अंतरित करने के तत्स्थानी माध्यम पर लागू कीमत से कम कीमत पर निक्षेपागार प्राप्ति जारी करने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र लिखत जारी या अंतरित नहीं किया जाएगा।

(2) व्यावृत्ति-

यह समझा जाएगा कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के अधीन जारी निक्षेपागार रसीद डीआर स्कीम, 204 के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई है तथा इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

अनुसूची 10 **(नियम 10 (2) देखें)**

भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन

(1) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन - भारत के बाहर निगमित कंपनियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को घरेलू निक्षेपागार के माध्यम से भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन कर सकेंगी:

(क) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण का निर्गमन) विनियमन, 2009 की अनुपालना में;

(ख) भारत में विद्यमान वित्तीय या बैंककारी कंपनियों द्वारा भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों के किसी शाखा या समनुषंगी के माध्यम से निर्गमन को क्षेत्रीय विनियामकों का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा;

(ग) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का अंकित मूल्य केवल भारतीय रुपए में किया जाएगा;

(घ) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गमन के आगमों को ऐसे भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गमन करने वाली कंपनियों द्वारा तुरंत भारत के बाहर संप्रत्यावर्तन किया जाएगा;

(2) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का क्रय या विक्रय,-

कोई एफपीआई या कोई एनआरआई या कोई ओसीआई निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का क्रय धारण या विक्रय कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) विक्रय/परिपक्वता आगमों के प्रेषण के लिए संदाय का ढंग और सहायक शर्तें वे होंगी जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ख) भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों का सीमित आदान प्रदान प्रतिमोचन, इस बाबत रिजर्व बैंक द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय होगा;

(ग) भारतीय निक्षेपागार प्राप्ति निर्गमन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले अंडरलाइन इक्रिटी शेयरों में मोचनीय नहीं होगा;

(घ) निर्गमन वाली कंपनी के अंडरलाइन इक्रिटी शेयर में मोचन या संपरिवर्तन विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) विनियम, 2004 की अनुपालना में होगा।

अनुसूची 11⁹⁶

[नियम 34 देखें]

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करना स्कीम

⁹⁶ दिनांक 24.01.2024 के क.आ. 332(अ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 द्वारा अंतःस्थापित

1. अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में निर्गम और सूचीबद्ध करना .- कोई पब्लिक भारतीय कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेगी:

(i) ऐसे निर्गम या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना अनुज्ञात की जाएगी और ऐसे शेयरों को किसी भी विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ii) ऐसे निर्गम या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना प्रतिषिद्ध कार्यकलापों और इन नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 2 और पैरा 3 में विहित क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन होगी।

(iii) पब्लिक भारतीय कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले या अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर अपने विद्यमान शेयरधारकों द्वारा प्रस्थापित किए जाने वाले ऐसे साधारण शेयर डेमिटरिलाइस्ड रूप में होंगे और भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध साधारण शेयरों के बराबर रैंक के होंगे।

परंतु पूर्व सरकारी अनुमोदन, जहां भी लागू हो, प्राप्त किया जाएगा।

2. अनुज्ञेय धारक .- (क) अनुज्ञेय धारक से ऐसी कंपनी के साधारण शेयरों के धारक अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, जिसमें इसके हिताधिकारी स्वामी भी सम्मिलित हैं:

परंतु ऐसा धारक जो किसी ऐसे देश का नागरिक है जो भारत के साथ भू-सीमा साझा करता है, या ऐसे देश में निगमित कोई इकाई या कोई ऐसी इकाई जिसका हिताधिकारी स्वामी उस देश से है, ऐसी पब्लिक भारतीय कंपनी के साधारण शेयर केवल केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से धारण करेगा।

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञेय धारक भारत का निवासी व्यक्ति नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: अनुज्ञेय धारक, जिसमें इसके हिताधिकारी स्वामी भी सम्मिलित हैं, इस अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पब्लिक भारतीय कंपनी, अपने प्रस्थापना दस्तावेज में, अनुज्ञेय अधिकारिता में इसे चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, इस आशय का प्रकटन करेगी।

(ख) कोई अनुज्ञेय धारक इन नियमों के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकेगा।

3. पात्रता .- (1) (I) कोई पब्लिक भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) उनके विद्यमान शेयरधारक

इस स्कीम में अधिकथित निम्नलिखित शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज में साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे:

(i) कोई पब्लिक भारतीय कंपनी अनुज्ञेय अधिकारिता में साधारण शेयरों का निर्गम करने के लिए पात्र होगी, यदि:

(क) पब्लिक भारतीय कंपनी, उसका कोई प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह या कोई निदेशक या विक्रेता शेयरधारकों को उचित विनियामक द्वारा पूंजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित नहीं किया गया है;

(ख) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों में से कोई किसी अन्य भारतीय कंपनी का प्रवर्तक या निदेशक नहीं हो, जिसे उचित विनियामक द्वारा पूंजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित किया गया है;

(ग) पब्लिक भारतीय कंपनी या उसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक "ज्ञानकृत व्यतिक्रमी" नहीं है;

(घ) पब्लिक भारतीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के अधीन नहीं है;

(ङ) इसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' नहीं है।

(ii) पब्लिक भारतीय कंपनी के विद्यमान धारक शेयरों की प्रास्थापना करने के लिए पात्र होंगे, यदि:

(क) पब्लिक भारतीय कंपनी या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाले धारक को उचित विनियामक द्वारा पूंजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित नहीं किया गया है;

(ख) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों में से कोई भी किसी अन्य भारतीय कंपनी, सूचीबद्ध या अन्यथा, का प्रवर्तक या निदेशक नहीं है, जिसे उचित विनियामक द्वारा पूंजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित किया गया है;

(ग) पब्लिक भारतीय कंपनी या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाला धारक "ज्ञानकृत व्यतिक्रमी" नहीं है;

(घ) पब्लिक भारतीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के अधीन नहीं है;

(ड) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाले धारक में से कोई भी 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' नहीं है।

(2) (I) कोई सूचीबद्ध भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) इसके विद्यमान शेयरधारक

समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अनुसार शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज पर साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे।

(3) (I) कोई पब्लिक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) इसके विद्यमान शेयरधारक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदंडों के अनुसार शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज पर साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण: पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (I) और खंड (II) के उपखंड (i) की मद (क) और मद (ख) तथा पैरा (3) के उपपैरा (1) के खंड (I) और खंड (II) के उपखंड (ii) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित निर्बंधन ऐसे व्यक्तियों या इकाइयों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें अतीत में सरकार या उचित विनियामक द्वारा विवर्जित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर इसके साधारण शेयरों के सूचीबद्ध करने की तारीख पर विवर्जन की अवधि समाप्त हो चुकी है।

4. कंपनियों की बाध्यताएं - (1) पब्लिक भारतीय कंपनी साधारण शेयरों के निर्गमन से संबंधित वर्तमान विधियों के साथ इस स्कीम में विहित अपेक्षाओं, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 5), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), और तत्पश्चात् बनाए गए नियमों और विनियमों जहां लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इस प्रयोजन के लिए, उक्त पब्लिक भारतीय कंपनी भारतीय निक्षेपागार और विदेशी निक्षेपागार से आवश्यक समझौता भी कर सकेगी।

(2) पब्लिक भारतीय कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में पूर्वधारित साधारण शेयरों के साथ-साथ एक अनुज्ञेय अधिकारिता में निर्गमित या प्रस्थापित किए जाने वाले

साधारण शेयरों का कुल योग, इन नियमों की अनुसूची के अधीन विदेशी धारिताओं की सीमा से अधिक नहीं होगा।

5. मतदान का अधिकार .- अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर अपने साधारण शेयरों को सूचीबद्ध करा चुकी पब्लिक भारतीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे साधारण शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से अनुज्ञेय धारक द्वारा या उनके अभिरक्षक के माध्यम से केवल ऐसे अनुज्ञेय धारक के मतदान अनुदेश के अनुसरण किया जाएगा।

6. मूल्य निर्धारण .- (1) जहां साधारण शेयर किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं या भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध साधारण शेयरों के विद्यमान शेयरधारकों द्वारा प्रस्थापित किए जाते हैं, ये शेयर उस मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे जो कि लागू विधियों के अधीन घरेलू विनिधानकर्ताओं के मामले में तत्स्थानी निर्गमन के लिए लागू मूल्य से कम ना हो।

(2) पब्लिक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों के प्रारंभिक सूचीबद्ध करने की दशा में, साधारण शेयरों के निर्गम या अंतरण की कीमत उक्त अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज द्वारा अनुज्ञात बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया द्वारा अवधारित की जाएगी और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन लागू नियमों या विनियमों के अधीन उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम नहीं होगा।

परन्तु प्रारंभिक सूचीबद्ध करने के बाद अतिरिक्त शेयरों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से शेयरों का पश्चात्कर्ती निर्गम या अंतरण अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज और अनुज्ञेय अधिकारिता में लागू मूल्य निर्धारण मानदंडों पर आधारित होगा।

स्पष्टीकरण:- इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए-

(क) "उचित विनियामक" से किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामक या सरकारी मंत्रालय/विभाग अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कंपनी के लिए लागू अधिनियमों को प्रशासित करती है;

(ख) "हिताधिकारी स्वामी" का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप नियम (1) के परंतुक में उपबंधित;

(ग) "विदेशी निक्षेपागार" से एक निगमित इकाई अभिप्रेत है जो निम्न प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत और विनियमित है:-

(i) हिताधिकारी स्वामियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रतिभूतियाँ रखना और प्रतिभूति लेखा का रखरखाव करना; और

(ii) प्रतिभूति लेखा में प्रतिभूतियों के प्रव्यय के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों में अधिकारों या हितों का प्रबंध करना;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए विदेशी निक्षेपागार में केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार और अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सम्मिलित हैं।

(घ) "भगोड़ा आर्थिक अपराधी" का वही अर्थ होगा जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन है;

(ङ) "भारतीय निक्षेपागार" से अभिप्रेत निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) यथापरिभाषित निक्षेपागार है;

(च) "साधारण शेयरों के विद्यमान धारकों द्वारा प्रस्थापना" से कंपनी, भारतीय निक्षेपागार और विदेशी निक्षेपागार के बीच औपचारिक करार के अनुसरण में कंपनी के विद्यमान साधारण शेयरों की प्रास्थापना अभिप्रेत है।

(छ) "प्रस्थापना दस्तावेज़" से पब्लिक निर्गम की दशा में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथानिर्दिष्ट प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, जो लायू हो, अभिप्रेत है और राइट्स निर्गम की दशा में प्रस्थापना पत्र अभिप्रेत है;

(ज) "ज्ञानकृत व्यतिक्रमी" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उसके संघ द्वारा 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपाबंध

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों की सूची

1. भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र - इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज'